



ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥


ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ  
(भारत सरकार का उपक्रम) (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ)

**Punjab & Sind Bank**

(A Government of India Undertaking)

ਵਾਰ्षਿਕ ਰਿਪੋਰਟ  
ANNUAL REPORT  
2008-09






श्री दरबार साहिब-अमृतसर / Sri Darbar Sahib-Amritsar



## विषय सूची / CONTENTS

उल्लेखनीय तथ्य	2	Highlights
निदेशक-मंडल	3	Board of Directors
महाप्रबंधक	3	General Managers
कार्य-निष्पादन सूचक	4	Performance Indicators
निदेशक-मंडल का प्रतिवेदन	5	Directors' Report
तुलन-पत्र	22	Balance Sheet
लाभ-हानि खाता	23	Profit & Loss Account
अनुसूचियां	24	Schedules
लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	61	Auditors' Report
बासल II	63	Basel II



प्र. का. राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली / H.O. Rajendra Place, New Delhi

## उल्लेखनीय तथ्य / HIGHLIGHTS

	रुपए (लाखों में)/Rs. (in lacs) रथा/as on 31-03-2009
शुद्ध लाभ Net Profit	43718
जमा Deposits	3467565
अग्रिम (बी.एस.) Advances (B.S.)	2461535
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	738841
निवेश (बी.एस.) Investments (B.S.)	1262743
आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	1.26
शुद्ध एनपीए अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	0.32
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%) Capital Adequacy Ratio (%)	11.88

24 जून, 1908 से राष्ट्र की सेवा में समर्पित

Serving the Nation since 24th June, 1908

प्रधान कार्यालय : “बैंक हाउस”, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

Head Office : ‘Bank House’, 21, Rajendra Place, New Delhi-110008

Visit us at : [www.psbindia.com](http://www.psbindia.com)



## ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ / Board of Directors

### ਅਧਿਕਸ਼ ਏਵੰ ਪਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ Chairman & Managing Director

ਸ. ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ  
S. R. P. Singh

### ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ Executive Director

ਸ. ਜੀ. ਏਸ. ਵੇਦੀ  
S. G. S. Vedi

### ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ Directors

ਸ਼ਰੀ ਏ. ਭਟਾਚਾਰਜੀ  
Sh. A. Bhattacharya

ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ  
S. Avtar Singh Mann

ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਕਮਲ ਮਾਨ  
Smt. Kamal Mann

ਸ਼ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਗੰਗਾਵਤ  
Sh. Krishan Murari Gangawat

ਸ਼ਰੀ ਆਰ. ਸਦਾਨੰਦਮ  
Sh. R. Sadanandam

ਸ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ  
S. Mohan Singh Sekhon

ਸ਼ਰੀ ਕੇ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ  
Sh. K. K. Sharma

ਸ਼ਰੀ ਹਰਿ ਚੰਦ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ  
Sh. Hari Chand Bahadur Singh

ਸ਼ਰੀ ਆਰ. ਗਾਂਧੀ  
Sh. R. Gandhi

ਸ਼ਰੀ ਏ. ਕੇ. ਸੁਰਾਨਾ  
Sh. A. K. Surana

ਸ਼ਰੀ ਏਮ. ਵੀ. ਏਸ. ਪ੍ਰਸਾਦ  
Sh. M. V. S. Prasad

### ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ General Managers

ਸ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  
ਮੁੱਖ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ  
S. Devinder Singh  
Chief General Manager

ਸ. ਏਚ. ਏਸ. ਲਾਮਬਾ  
S. H. S. Lamba

ਸ. ਜੀ. ਏਸ. ਬਿੰਦ੍ਰਾ  
S. G. S. Bindra

ਸ਼ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ  
ਮੁੱਖ ਸਤਰਕਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ  
Sh. Dinesh Kumar Gupta  
Chief Vigilance Officer

ਸ. ਜੀ. ਏਸ. ਰੇਖੀ  
S. G. S. Rekhi

ਸ. ਪੀ. ਏਸ. ਘਾਵਰੀ  
S. P. S. Ghawri

ਸ. ਕੇ. ਏਸ. ਸਚਦੇਵਾ  
S. K. S. Suchdeva

ਸ. ਏਚ. ਏਸ. ਮਕਕੜ  
S. H. S. Makker

ਸ. ਜੇ. ਏਸ. ਕੋਚਰ  
S. J. S. Kochar

ਸ਼ਰੀ ਰਵਿ ਕੁਮਾਰ  
Sh. Ravi Kumar

### ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਕ Auditors

ਕੇ. ਬੀ. ਚਾਂਦਨਾ ਐਂਡ ਕੰ.  
K. B. Chandna & Co.

ਬੰਸਲ ਸਿੰਘਾ ਐਂਡ ਕੰ.  
Bansal Sinha & Co.

ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਐਂਡ ਕੰ.  
Prasad Azad & Co.


ਬਲਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰਾ ਐਂਡ ਐਸੋਸਿਏਟਸ  
Balram Chandra & Associates

ਏਸ. ਲਾਲ ਐਂਡ ਕੰ.  
S. Lall & Co.




## ਕਾਰਜ-ਨਿਸ਼ਾਦਨ ਸੂਚਕ/Performance Indicators


ਕੁਲ ਵਪਸਾਯ/ Total Business




ਸ਼ੁਧ ਲਾਭ/Net Profit




ਸਕਲ ਐਨ ਪੀ ਐ(%) / Gross NPA(%)




ਸ਼ੁਧ ਐਨ ਪੀ ਐ(%) / Net NPA(%)



ਪ੍ਰਤਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਪਸਾਯ/ Business Per Employee



ਪ੍ਰਤਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭ/ Profit Per Employee







## निदेशक मंडल की रिपोर्ट 2008-09 / DIRECTORS' REPORT 2008-09

निदेशक मंडल 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, तुलना-पत्र और लाभ-हानि खाते को प्रस्तुत करते हुए वर्ष का अनुभव करता है।

The Board of Directors takes pleasure in presenting the Bank's Annual Report, the Balance-Sheet and Profit & Loss Account for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2009.

### आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2008 के दौरान वैश्विक आर्थिक स्थितियों में हलचल के कारण अनेक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को तेजी से आई गिरावट का सामना करना पड़ा। वर्ष की चौथी तिमाही तक वैश्विक मंदी से सम्बद्ध प्रतिकूल आघात उभरती हुई संपूर्ण बाजार अर्थव्यवस्थाओं (इएमई) में फैलते गए और इसने समकालिक वैश्विक मंदी को बल प्रदान किया जिसका पूर्वानुमान कोई भी न लगा सका।

वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति स्थितियों में तेजी से उतार-चढ़ाव देखा गया क्योंकि प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जुलाई 2008 तक व्यापक रूप से हेडलाइन मुद्रास्फीति मजबूत हुई लेकिन उसके बाद उसमें तेजी से गिरावट आई।

काफी चुनौतियों, विशेषकर वैश्विक अर्थव्यवस्था से अनेक चुनौतियों के होते हुए भी भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत अनुकूल रही है, इसके वित्तीय संस्थान और निजी कंपनी क्षेत्र मजबूत और शोधक्षम रहे हैं। तथापि, समष्टि आर्थिक प्रबंध ने कई अन्य उन्नत और उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अपेक्षाकृत भारत में वित्तीय और वास्तविक क्षेत्र दोनों में कम अस्थिरता बनाए रखने में सहायता की है।

व्यापक मुद्रा (एम 3) में वृद्धि, वर्ष-दर-वर्ष (वाई ओ वाई) आधार पर पिछले वर्ष की 21.2 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2009 के अंत में 18.4 प्रतिशत रही जो बैंक ऋण और पूंजी अंतर्वाह के विस्तार में कमी को दर्शाते हैं।

बैंकों की समग्र जमाशायियाँ, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर पिछले वर्ष की 21.7 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2009 के अंत में 18.8 प्रतिशत रही।

वाणिज्यिक क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की खाद्येतर ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) उद्योग की निधियों के अन्य स्रोतों के अत्यंत कम हो जाने के परिप्रेक्ष्य में अक्टूबर 2008 तक मजबूत बनी रही किंतु उसके बाद उसमें निरंतर गिरावट दिखाई दी। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा खाद्येतर ऋण पिछले वर्ष की 23.0 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2009 के अंत में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 17.5 प्रतिशत पर सामान्य बनी रही।

आरक्षित निधि और घरेलू चलनिधि पर निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में कमी के नकारात्मक प्रभाव को खुले बाजार परिचालनों, (ओएमओ) बाजार स्थिरीकरण योजना के मोचन और रुपए चलनिधि को बढ़ाने के अन्य उपाय किए गए। आरक्षित नकदी निधि अनुपात में परिवर्तन के प्रथम दौर के प्रभाव से आरक्षित निधि में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) पिछले वर्ष की 25.3 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 31 मार्च 2009 को 19.0 प्रतिशत हो गई।

### ECONOMIC SCENARIO

With the turbulence caused by global economic conditions during the year 2008, several advanced economies experienced their sharpest declines. The associated adverse shocks triggered a chain reaction across emerging market economies (EMEs) particularly by the fourth quarter of the year and accentuated the synchronized global slowdown, the scale of which nobody had been able to predict.

Inflationary conditions also witnessed sharp volatility during the year as headline inflation in major advanced economies firmed up considerably up to July 2008, but declined also sharply thereafter.

Notwithstanding several challenges, particularly from the global economy, the Indian economy remained relatively resilient, its financial institutions and private corporate sector remained sound and solvent. Furthermore, the macroeconomic management helped in maintaining lower volatility in both the financial and the real sectors in India relative to several other advanced and emerging market economies.

Growth in broad money (M3), year-on-year (y-o-y), was 18.4 per cent at end-March, 2009 as compared with 21.2 per cent a year ago, reflecting deceleration in the expansion of bank credit and capital inflows.

Aggregate deposits growth of banks, y-o-y, was 18.8 per cent at end-March 2009 as compared with 21.7 per cent a year ago.

Non-food credit growth (y-o-y) of SCBs to the commercial sector remained strong up to October 2008 on the backdrop of drying up of other sources of funds to industry but witnessed sustained deceleration thereafter. Non-food credit by SCBs was moderated to 17.5 per cent, y-o-y, at end-March 2009 as compared with 23.0 per cent a year ago.

The contractionary impact of decline in net foreign exchange assets on reserve money and domestic liquidity was offset by expansion through open market operations (OMOs), unwinding of MSS and other measures to augment rupee liquidity. Adjusted for the first round effect of the changes in CRR, reserve money growth (y-o-y) as on March 31, 2009 was lower at 19.0 per cent as compared with 25.3 per cent a year ago.



## वर्ष 2008-09 में बैंक का कार्य-निष्पादन

वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने चौतरफा उन्नति की। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख बातें निम्न प्रकार से हैं :-

## मूल वित्तीय मानदंडों के अंतर्गत कार्य-निष्पादन

## BANK'S PERFORMANCE IN 2008-09

During the year 2008-09, the Bank made significant all-round progress. The highlights of the Bank's performance during the year, as compared to those of the previous year are as under:-

## PERFORMANCE UNDER KEY FINANCIAL PARAMETERS

(रुपये लाखों में / Rs. in Lacs)

विवरण / Particulars	वर्ष की समाप्ति पर / Year Ended		प्रतिशत बदलाव %age change
	31.03.2009	31.03.2008	
ब्याज आय / Interest Income	324717	221929	46.32%
अन्य आय / Other Income	40769	31764	28.35%
कुल आय / Total Income	365486	253693	44.07%
कुल व्यय / Total Expenditure	292715	199427	46.78%
परिचालन लाभ / Operating Profit	72771	54266	34.10%
शुद्ध लाभ / Net Profit	43718	38236	14.34%
आस्तियों पर प्रतिफल / Return on Assets	1.26%	1.49%	-
शुद्ध ब्याज मार्जिन (एन आई एम) / Net Interest Margin (NIM)	2.91%	3.07%	-
सकल अनर्जक आस्तियां / Gross NPAs (%)	0.65%	0.74%	-
शुद्ध अनर्जक आस्तियां / Net NPAs (%)	0.32%	0.37%	-
पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio (%)	11.88%	11.57%	-
पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio (%) (Basel II)	14.35%	लागू नहीं / N.A.	-
ईपीएस / EPS	23.88*	5.15	-

\* पुनर्गठित इक्विटी पर / On Restructured Equity

## पूंजी एवं आरक्षित राशियां

वित्त मंत्रालय ने बैंक की पूंजी को निम्नानुसार पुनर्गठित करने की अनुमति दी है:

(राशि करोड़ों में)

विवरण	पुनर्गठन के बाद राशि	पुनर्गठन से पूर्व राशि
प्रदत्त पूंजी	183.06	743.06
नवीन बेमियादी ऋण प्रलेख	160.00	शून्य
बेमियादी गैर संचयी अधिमान शेयर	200.00	शून्य
बेमियादी संचयी अधिमान शेयर	200.00	शून्य
कुल	743.06	743.06

## CAPITAL & RESERVES

Ministry of Finance has allowed the restructuring of Bank's Capital as under:

(Amount in Crore)

Particulars	Post-Restructuring Amount	Pre-Restructuring Amount
Paid up Equity Capital	183.06	743.06
Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI)	160.00	Nil
Perpetual Non-cumulative Preference Shares (PNCPS)	200.00	Nil
Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)	200.00	Nil
Total	743.06	743.06





31.03.2008 को बैंक की शुद्ध मालियत 1505.23 करोड़ रुपए थी जोकि 31.03.2009 को बढ़कर 1634.33 करोड़ रुपए हो गई।


बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2009 को 11.88% रहा जबकि इसके लिए न्यूनतम निर्धारित आवश्यकता 9% है। कोर सी.आर.ए.आर. 6.99% होने के कारण बैंक के पास टीयर-II पूंजी बढ़ाने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 400 करोड़ रुपए के प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय व गौण (टीयर-II) बांड जारी किए गए।

## सकल व्यापार

31.03.2009 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के व्यापार में 37.31% की वृद्धि दर्ज की गई जोकि वर्ष 31.03.2008 के 43240.42 करोड़ रुपये के तुलना में 59373.75 करोड़ रुपये हो गया।

## लाभ

बैंक का शुद्ध लाभ इस वर्ष 437.18 करोड़ रुपये हो गया जो कि पिछले वर्ष के 382.36 करोड़ रुपये की तुलना में 14.34% अधिक रहा। बैंक के परिचालन लाभ में 34.10% की वृद्धि दर्ज की गई जोकि पिछले वर्ष के 542.66 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 727.71 करोड़ रुपए रहा।




The Bank has posted 14.34% growth in Net Profit from Rs.382.36 crore last year to Rs. 437.18 crore this year. Operating Profit of the Bank, however, increased by 34.10% at Rs.727.71 crore in comparison to Rs. 542.66 crore last year.

आस्तियों पर आय (आर.ओ.ए.) वर्ष 2007-2008 के 1.49% की तुलना में 1.26% रही।

The Return on Assets (ROA) stood at 1.26% as compared to 1.49% in the year 2007-08.

## जमा राशियां

बैंक की कुल जमा राशियों में 39.64% की वृद्धि दर्ज की गई जिससे शुद्ध अभिवृद्धि 9844.24 करोड़ रुपए होने से 31 मार्च 2009 को यह 34675.65 करोड़ रुपए हो गई जो कि 31 मार्च 2008 को 24831.41 करोड़ रुपए थी। बैंक की



Total deposits of the Bank registered a growth of 39.64% with net accretion of Rs.9844.24 crore, to reach Rs.34675.65 crore as on March 31, 2009 from Rs.24831.41 crore as on March 31, 2008. The cost of deposit of the Bank




जमा राशियों की लागत 6.92% रही। वर्ष के दौरान सी.ए.एस.ए. जमा राशि 9025 करोड़ रुपए से बढ़कर 9626 करोड़ रुपए हो गई।

stood at 6.92%. CASA deposit increased from Rs.9025 crore to Rs. 9626 crore during the year.

## अग्रिम

अभूतपूर्व गिरावट के कारण आई वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने अग्रिम क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। दिनांक 31.03.2008 को बैंक के कुल अग्रिम 18409.01 करोड़ रुपए की तुलना में 31.03.2009 को बढ़कर 24698.10 करोड़ रुपए हो गए, जिससे बैंक के कुल अग्रिमों में 34.16% की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष अग्रिमों पर प्रतिफल 11.21% था जो इस वर्ष बढ़कर 11.79% हो गया।

## ADVANCES




Advances portfolio of the Bank registered significant growth during the fiscal 2008-09 despite global economic slowdown experienced due to the unprecedented recession. The Bank's overall advances increased by 34.16% from Rs.18409.01 crore as on 31.03.2008 to

Rs. 24698.10 crore as on 31.03.2009. The yield on advances has moved up from 11.21% of previous year to 11.79% during the year

## प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

## PRIORITY SECTOR ADVANCES



बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 31.03.2008 को 6045 करोड़ रुपए से बढ़कर 31.03.2009 को 7388.41 करोड़ रुपए हो गए जो कि समायोजित शुद्ध बैंक ऋणों हेतु 40% के राष्ट्रीय लक्ष्य की तुलना में 40.13% है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में, प्राथमिकता क्षेत्र के सभी लक्ष्य प्राप्त करते हुए विभिन्न ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बैंक के प्रमुख अंग रहे। काश्तकार और अलिखित पट्टेदार किसानों सहित लघु एवं सीमांत किसानों को हमारा बैंक 7% के सस्ते दर पर व्यापक रुप से ऋण उपलब्ध करा रहा है।

The Priority Sector advances of the Bank rose from Rs.6045 crore as on 31.3.2008 to Rs. 7388.41 crore as on 31.3.2009, which stood at 40.13% of Adjusted Net Bank Credit as against national target of 40%. While achieving overall Priority Sector targets, various rural development and poverty alleviation programmes continued to be the thrust areas during the current fiscal. The Bank continued providing credit to small & marginal farmers including tenant farmers and oral lessees at cheaper interest rate of 7% p.a.



## सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग (एम.एस.एम.ई.)

## MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)

आरित गुणवत्ता, प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत विविध विकास, विशेषतः प्राथमिकता क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए, संरचनात्मक ऋण प्रदान किए गए। बैंक द्वारा अपनाई गई ऋण नीति के प्रमुख अंग, लघु और मझोले औद्योगिक क्षेत्र की ईकाईयां रही जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष-दर-वर्ष की 20% की वृद्धि दर की तुलना में, वर्ष 2008-09 के दौरान 57.08% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।



मनेसर में बैंक द्वारा वित्तपोषित एक एम एस एम ई इकाई  
One of the MSME Units Financed By the Bank at Manesar

While focusing on the asset quality, diversified growth under vital segments, especially Priority Sector, MSME and Infrastructure lending was maintained. Small & Medium Enterprises sector, a thrust area adopted by the Bank in its Credit Policy, consistently showed a remarkable increase of 57.08% during the year 2008-09 against GOI stipulation of 20% Y-O-Y growth.

भारत सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज के अनुसार, बैंक द्वारा एम.एस.एम.ई. उद्योगों को वर्तमान आर्थिक मंदी से उभारने हेतु कई कदम उठाए गए जैसे प्राप्ति पर मार्जिन कम करना, निर्यातकों को घटी दर पर ऋण उपलब्ध कराना, तरलता अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए अधिक ऋण के अतिरिक्त उद्योगों की समस्याओं के निराकरण हेतु अग्रिमों का पुनर्गठन/ऋण अवधि का पुनर्निर्धारण। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं के तुरंत निपटान तथा ऋण उपलब्धता में तेजी लाने हेतु, महत्वपूर्ण स्थानों पर ऋण केंद्रों की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त इन इकाईयों की शिकायतों को दूर करने के लिए आंचलिक स्तर पर विशेष देखभाल कक्षों का गठन किया गया।

In terms of the Stimulus Package announced by GOI, the Bank has taken several steps to overcome the current financial crunch faced by MSME sector by way of lowering margin requirements on receivables, extending concessional credit to exporters, enhanced credit to meet liquidity requirements, besides restructuring/rescheduling advances of the enterprises facing any problems. Loan Factories have been established at potential centers to accelerate credit flow and quicker disposal of credit requirements of MSME Sector in addition to Special Care Cells set up at Regional level to look after any grievances faced by these units.

## विशेष कृषि ऋण योजना

बैंक द्वारा पिछले अनेक वर्षों से लगातार दिए गए लक्ष्य के 100% से अधिक के ऋण कृषि क्षेत्र को दिए जा रहे हैं। इस वर्ष बैंक ने विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत 3015 करोड़ रुपये के लक्ष्य के एवज में 3295.29 करोड़ रुपए वितरित किए जोकि कुल लक्ष्य का 109.30% है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

## SPECIAL AGRICULTURAL CREDIT PLAN (SACP)

The Bank maintained Credit Flow to Agriculture more than 100% of the allocated target consecutively over the past several years. This year, Bank disbursed Rs 3295.29 crore under Special Agriculture Credit Plan against the target of Rs.3015 crore, achieving 109.30%. The performance for the last three years is as under:

(राशि करोड़ों में / Amt. in crore)

2006-07			2007-08			2008-09		
वार्षिक लक्ष्य/ Yearly Target	प्राप्ति/ Achievement	प्रतिशत/ %age	वार्षिक लक्ष्य/ Yearly Target	प्राप्ति/ Achievement	प्रतिशत/ %age	वार्षिक लक्ष्य/ Yearly Target	प्राप्ति/ Achievement	प्रतिशत/ %age
2122	2566.73	120.96%	2585	2654.28	102.68%	3015	3295.29	109.30%



## **अल्पसंख्यक समुदाय/महिला उद्यमियों का कल्याण**

पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों को वित्त पोषण के संबंध में बैंक की भूमिका विशिष्ट रही। वर्ष 2008-09 के दौरान इस श्रेणी में बैंक के अग्रिमों में 29.34% की वृद्धि हुई। महिला उद्यमियों को ऋण का प्रतिशत ए.एन.बी.सी. के राष्ट्रीय अनुबंध के 5% के एवज में 5.27% रहा।

## **अनुसूचित जाति/जनजाति उधारियों को ऋण**

बैंक द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/जनजाति को दिए गए अग्रिमों में वर्ष 2008-09 के दौरान 364.58 करोड़ रुपए की पर्याप्त वृद्धि हुई। 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति उधारियों से वसूली की स्थिति 48.9% रही।

## **अग्रणी बैंक योजना**

**अग्रणी जिलों में ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रतिस्थापित करना**

बैंक लुधियाना, फरीदकोट तथा मोगा जिलों में अग्रणी बैंक भूमिका बड़ी जिम्मेदारी से निभा रहा है। बैंक ने वर्ष के दौरान समस्त विकासोन्मुख कार्यक्रमों को वित्त प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाई तथा वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत इन जिलों में लक्ष्यों को पूरा किया। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अगुवाई के अंतर्गत हमारे बैंक ने पहले से ही लुधियाना में स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रतिस्थापित किया हुआ है। इसके अतिरिक्त मोगा एवं फरीदकोट जिलों में भी दो स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रतिस्थापित किये जाने संबंधी प्रक्रिया चल रही है।

## **बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फरीदकोट भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर सतलुज ग्रामीण बैंक कर दिया गया है ताकि लुधियाना (पंजाब) जिले के नए आबंटित कार्यक्षेत्र को भी शामिल किया जा सके। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के साथ-साथ विभिन्न मानदण्डों में अनुकूल प्रगति की है तथा वर्ष 2008-09 के दौरान 1.22 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है एवं शाखा नेटवर्क को बढ़ाकर 30 शाखाएं कर दी हैं।

## **कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2008**

भारत सरकार ने पात्र ऋण माफी/राहत देने तथा मुख्य रूप से ऋण की अवरुद्धता को समाप्त करने के उद्देश्य से कृषि ऋण एवं ऋण राहत योजना (ए डी डब्ल्यू डी आर एस), 2008 की घोषणा की ताकि पात्र ऋणग्रस्त किसान नए ऋण प्राप्त कर सकें। यह योजना बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक/वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुरूप तथा निर्धारित समय सीमा में सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई। इस योजना के अंतर्गत बैंक ने 47.72 करोड़ रुपए के लघु एवं सीमांत कृषकों के

## **WELFARE OF MINORITY COMMUNITY/ WOMEN ENTREPRENEURS**

The Bank excelled in lending to Minority Communities across the country and advances of the bank under this category have increased by 29.34% during the year 2008-09. The advances to Women Entrepreneurs stood at 5.27% against national stipulation of 5% of ANBC.

## **ADVANCES TO SC/ST BORROWERS**

The Advances to SC/STs increased substantially to Rs.364.58 crore during the year 2008-09, as a consequence of special focus laid by the Bank. The recovery position of SC/ST borrowers as on 31.3.2009 stood at 48.9%.

## **LEAD BANK SCHEME**

**Setting up of RSETIs in Lead Districts**

The Bank has been entrusted Lead Bank responsibility in the districts of Ludhiana, Faridkot and Moga. Bank actively participated in financing all developmental programmes during the year and has achieved the targets in these districts under Annual Action Plan. In accordance with the initiative of Ministry of Rural Development, Government of India, our Bank has already established Rural Self Employment Training Institute (RSETI) at Ludhiana and is in the process of operationalizing another two RSETIs at districts of Moga and Faridkot.

## **RRB SPONSORED BY THE BANK**

Faridkot Bhatinda Kshetriya Gramin Bank, the RRB sponsored by the Bank has been renamed as Sutlej Gramin Bank with a view to give wide coverage to its expanded area of operation in new allocated district Ludhiana (Punjab). The RRB made consistent progress in various parameters including lending to Priority Sector and recorded a net profit of Rs.1.22 crore for the year 2008-09 and also expanded its branch network to 30 branches.

## **AGRICULTURE DEBT WAIVER & DEBT RELIEF SCHEME 2008**

Government of India announced **Agriculture Debt Waiver & Debt Relief Scheme (ADWDRS), 2008** for eligible indebted farmers by providing debt waiver/relief with the prime objective of de-clogging the choked line of credit and thus enabling them to have access to fresh loans. The scheme has been successfully implemented by the Bank within the time frame and in accordance with the RBI/MOF guidelines. Under the scheme, Bank has waived 15375 loans of 'small & marginal farmers'





15375 ऋण माफ किए तथा 31 मार्च 2009 तक 6667 "अन्य कृषकों" को 18.38 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 2.64 करोड़ रुपए के प्रभार एवं ब्याज भी उधारियों के खातों से प्रत्यावर्तित किए गए तथा यह राशि बैंक द्वारा वहन की गई। साथ ही 2136 खातों की 36.43 करोड़ रुपयों की राशि को बट्टे खाते डाला गया जिसके एवज में सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का कोई दावा नहीं किया गया। बैंक ने कृषकों से प्राप्त राशि के संबंध में वर्तमान मूल्य पर हानि के लिए 0.65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।



माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने हमारी राजपुरा शाखा में कृषि ऋण माफ एवं ऋण राहत योजना के कार्यान्वयन को देखने के लिए दौरा किया।  
Hon'ble Finance Minister Shri P. Chidambaram paid a visit to Rajpura branch to oversee Bank's implementation of Agriculture Debt Waiver & Debt Relief scheme

amounting to Rs.47.72 crore and provided Rs.18.38 crore as Debt Relief to 6667 'other farmers' up to 31<sup>st</sup> March 2009. In addition, charges and interest amounting to Rs.2.64 crore has also been reversed from the borrowers' accounts and borne by the Bank. Besides this, the Bank has technically written-off Rs. 36.43 crore in 2136 accounts against which no reimbursement has been claimed from the Government. The Bank has made a provision of Rs. 0.65 crore towards loss in Present Value terms on account of amount receivable from farmers.

## नए आयाम

- सूक्ष्म तथा लघु उद्यमियों को ऋण प्रमोट करने के उद्देश्य से, बैंक ऐसे उद्यमियों द्वारा उपयोग किए गए 5 लाख रुपए तक के ऋणों की वैध गारंटी फीस तथा वार्षिक सेवा शुल्क स्वयं वहन करेगा।
- बैंक ने एल.आई.सी. के सहयोग से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के उत्थान के लिए जन श्री बीमा योजना लागू की है।
- बैंक ने साहूकारों से कृषकों के उदारीकरण हेतु "कर्ज अदला-बदली योजना" लागू की।
- बैंक ने अपनी शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रधान मंत्री न्यू इम्प्लाइमेंट जेनरेशन प्रोग्राम क्रियान्वित किया।
- उचित एवं प्रतियोगी दरों पर ऋण उपलब्धता के उद्देश्य से बैंक ने विभिन्न नवीनतम आर्स्ति उत्पाद भी जारी किए जोकि उसके ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करेंगे।

## आर्स्ति गुणवत्ता


वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने आर्स्ति गुणवत्ता को सुधारने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। यद्यपि समन्वित तथा निरंतर प्रयासों तथा सरफेसी एक्ट, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई से कुल तथा निवल एनपीए 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 0.74% तथा 0.37% के स्तर की तुलना में 0.65% तथा 0.32% हो गए।

## NEW INITIATIVES

- To promote lending under Micro and Small Enterprises, Bank will bear the upfront guarantee fee and annual service fee for loans up to Rs.5 lacs availed by such enterprises for CGTMSE coverage.
- Jana Shree Bima Yojna (JBY) implemented by the Bank in liaison with LIC of India for promotion of women SHGs.
- Bank introduced "Debt Swapping Scheme" for liberating farmers indebted to moneylenders.
- Prime Minister's New Employment Generation Programme (PMEGP) implemented by the Bank through its network of branches.
- Bank also introduced/rationalized various innovative asset products to facilitate faster flow of credit at reasonable and competitive rates to cater to the needs of its clientele.

## ASSET QUALITY

The bank continued its efforts in improving the asset quality during the year 2008-09. Through the well coordinated & sustained efforts including action under SARFAESI ACT, 2002, the Gross & Net NPAs have been contained to 0.65% & 0.32% against the level of 0.74% & 0.37% as on 31.03.2008 respectively.



वसूली में आक्रामक एवं केंद्रित प्रयासों के चलते गैर-निष्पादित खातों में 300 करोड़ रुपये की कुल वसूली हुई।

### विदेशी विनिमय एवं राजकोष परिचालन

विदेशी विनिमय तथा देशी राजकोष दोनों का परिचालन साझा कारोबार कक्ष से होता है। नजदीकी समन्वय के परिणामस्वरूप उत्तम स्रोत प्रबंधन तथा लाभों में सुधार हुआ है।

31.03.2009 को समाप्त वर्ष के दौरान वाणिज्यिक लेनदेनों से संबंधित विदेशी विनिमय आवर्त 31.03.2008 को समाप्त वर्ष को 5380 करोड़ रुपए से बढ़कर 7786 करोड़ रुपए हो गई जोकि कुल वृद्धि का 44.72% है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान अर्जित विनिमय लाभ भी गत वर्ष के 17.68 करोड़ रुपए की तुलना में 28.94 करोड़ रुपये हो गया जोकि कुल वृद्धि का 64% है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक के कुल निवेश 48% की वृद्धि के साथ 12656.43 करोड़ रुपये थे। वर्ष 2008-09 के दौरान निवेशों पर औसत लाभ गत वर्ष में 7.72% की तुलना में 7.78% रहा जोकि संविभाग संघटन पर कंपनी आवश्यकताओं, जोखिम बोध एवं बैंक की निवेश नीति के अनुरूप है।

प्रतिभूतियों की बिक्री का लाभ गत वर्ष के 17.51 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 118.90 करोड़ रुपये रहा।

### आर.टी.जी.एस तथा एन.ई.एफ.टी.

निधियों के अन्तः-बैंक एवं बाह्य-बैंक अंतरण के तीव्र प्रेषण को आर.टी.जी.एस, एन.ई.एफ.टी. तथा पी.एस.बी.ई.फण्ड के माध्यम से बैंक ने 153 शाखाओं में सुविधाजनक बनाया है। 31 मार्च 2009 की स्थिति अनुसार मेल मैसेजिंग सहित विभिन्न उपादानों के संचालन के लिए 341 शाखाओं/कार्यालयों में कनेक्टिविटी संस्थापित की है।

The aggressive & focused efforts in Recovery could result in the total recovery of over Rs. 300.00 crore in the Non Performing Accounts.

### FOREIGN EXCHANGE & TREASURY OPERATIONS

Foreign Exchange and Domestic treasuries are both operating through common dealing room. A close co-ordination resulted in better resource management and improved profits.

During the year ended 31.03.2009, Foreign Exchange turnover related to Merchant transactions increased to Rs.7786 crore from Rs.5380 crore as on 31.03.2008, an increase of 44.72%.

The exchange profit earned during the financial year 2008-09 also increased by 64% to Rs.28.94 crore as compared to Rs.17.68 crore during previous year.

The Bank's total investment increased by 48% during financial year 2008-09 to Rs.12656.43 crore, with a portfolio composition consistent with the corporate requirement, risk perception, and investment policy of the bank. The average yield on the investment for the year 2008-09 was 7.78% as against 7.72% for the previous year.

The profit on sale of securities for the year was Rs.118.90 crore as against Rs.17.51 crore for the previous year.

### RTGS & NEFT

Faster remittance of Inter-Bank and Intra-Bank transfer of funds has been facilitated through RTGS, NEFT and PSB e\_Fund at 153 branches. Connectivity has been established at 341 branches / offices as on 31<sup>st</sup> March 2009, to work as carrier for various applications including mail messaging.



## जोखिम प्रबंधन

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के संबंध में मार्गदर्शी निर्देशों एवं हिदायतों के अनुरूप 31.03.2009 से बासल -II अनुपालन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

विभिन्न स्वरूप के जोखिमों की पहचान, संगणना और प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रणाली के अनुरूप बैंक ने समुचित जोखिम प्रबंधन अभिकल्प की संस्थापना की है। एन.आई.बी.एम के साथ प्रारम्भिक परामर्श करके विभिन्न नीतिगत दस्तावेजों के विनिर्माण से बैंक में सुदृढ़ एवं प्रभावी नीतियों की संरचना का सृजन किया गया है, जो बैंक के दर्शन, नीति, नियोजन तथा दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.)/मंडल द्वारा वार्षिक आधार पर नीतियों की पुनरीक्षा की जाती है।

## ऋण जोखिम

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) द्वारा ऋण जोखिम तथा नीति निर्माण का प्रबंधन किया जाता है। इस समिति द्वारा उद्योग, कार्पोरेट, रिटेल तथा व्यक्ति/समूह ऋणकर्ताओं की निगरानी नियमित रूप से की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी -निर्देशों के अनुरूप बैंक ने ऋण जोखिमों के लिए मानक दृष्टिकोण को अपनाया है। बैंक 30.06.2006 से तिमाही आधार पर नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के अनुसार सी.आर.ए.आर. की संगणना के लिए समानान्तर प्रक्रिया कर रहा है।

एक व्यापक ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क जिसमें कारपोरेट तथा रिटेल ऋणों के लिए ऋण जोखिम रेटिंग माडल, जोखिम निर्धारण से संबंधित ऋणों का मूल्यांकन तथा ऋण रेटिंग, उद्योगों/पोर्टफोलियो के अध्ययन एवं विश्लेषण और ऋण रेटिंग के उत्प्रास का प्रयोग किया जा रहा है। बैंक पहले से ही रेटिंग के उत्प्रास, पी.डी की संगणना (अदायगी न होने की सम्भावना) प्रणाली शुरू कर चुका है और हानि के आंकड़ों को इकट्ठा करने का कार्य आरम्भ कर दिया है। कुछ समयावधि में आंकड़ों की संरचना से बैंक बासल-II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण को यथासमय सुगमता से लागू कर पाएगा।

## बाजार जोखिम

परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आलको) बाजार जोखिमों के प्रबंधन पर निगरानी रखती है। यह परिसम्पत्ति एवं देयता उत्पादों तथा बैंक की ब्याज दर ढाँचे पर नियमित रूप से निगरानी रखती है, और बाजार की स्थिति के अनुरूप ब्याज - ढाँचे को नियंत्रित करती है। यह स्वतंत्र मिड-ऑफिस के माध्यम से विदेशी विनिमय तथा कोष ऋणों की निगरानी एवं युक्तिसंगत सीमांकन का अनुरक्षण करती है। वर्तमान में बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार का परिकलन, संशोधित अवधि द्वारा ब्याज दर से जुड़े प्रलेखों की मूल्य संवेदनशीलता द्वारा प्राप्त किया जाता है।

## RISK MANAGEMENT

The Bank has achieved Basel-II compliance, w.e.f. 31.03.2009, in terms of the guidelines and directions of the Reserve Bank of India on the New Capital Adequacy Framework.

The Bank has put in place an appropriate Risk Management Architecture with suitable systems to identify measure and manage different types of risks. With the initial consultancy from NIBM, a robust and effective policy framework has been created with the formulation of various policy documents which spell out Bank's philosophy, strategy, planning and vision. The policies are reviewed annually by the Risk Management Committee (RMC)/Board.

## CREDIT RISK

Credit risk and policy formulation are managed by Credit Risk Management Committee (CRMC). It regularly monitors prudential caps in different loan segments including industry, corporate, retail and individual/group borrowers. In keeping with the RBI guidelines, the Bank has adopted Standardized Approach for credit risks. The Bank has been undertaking parallel run for computation of CRAR in terms of New Capital Adequacy Framework since 30.06.2006, on quarterly basis.

Comprehensive credit rating framework comprising of Credit Risk Rating Models for Corporate and Retail Loans, pricing of loans linked to risk assessment and credit rating, study & analysis of industries/portfolio, migration of credit ratings is being undertaken. The Bank is already conducting Migration of Rating, Calculation of PD (Probability of Default) and has started collecting Loss Data. With the build up of data over a period of time, the Bank shall smoothly migrate to Advance Approach under Basel-II in due course.

## MARKET RISK

The Asset Liability Management Committee (ALCO) oversees the management of market risks. It regularly reviews assets & liability products and alignment of interest rates structure of the bank is done according to the market conditions. It also monitors Forex and Treasury exposures and maintenance of prudential limits through an independent Mid-office. Presently capital charge on market risk is calculated after applying Modified duration to arrive at the price sensitivity of an interest rate related instruments.



## परिचालनगत जोखिम

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.) परिचालनों से जुड़े जोखिमों से संबंधित मामलों पर निगरानी रखती है और आकस्मिक स्थितियों में व्यवसाय की सतत/पुनः स्थापना सुनिश्चित करती है। वर्तमान में संचालक जोखिम संबंधी पूंजी प्रभार मूलभूत सूचकांक दृष्टिकोण के अनुसार संगणित किया जाता है।

बासल-II मार्ग-दर्शी निर्देशों के पिलर-I के अंतर्गत विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की बैंक की संगणना के साथ-साथ आकार, जटिलता के स्तर, जोखिम कारोबार तथा बैंक के कार्य संचालन की परिधि के अनुरूप पूंजी आवश्यकता निर्धारण के लिए पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया नीति तैयार की गई है। विभिन्न तनाव स्थितियों के सम्भावित प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए तनाव परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है तथा बैंक की लाभप्रदता को इन आघातों को सहने की क्षमता और इसके फलस्वरूप बैंक की पूंजी पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ जोड़ा जाता है।

बैंक बासल-II मार्ग-निर्देशों के अन्तर्गत उन्नत दृष्टिकोण की दिशा में अग्रसर होने के लिए पहले से प्रयासरत है। बैंक ने स्टाफ के लिए विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था, कार्यशालाओं का आयोजन, एक कोर समिति का गठन किया तथा समर्पित साफ्टवेयर सोल्यूशंस को उपलब्ध करवा रहा है।

## सूचना- प्रौद्योगिकी

वर्ष के दौरान बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी नीति तथा भारतीय रिजर्व बैंक प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण दस्तावेज, 2008-10 के अनुरूप सी.बी.एस. नेटवर्किंग, ए.टी.एम. संस्थापना एवं सी.टी.एस. परियोजना पर जोर दिया गया है।

बैंक ने ग्राहकों को विभिन्न उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए 10 शाखाओं में कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्रियान्वित किया है। ए.टी.एम. संचालन के बैंक आफिस में भी सी.बी.एस. क्रियान्वित किया है।



सरदार आर. पी. सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय सिद्धार्थ एन्क्लेव शाखा में एटीएम का उद्घाटन करते हुए  
S. R. P. Singh, Chairman and Managing Director inaugurating the ATM at Sidhartha Enclave Branch

“कहीं भी-कभी भी” सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष के दौरान बैंक ने ग्राहकों के लिए ऑन-लाईन ए.टी.एम. सेवाओं का शुभारम्भ किया। दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर, मुम्बई, जयपुर

## OPERATIONAL RISK

The Operational Risk Management Committee (ORMC) oversees on matters relating to risks associated with operations and ensures the continuity/ restoration of business in the event of contingency. Presently, capital charge on operational risk is calculated as per Basic Indicator Approach.

In addition to Bank's calculation of regulatory capital requirements under Pillar-I of Basel-II guidelines, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy has been formulated to assess the capital requirement commensurate with the size, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank. Stress Testing exercises are undertaken to assess the likely impact of various stress situations and relate it to capacity of Bank's profitability to absorb the shock and consequent impact on Bank's capital.

Bank is already endeavoring to move towards the advance approaches under Basel-II guidelines. Bank has arranged training for staff at different institutions, organized workshops, constituted a Core team and intends to source dedicated software solutions.

## INFORMATION TECHNOLOGY

During the year, the bank has embarked upon CBS, Networking, ATM deployment & CTS project in line with Bank's IT policy and RBI's Technology Vision document 2008-10.

The bank has implemented Core Banking Solution at 10 branches offering various products & services to customers. CBS has also been implemented in back-office of ATM operations.

On-Line ATM services for Bank customers have been launched during the year offering anytime-anywhere services. 43 on-site ATMs have been operationalized in branches located in Delhi, NOIDA, Faridabad,





तथा लखनऊ स्थित शाखाओं में 43 आन-लाईन ए.टी.एम. शुरू किए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की सी.टी.एस. परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की शाखाओं में चल रही है। इस समय एन.सी.आर. दिल्ली में बैंक का करीब 50% समाशोधन कार्य सी.टी.एस.प्रणाली के माध्यम से सम्पन्न हो रहा है।

रिटेल ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग शुरू कर दी गई है और शीघ्र ही सी.बी.एस. ग्राहकों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

### संगठन एवं अनुसमर्थक सेवायें

31 मार्च 2009 की स्थिति- अनुसार देश के 24 राज्यों तथा 2 संघशासित क्षेत्रों में 912 शाखाएं, 10 करेंसी चेस्ट सहित 5 आई.एस.ओ. -9001-9002 प्रमाणित शाखाएं हैं तथा 16 नई शाखाएं खोली गई हैं और 28 विस्तार काउंटरों को वर्ष 2008-09 के दौरान विशिष्ट अवस्थिति तथा व्यावसायिक क्षमता के दृष्टिगत पूर्ण सामान्य बैंकिंग शाखाओं के रूप में प्रोन्नत किया गया है। बैंक ने अंचल कार्यालयों का भी पुनर्गठन किया है तथा वर्तमान अंचल कार्यालयों में एक नये अंचल कार्यालय का अमृतसर (ग्रामीण) नाम से सृजन किया है ताकि बैंक के व्यवसाय का और विकास किया जा सके। सरकारी कारोबार में वृद्धि करने के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान एक नया सरकारी कारोबार विकास विभाग भी खोला गया है।

### मानव संसाधन विकास

बैंकिंग उद्योग में वर्तमान प्रतिस्पर्धी वातावरण में, यह और भी महत्वपूर्ण है कि स्टाफ को प्रौद्योगिकी, प्रणाली, प्रक्रियागत तथा कानूनी पहलुओं इत्यादि के नवीनतम विकास से सुविज्ञ रखा जाए। इसके दृष्टिगत, बैंक ने निरन्तर प्रशिक्षण पर जोर दिया है और वर्ष 2008-09 के दौरान ज्ञान के विभिन्न आयामों को लेकर बैंक के प्रशिक्षण कालेजों में 212 कार्यक्रम संचालित किए हैं जिनमें सभी संवर्गों के 2869 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, शीर्षस्थ संस्थानों में 16 अधिकारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया है।

Ghaziabad, Amritsar, Ludhiana, Jalandhar, Hoshiarpur, Mumbai, Jaipur and Lucknow.

The CTS project of RBI is running live in NCR Delhi branches. At present about 50% of the clearing volume of the Bank in NCR is received through CTS system.

Internet banking for retail customers has been soft launched & shall be offered to CBS customers shortly.

### ORGANISATION & SUPPORT SERVICES



कार्यकारी निदेशक, सरदार जी. एस. वेदी, बैंक की शाखा मुखर्जी नगर, दिल्ली का उद्घाटन करते हुए। उनके साथ खड़े हैं महाप्रबंधक सरदार एच. एस. मक्कड़ तथा सरदार जी. एस. रेखी  
Executive Director S. G. S. Vedi, is seen inaugurating Bank's branch at Mukherjee Nagar, Delhi. Other officials in the picture are General Managers S. H. S. Makker & S. G. S. Rekhi

As on 31st March 2009, the Bank had 912 branches and 10 currency chests including 5 ISO 9001-9002 certified branches spread over 24 states and 2 Union Territories. 16 new branches were opened and 28 Extension Counters were upgraded into full-fledged General Banking Branches based on location specific and business potential during 2008-2009. The bank had also restructured Zonal Offices and one new Zonal Office namely Amritsar (Rural) has been created out of existing Zonal Offices to

provide impetus for the growth of Bank's business. To increase the Government Business, a new Government Business Development Department has also been opened during the financial year 2008-09.

### HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

In the current competitive environment in the banking industry, it is all the more important to keep the staff abreast of the latest developments in technology, system and procedures, legal aspects etc. With this view, the Bank continued emphasis on training and conducted 212 programs at Bank's Training Colleges in different areas of knowledge during the year 2008-09 in which training was imparted to 2869 employees of all cadres. Besides, 16 officials were deputed for specialized training programmes at apex level institutes.



31.03.2009 की स्थितिनुसार बैंक में कुल स्टाफ संख्या 8700 थी, जिनमें 5899 अधिकारी, 1435 लिपिक तथा 1366 अधीनस्थ स्टाफ है। वर्ष के दौरान स्टाफ का प्रोत्साहन स्तर बनाए रखने के दृष्टिकोण से सभी संवर्गों में पदोन्नतियों को कार्यरूप दिया। इसके अलावा कर्मचारी स्टाफ के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए 1369 लिपिकों को एक बारगी पदोन्नति प्रक्रिया के अंतर्गत पदोन्नत करने के साथ-साथ 55 अंशकालीन सफाई कर्मचारियों को स्वीपर – एवं –चपरासी के रूप में पदनामित किया गया।

सरकार की आरक्षण नीतियों के अनुसार एक महा प्रबंधक को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए मुख्य सम्पर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

बैंक में औद्योगिक संबंध वर्ष-पर्यन्त सौहार्दपूर्ण रहे हैं। कामगार और अधिकारी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न स्तरों पर बैंक प्रबंधन के साथ विकासात्मक एवं अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श में भाग लिया।

### आन्तरिक नियंत्रण

बैंक में एक सुस्थापित निरीक्षण विभाग है, जो बैंक की प्रणाली, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के पालन की पड़ताल करता है। आन्तरिक नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं पर भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, बोर्ड तथा ए.सी.बी. से प्राप्त मार्गदर्श-निर्देशों को कार्यान्वित किया गया है। योजना के अनुसार सभी पात्र शाखाओं का नियमित निरीक्षण, संगामी लेखा-परीक्षा, जोखिम आधारित आन्तरिक लेखा परीक्षा, राजस्व लेखा-परीक्षा का संचालन किया गया है। बैंक ने व्यावसायिक प्रक्रिया के अनुरूप सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा के लिए कार्यप्रणाली को कार्यान्वित किया है। यह लेखा-परीक्षा सीआईएसए/डीआईएसए आहर्ता प्राप्त आन्तरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा संचालित की जा रही है।

संचालनगत स्तर पर बैंक के मानदण्डों के कार्यान्वयन के स्तर पर प्रबंधन के वृहद फीड – बैंक प्रदान करने के लिए नियमित शाखा निरीक्षण रिपोर्ट एक कारगर साधन है, और नियंत्रण का यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत निरीक्षण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई टिप्पणियों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया और उनमें सुधार किया गया।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और कार्यकुशलता तथा अन्य महत्वपूर्ण पक्ष जैसे शाखाओं का योग्यता क्रम निर्धारण, भारि. बैंक/आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट का अनुपालन तथा नोस्ट्रो/वोस्ट्रो खातों के समायोजन आदि की समीक्षा आवधिक रूप से बोर्ड की ऑडिट कमेटी द्वारा की जाती है।

### सतर्कता

सतर्कता मामलों का समयबद्ध निपटान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। इस वर्ष 58 मामले लम्बित हैं जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 75 थी।

कदाचार तथा भ्रष्टाचार की गुंजाइश को समाप्त/कम करने के लिए वर्तमान प्रणाली और प्रक्रिया के साथ अन्य निवारक उपायों की समीक्षा निरंतर की जाती है।

The total staff of the Bank as on 31.03.2009 stood at 8700 comprising of 5899 officers, 1435 clerks and 1366 sub-staff. During the year, bank effected promotions in all the cadres so as to keep up the motivational level of the staff. Further, in order to remove stagnation amongst workmen staff, 1369 clerks have been promoted under One Time Promotion Process and also 55 part time safai karamcharis were redesignated as Sweeper-cum-Peon during the year.

In terms of Government Reservation Policy, a General Manager has been designated as a Chief Liaison Officer for SC/ST employees.

The industrial relations in the Bank remained cordial throughout the year. The representatives from Workers and Officers unions participated in various discussions on developmental and other issues with the management at various levels.

### INTERNAL CONTROL

The Bank has a well established Inspection department that examines the adherence to systems, policies and procedures of the bank. The guidelines received on various issues of internal control from RBI, Government of India, Board and ACB have been implemented. The regular Inspections, Concurrent Audit, Risk Based Internal Audit, Credit Audit, Revenue Audit of all the eligible branches were conducted as per plan. The bank has implemented a framework for Information System Audit in tune with the business process. This audit is being conducted by CISA / DISA qualified internal as well external auditors.

The Regular Branch Inspection Report is the most comprehensive feed back to the Management about the degree of compliance of the Bank's norms at the operational level and hence the most important tool for control. The observations made by RBI during Inspection U/S 35 of Banking Regulation Act 1949 were well received and rectified.

The Audit Committee of the Board periodically reviewed the adequacy and efficacy of the internal control system and other important aspects such as rating of branches, compliance of RBI/Internal inspection reports and Reconciliation of Nostro / Vostro Accounts etc.

### VIGILANCE

Time bound disposal of vigilance cases has been a thrust area. The number of pending cases now stands at 58 as against 75 last year.

Along with other preventive measures, review of existing systems & procedures was undertaken on an ongoing basis with a view to eliminate / minimize the scope for corruption and malpractices.



धोखाधड़ी की रोकथाम, पहचान हेतु बैंक ने वर्ष 2008-09 के दौरान 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में भी लाया गया। वर्ष के दौरान बड़े मूल्य (रु. 1 करोड़ तथा उससे ऊपर) की धोखाधड़ी का कोई भी मामला सामने नहीं आया / रिपोर्ट नहीं किया गया।

### सुरक्षा व्यवस्था

बैंक की अपनी एक सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है। आंचलिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से सुरक्षा निरीक्षण किए जाते हैं जिनकी निगरानी प्रधान कार्यालय द्वारा बड़ी गम्भीरता से की जाती है। फलस्वरूप बैंक में सुरक्षा प्रबंधों में प्रत्यक्ष रूप से सुधार हुआ है। सभी शाखाओं को एक बंदूकधारी गार्ड तथा इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

सभी करेंसी चेस्टों में भारि.बैंक के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार सीसीटीवी लगाए गए हैं। गैर-चेस्ट शाखाओं में 26 सीसीटीवी लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

### राजभाषा अनुपालन

वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के प्रचार-प्रसार में आशातीत प्रगति की तथा विभिन्न अन्य साविधिक अनिवार्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया। वर्ष के दौरान 78 हिंदी तथा 6 पंजाबी कार्यशालाओं का आयोजन कर 1455 कर्मिकों को प्रशिक्षित किया। इसके अतिरिक्त 707 हिंदी डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा 3814 कर्मिकों को हिंदी के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया। बैंक में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कुल 710 शाखाओं / विस्तार पटलों

तथा कार्यालयों के राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किए गए। भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लक्ष्यों की बैंक द्वारा प्राप्ति की गई।

इस वर्ष, बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली द्वारा बैंक के प्रधान कार्यालय को बैंक में राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन तथा सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। बैंक की आंतरिक हिंदी पत्रिका "राजभाषा अंकुर" को सर्वोत्तम प्रकाशन वर्ष में दिल्ली बैंक नगराकास की ओर से द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।


5 training programmes on fraud prevention, detection & reporting to RBI were conducted by the bank during 2008-09. No large value fraud (Rs. 1 crore & above) has been detected / reported during the year.

### SECURITY ARRANGEMENTS

The Bank has in place a well laid security management system. Regular security inspections are carried out by Zonal Security Officers and are closely monitored by Head Office. As consequence, there is an overall improvement in the security arrangements in the Bank. All branches are provided with an armed guard and electronic security gadgets.

CCTV systems at all Currency Chests have been installed in accordance with the compliance of RBI guidelines. Installation of 26 CCTVs in Non Chest branches is in process.

### IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE



प्र. का. राजेन्द्र प्लेस में आयोजित हिन्दी दिवस के दौरान स. आर. पी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बैंक अधिकारियों को संबोधित करते हुए।  
S. R. P. Singh, Chairman & Managing Director addressing the Bank officials on the occasion of Hindi Day celebration at H. O. Rajendra Place New Delhi

During 2008-09, the Bank made a significant progress in promoting and propagating the use of Official Language and ensured compliance of various other statutory requirements. 78 Hindi and 6 Punjabi workshops were organized during the year and a total of 1455 employees were trained. In addition, 3814 employees were also trained through 707 Hindi Desk Training programmes. A total of 710 branches / extension counters / offices were inspected to review the progressive use of

Official Language Policy in the Bank. The targets stipulated by the Government of India were achieved by the Bank.

This year, Delhi Town Implementation Committee honoured the Bank's Head Office with Third prize for best work performance in implementing the Official Language Policy in the Bank. The Bank's in-house Hindi magazine **Rajbhasha Ankur** was awarded second prize for the best publication by Delhi Bank Town Official Language Implementation Committee.



आंचलिक कार्यालय, कोलकाता को हिंदी के उत्कृष्ट कार्यों के लिए 'श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र' तथा आंचलिक कार्यालय, लुधियाना को हिंदी में विशेष योगदान के लिए शील्ड प्रदान की गई। बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पुणे द्वारा वर्ष 2008 के लिए पुणे स्थित शाखा को उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

Zonal Office Kolkata was bestowed with Best Performance Certificate for outstanding work in Hindi and Zonal Office Ludhiana was awarded shield for extra ordinary contribution to promote Hindi. The Pune branch of the bank is honoured with First prize for best implementation of Rajbhasha for the year 2008 by the Bank Town Implementation Committee, Pune.

## खेलकूद

बैंक उभरते हुए हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अकादमी चला रहा है। बैंक की हॉकी टीम ने अखिल भारतीय सुरजीत मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट में विजय प्राप्त की जो प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से एक है तथा बैंक अखिल भारतीय बेटन कप हॉकी टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से विजयी रहा। बैंक की हॉकी अकादमी के साथ-साथ जूनियर हॉकी टीम ने भी अखिल भारतीय स्तर के टूर्नामेंटों में विजय प्राप्त कर बैंक के नाम को चार चांद लगाए।



बैंक की हॉकी टीम ने अखिल भारतीय सुरजीत मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट – 2008 में विजय प्राप्त की।

The Bank's Hockey Team won the All India Surjit Memorial Hockey Tournament-2008

## SPORTS

The Bank runs an academy for training the budding hockey players. The Bank's hockey team won the All India Surjit Memorial Hockey Tournament, which is one of the prestigious tournaments and also was joint winners in the All India Beghtion Cup Hockey Tournament. The Bank's Hockey Academy as well as Junior Hockey team also brought laurels to the Bank by winning All India level tournaments.

## निदेशक मंडल की संरचना

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं हस्तांतरण उपक्रम) अधिनियम 1980 तथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 के अनुसार किया गया है और जिसका प्रतिनिधित्व विविध प्रकार के व्यवसायिक अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है।

वर्ष 2008-09 के अंत में बोर्ड में दो पूर्णकालिक निदेशक यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक के अतिरिक्त ग्यारह अन्य निदेशक थे जिसमें वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग के प्रतिनिधि तथा भारत सरकार द्वारा नामित पाँच अंश कालिक गैर-अधिकारी निदेशक शामिल थे।

बैंक के मामलों तथा आवश्यक कार्यक्षेत्रों पर नियंत्रण हेतु, बोर्ड द्वारा बनाई गई निम्न समितियां कार्यरत हैं।

## CONSTITUTION OF BOARD OF DIRECTORS

The Bank's Board is constituted in accordance with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980 read with the Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 as amended and is represented by persons with diversified professional experience.

At the end of the year (2008-09), the Board comprised of two whole-time Directors viz. Chairman & Managing Director and Executive Director besides eleven other Directors including representatives of Ministry of Finance, Reserve Bank of India, Workmen Representative, Officer Employees' Representative and five Part Time Non-Official Directors appointed by the Government of India.

Following committees of the Board are in place to oversee the important functional areas and control the affairs of the Bank:





- ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਿਤਿ
- ਔਡਿਟ ਸਮਿਤਿ
- ਜੋਖਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਿਤਿ
- ਬਡੇ ਮੂਲ੍ਯ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜਿਯੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਤੁ ਸਮਿਤਿ
- ਸਤਰਕਤਾ ਸਮਿਤਿ
- ਗ੍ਰਾਹਕ-ਸੇਵਾ ਸਮਿਤਿ
- ਪਾਰਿਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਮਿਤਿ
- ਅਪੀਲ ਸਮਿਤਿ

31 ਮਾਰਚ 2009 ਕੋ ਸਮਾਪਤ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਕੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਮੈਂ ਨਿਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁਏ:

ਦਿਨਾਂਕ 02.04.2008 ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਗਾਂਧੀ ਕੋ ਅਤਿਰਿਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਕੇ ਰੂਪ ਮੈਂ ਨਾਮਿਤ ਕਿਆ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਦਿਨਾਂਕ 28.04.2008 ਕੋ ਟ੍ਰਾਗ-ਪਤਰ ਦਿਆ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਨਾਂਕ 10.06.2008 ਕੋ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿਤਾ ਕਪੂਰ ਕੇ ਸਥਾਨ ਪਰ ਡੌ. ਅਨੂਪ ਕੇ. ਪੁਜਾਰੀ ਕੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਯ ਕੇ ਨਾਮਿਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਕੇ ਰੂਪ ਮੈਂ ਨਾਮਾਕਿਤ ਕਿਆ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਸ਼ਣ ਮੁਰਾਰੀ ਗੰਗਾਵਤ ਕੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਨਾਂਕ 10.07.2008 ਕੋ ਅੰਸ਼ ਕਾਲਿਕ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨਾਮਿਤ ਕਿਆ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ. ਐਸ. ਵੇਦੀ ਕੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਨਾਂਕ 16.10.2008 ਕੋ ਬੈਂਕ ਕੇ ਕਾਰਯਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਕੇ ਰੂਪ ਮੈਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਆ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਚੰਦ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਨਾਂਕ 04.12.2008 ਕੋ ਅੰਸ਼ ਕਾਲਿਕ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨਾਮਿਤ ਕਿਆ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਐ. ਕੇ. ਸੁਰਾਨਾ ਕੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਨਾਂਕ 31.12.2008 ਕੋ ਅੰਸ਼ ਕਾਲਿਕ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਸੀ.ਐ.ਐਸ਼ੇਜੀ) ਕੇ ਰੂਪ ਮੈਂ ਨਾਮਿਤ ਕਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਨਾਂਕ 27.01.2009 ਕੋ ਡੌ. ਅਨੂਪ ਕੇ. ਪੁਜਾਰੀ ਕੇ ਸਥਾਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐ.ਭਟਾਚਾਰਯਾ ਕੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਯ ਕੇ ਨਾਮਿਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਕੇ ਰੂਪ ਮੈਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਆ ਗਿਆ।

ਵਰ੍ਹੇ 2008-09 ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪੌਂਚ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਿਤਿ ਦੀ ਸਾਤ ਤਥਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਔਡਿਟ ਸਮਿਤਿ ਦੀ ਚੁ: ਬੈਠਕੇਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀ ਗਈ।

## ਸਾੰਵਿਧਿਕ ਲੇਖਾ ਪਰੀਕਸ਼ਾ

ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮੈ. ਕੇ. ਬੀ. ਚਾਂਦਨਾ ਐਂਡ ਕੰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ; ਮੈ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਜ਼ਾਦ ਐਂਡ ਕੰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ; ਮੈ. ਐਸ. ਲਾਲ ਐਂਡ ਕੰ., ਪਾਨੀਪਤ; ਮੈ. ਬਲਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰਾ ਐਂਡ ਐਸੋਸਿਏਟਸ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤਥਾ ਮੈ. ਬੰਸਲ ਸਿੰਘਾ ਐਂਡ ਕੰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਮਾਰਚ 2009 ਕੋ ਸਮਾਪਤ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇ ਲਿਏ ਸਾੰਵਿਧਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰੀਯ ਲੇਖਾ ਪਰੀਕਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਆ ਗਿਆ।

- Management Committee
- Audit Committee
- Risk Management Committee
- Committee to Monitor Large Value Frauds
- Vigilance Committee
- Customer Service Committee
- Remuneration Committee
- Appellate Committee

The constitution of the Bank's Board underwent the following changes during the year ended 31<sup>st</sup> March 2009:

Shri R. Gandhi was nominated as an Additional Director on 02.04.2008.

Shri Umesh Kumar Sharma, Non-official Director resigned on 28.04.2008.

Dr. Anoop K. Pujari was appointed by the Government of India as MOF Nominee Director on 10.06.2008 in place of Smt. Anita Kapoor.

Shri Krishan Murari Gangawat was nominated by the Government of India as part time Non-official Director on 10.07.2008.

Shri G.S. Vedi was appointed by the Government of India as Executive Director of the Bank on 16.10.2008.

Shri Hari Chand Bahadur Singh was nominated by the Government of India as part time Non-Official Director on 04.12.2008.

Shri A.K. Surana was nominated by the Government of India as part time Non-Official Director (under CA category) on 31.12.2008.

Shri A. Bhattacharya was appointed by the Government of India as MOF Nominee Director on 27.01.2009 in place of Dr. Anoop K. Pujari.

During 2008-2009, five meetings of the Board of Directors, seven meetings of the Management Committee and six meetings of the Audit Committee of the Board were held.

## STATUTORY AUDIT

Bank appointed M/s K.B. Chandna & Co. New Delhi; M/s Prasad Azad & Co. New Delhi; M/s S. Lall & Co. Panipat; M/s Balram Chandra & Associates, Allahabad and M/s Bansal Sinha & Co. New Delhi as Statutory Central Auditors for the accounting year ended March 2009.



### ਅਭਿਸ਼ੀਕ੍ਰਿਤੀਆਂ

ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਥਾ ਭਾਰਤੀਯ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਵਾਰਾ ਦਿਏ ਗਏ ਸਹਯੋਗ ਤਥਾ ਬਹੁਮੂਲਯ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਲਿਏ ਉਨਕਾ ਆਭਾਰ ਵਯਕਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਅਪਨੇ ਬਹੁਮੂਲਯ ਗ੍ਰਾਹਕੋਂ ਕਾ ਭੀ ਆਭਾਰ ਵਯਕਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੋਨੇ ਬੈਂਕ ਕੋ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕ੍ਰਿਯਾ ਔਰ ਬੈਂਕ ਮੇਂ ਅਪਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਰਸ਼ਾਯਾ।

ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਅਪਨੇ ਸਭੀ ਸਟੌਫ ਸਦਸ੍ਯੋਂ ਕੀ ਹਾਰਦਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਸਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਪ੍ਰਤਿਬਧਤਾ, ਸਹਭਾਗਿਤਾ ਤਥਾ ਸਮਰਪਣ ਸੇ ਬੈਂਕ ਕੀ ਪ੍ਰਗਤਿ ਸੰਭਵ ਹੁਏ ਔਰ ਆਸ਼ਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਵਰਸ਼ੋਂ ਮੇਂ ਭੀ ਬੈਂਕ ਕੇ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਵੇ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਪਨਾ ਸਹਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤੇ ਰਹੇਂਗੇ।

### ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors thanks Government of India and Reserve Bank of India for their valuable guidance and continued support provided to the Bank throughout the year. The Directors are also grateful to the valued customers for their patronage and confidence reposed in the Bank.

The Board of Directors place on record their deep sense of appreciation of the commitment, involvement and dedication exhibited by each staff member in the overall development and growth of the Bank and look forward to their continued support and co-operation for realizing of the corporate goals in the years ahead.

ਕ੍ਰਿਤੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਕੀ ਔਰ ਸੇ

For and on behalf of Board of Directors

ਹੌ/-

(ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ)

ਅਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ ਏਵੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ

Sd/-

(R.P. Singh)

Chairman & Managing Director



ਤੁਲਨ-ਪਤਰ  
ਏਵੰ  
ਲਾਭ-ਹਾਨਿ ਲੇਖਾ

**Balance Sheet  
&  
Profit & Loss Account**

**2008-2009**



**31 मार्च, 2009 का तुलन पत्र**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2009**

	अनुसूची SCHEDULE	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2009 रु. / Rs.	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2008 रु. / Rs.
(000 को छोड़कर) (000's OMITTED)			
<b>पूंजी तथा देयताएं / CAPITAL &amp; LIABILITIES</b>			
पूंजी / Capital	1	3830560	7430560
आरक्षित निधि एवं अधिशेष / Reserves & Surplus	2	17572855	13502573
जमाराशियां / Deposits	3	346756547	248314084
उधार / Borrowings	4	27114760	29767176
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / Other liabilities & Provisions	5	18363147	10477571
<b>जोड़: / TOTAL</b>		<b>413637869</b>	<b>309491964</b>
<b>आस्तियां / ASSETS</b>			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में इतिशेष Cash & balances with Reserve Bank Of India	6	19570665	19550906
बैंकों में इतिशेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with banks & money at call and short notice	7	8833722	9847967
निवेश / Investments	8	126274290	84736329
अग्रिम / Advances	9	246153482	183433034
स्थिर आस्तियां / Fixed Assets	10	5557630	5689634
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	7248080	6234094
<b>जोड़ / TOTAL</b>		<b>413637869</b>	<b>309491964</b>
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	52095937	37125296
वसूली के लिए बिल / Bills for Collection		9821024	4179993
उल्लेखनीय लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियां / Notes on Accounts	18		
अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं / Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

**आर.पी. सिंह**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
निदेशक  
आर. सदानंदम  
ए.के. सुरना  
आर. गांधी  
के. के. शर्मा  
ए. एस. मान  
एम. वी. एस. प्रसाद  
मुख्य महाप्रबंधक  
दविन्द्र सिंह  
महाप्रबंधक  
जी. एस. रेखी  
रवि कुमार  
एच. एस. मक्कड  
पी. एस. घावरी  
जे. एस. कोचर  
एच. एस. लाम्बा  
जी. एस. अरोड़ा  
सहायक महाप्रबंधक  
वी. के. मेहरोत्रा  
वरिष्ठ प्रबंधक

समिति पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार:  
कृते के.बी.चांदना एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
(संजीव चांदना)  
साझेदार  
एम नं.87354  
कृते एस.लाल एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
(एस. एल. अग्रवाल)  
साझेदार  
एम नं.7959  
कृते प्रसाद आजाद एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
(दीपक आजाद)  
साझेदार  
एम नं. 94115  
कृते बंसल सिन्हा एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
(रविंदर खुल्लर)  
साझेदार  
एम नं. 82928  
कृते बलराम चन्द्रा एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
(बलराम चन्द्रा)  
एम नं.070875

नई दिल्ली  
दिनांक : 29.04.2009



**31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता**  
**PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2009**

		31.03.2009 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2009 रु./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2008 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2008 रु./Rs.
<b>I. आय / INCOME</b>			
अर्जित ब्याज / Interest earned	13	32471657	22192855
अन्य आय / Other income	14	4076950	3176431
<b>जोड़ / TOTAL</b>		<b>36548607</b>	<b>25369286</b>
<b>II. व्यय / EXPENDITURE</b>			
व्यय किया गया ब्याज / Interest expended	15	22353085	14334936
परिचालन व्यय / Operating expenses	16	6918385	5607762
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions and contingencies		2905356	1603007
<b>जोड़ / TOTAL</b>		<b>32176826</b>	<b>21545705</b>
<b>III. लाभ / हानि / PROFIT/LOSS</b>			
वर्ष के शुद्ध लाभ / हानि (-) / Net Profit/ Loss (-) for the year		4371781	3823581
अग्रणीत लाभ / हानि (-) / Profit/ Loss(-) brought forward		3999352	1310705
आहरण: / Withdrawal from:			
सामान्य आरक्षितियां / General Reserve		176	16092
<b>जोड़ / TOTAL</b>		<b>8371309</b>	<b>5150378</b>
<b>IV. विनियोग को अंतरण / APPROPRIATIONS TRANSFER TO:</b>			
सांविधिक आरक्षित निधियां / Statutory Reserve		1100000	1000000
पूंजी आरक्षित निधि (निवेश) / Capital Reserve [Investment]		1167864	67802
विशेष आरक्षित निधियां धारा 36 (i)(viii) के अंतर्गत / Special Reserve u/s 36 (i)(viii)		72579	23224
कार्मिक कल्याण निधि / Staff Welfare Fund		60000	60000
शेष को आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया / Balance carried over to Balance Sheet		5970866	3999352
<b>जोड़ / TOTAL</b>		<b>8371309</b>	<b>5150378</b>
उल्लेखनीय लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियां / Notes on Accounts	18		
अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं / Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

**R.P. Singh**  
Chairman & Managing Director

**G.S. Vedi**  
Executive Director

**Directors**

R. Sadanandam    R. Gandhi    A. S. Mann    M. S. Sekhon  
A. K. Surana    K. K. Sharma    M. V. S. Prasad    Kamal Mann

**Chief General Manager**  
Devinder Singh

**General Managers**

G. S. Rekhi    H. S. Makker    J. S. Kochar    K. S. Suchdeva  
Ravi Kumar    P. S. Ghawri    H. S. Lamba

G. S. Arora    V. K. Mehrotra  
Asstt. Gen. Manager    Senior Manager

New Delhi  
Date : 29.04.2009

**As per our Report of Even Date**

**FOR K. B. CHANDNA & CO**  
Chartered Accountants  
(SANJEEV CHANDNA)  
PARTNER  
M.No. 87354

**FOR S. LALL & CO.**  
Chartered Accountants  
(S. L. AGGARWAL)  
PARTNER  
M.No. 7959

**FOR PRASAD AZAD & CO.**  
Chartered Accountants  
(DEEPAK AZAD)  
PARTNER  
M.No. 94115

**FOR BANSAL SINHA & CO.**  
Chartered Accountants  
(RAVINDER KHULLAR)  
PARTNER  
M.No. 82928

**FOR BALRAM CHANDRA & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
(BALRAM CHANDRA)  
M.No. 070875





	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2009 रु./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2008 रु./Rs.
<b>अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1-CAPITAL</b>		
I. पूंजी (केन्द्रीय सरकार के पूर्ण स्वामित्व में) / Equity share Capital (fully owned by Central Government)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार / As per last Balance Sheet	7430560	7430560
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Restructured during the year	-5600000	0
उप-योग / Sub-Total I	<b>1830560</b>	<b>7430560</b>
II. अधिमान शेयर पूंजी / Preference share Capital (बेमियादी गैर संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.) / (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार / As per last Balance Sheet	0	0
वर्ष के दौरान पुनः निर्मित / Restructured during the year	2000000	0
उप-योग / Sub-Total II	<b>2000000</b>	<b>0</b>
जोड़ / TOTAL I+II	<b>3830560</b>	<b>7430560</b>
<b>अनुसूची 2 - आरक्षित निधि एवं अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES &amp; SURPLUS</b>		
I. सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserves		
अथशेष / Opening Balance	2359406	1359406
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	1100000	1000000
उप-योग / Sub-Total I	<b>3459406</b>	<b>2359406</b>
II. सामान्य आरक्षित निधि / General Reserves		
अथशेष / Opening Balance	1079115	1095207
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deduction during the year	-176	-16092
उप-योग / Sub-Total II	<b>1078939</b>	<b>1079115</b>
III. पूंजी आरक्षित निधि - स्थायी आस्तियां / Capital Reserves - Fixed Assets पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि / Revaluation Reserve:		
अथशेष / Opening Balance	5290224	2177503
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	0	5375233
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deduction during the year	-241499	-2262512
उप-योग / Sub-Total III	<b>5048725</b>	<b>5290224</b>
IV. पूंजी आरक्षित निधि (निवेश) / Capital Reserve [Investments]		
अथशेष / Opening Balance	645552	577750
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	1167864	67802
उप-योग / Sub-Total IV	<b>1813416</b>	<b>645552</b>
V. राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियां / Revenue & Other Reserves		
क / a. राजस्व आरक्षित निधि: / Revenue Reserve:		
अथशेष / Opening Balance	105700	105700
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	0	0
उप-योग V.अ / Sub-Total V.a	<b>105700</b>	<b>105700</b>
ख / b. विशेष आरक्षित धारा 36 (i) (viii) के अन्तर्गत / Special Reserve u/s 36 (i) (viii)		
अथशेष / Opening Balance	23224	0
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	72579	23224
उप-योग V.ब / Sub-Total V.b	<b>95803</b>	<b>23224</b>
VI. लाभ-हानि खाते में शेष / Balance in Profit & Loss Account	5970866	3999352
कुल योग / TOTAL [I+II+III+IV+V+VI]	<b>17572855</b>	<b>13502573</b>



	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2009 रु./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2008 रु./Rs.
<b>अनुसूची 3 - जमा राशियाँ / SCHEDULE 3 - DEPOSITS</b>		
क) A I. मांग जमा / Demand Deposits		
i. बैंकों से / From Banks	313602	388451
ii. अन्य से / From others	21169613	20356566
II. बचत बैंक जमा राशियाँ / Savings Bank Deposits	74773585	69501075
III. सावधि जमा / Term Deposits		
i. बैंकों से / From Banks	23066394	11221714
ii. अन्य से / From others	227433353	146846278
जोड़ / TOTAL [I+II+III]	<b>346756547</b>	<b>248314084</b>
ख) B. भारत में शाखाओं की जमा राशियाँ / Deposits of branches in India	346756547	248314084
<b>अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4-BORROWINGS</b>		
I. भारत में उधार / Borrowings in India		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	0	0
ii) अन्य बैंक / Other Banks	5500000	8750000
iii) अन्य संस्थान और अभिकरण / Other institutions & agencies	19614760	19412376
iv) बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पी.सी.पी.एस.) / Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)	2000000	0
II. भारत से बाहर उधार / Borrowings outside India	0	1604800
जोड़ [I & II] / TOTAL [I & II]	<b>27114760</b>	<b>29767176</b>
उपरोक्त जोड़ (I) और (II) में सम्मिलित प्रतिभूत उधार : / Secured borrowings Included in I & II above	0	0
<b>अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS</b>		
I. देय बिल / Bills Payable	2531038	2962169
II. अन्तः कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter-office adjustments [net]	680981	33605
III. प्रोदभूत ब्याज / Interest accrued	1370557	624870
IV. गैर जमानती गौण बांड / Subordinated Unsecured Bonds		
क) नवोन्मेषी बेमियादी ऋण प्रपत्र (आई.पी.डी.आई.) (टियर-I पूंजी हेतु) / a) Innovative Perpetual debt Instrument (IPDI) (for Tier-I Capital)	1600000	0
ख) प्रतिदेय बांड (टियर-II पूंजी हेतु) / b) Redeemable Bonds (for Tier-II Capital)	7350000	3800000
V. स्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability	582611	28100
VI. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं) / Others (including provisions)	4247960	3028827
जोड़ / TOTAL	<b>18363147</b>	<b>10477571</b>
<b>अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इतिशेष SCHEDULE 6 - CASH &amp; BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA</b>		
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं) / Cash in hand (including foreign currency notes)	939122	1029890
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष / Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खातों में / in Current Accounts	18631543	18521016
ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	0	0
जोड़ / TOTAL [I & II]	<b>19570665</b>	<b>19550906</b>



	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार रु./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार रु./Rs.
<b>अनुसूची 7 - बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन/ SCHEDULE 7-BALANCES WITH BANKS &amp; MONEY AT CALL &amp; SHORT NOTICE</b>		
<b>I. भारत में / IN INDIA</b>		
i) बैंकों में शेष / Balance with banks		
क / a) चालू खातों में / in Current Accounts	1048371	985092
ख / b) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	4800000	7750000
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन / Money at call & Short notice		
क / a) बैंकों से / with banks	0	0
ख / b) अन्य संस्थाओं से / with other Institutions	0	0
उप-योग [I] / SUB-TOTAL [I]	<b>5848371</b>	<b>8735092</b>
<b>II. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA</b>		
i) चालू खातों में / In Current Accounts	1204201	492008
ii) अन्य जमा खातों में / In Other Deposit Accounts	1781150	620867
iii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन / Money at call & Short notice	0	0
उप-योग [II] / SUB-TOTAL [II]	<b>2985351</b>	<b>1112875</b>
जोड़ [I+II] / TOTAL [I+II]	<b>8833722</b>	<b>9847967</b>
<b>अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8-INVESTMENTS</b>		
<b>I. भारत में निवेश / Investments in India in</b>		
i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities**	109540983	74097935
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	3214707	4309492
iii) शेयर्स / Shares	664550	643596
iv) डिबेंचर तथा बांड्स / Debentures & Bonds	6271015	5593109
v) सहायक इकाईयां, तथा संयुक्त उपक्रम एवं प्रायोजित संस्थान / Subsidiaries, and/or Joint Ventures & Sponsored Institutions	6537	6537
vi) अन्य / Others:		
क / a) वाणिज्यिक पत्र/प्रतिभूत रसीदें / Commercial Paper/ CD/ Securitised Receipts	6534935	38357
ख / b) यू.टी.आई. के यूनिट, अन्य म्युचुअल फंड / Units of UTI, other MF	41563	47303
उप-योग [I] / SUB-TOTAL [I]	<b>126274290</b>	<b>84736329</b>
<b>II. भारत से बाहर निवेश / Investments outside India</b>		
जोड़ [I + II] / TOTAL [I + II]	<b>126274290</b>	<b>84736329</b>
कुल मूल्य / Gross Value	126564324	85249176
मूल्य हास का प्रावधान (-) / Provision for Depreciation [-]	290034	512847
निवल निवेश / Net Investments	<b>126274290</b>	<b>84736329</b>

\*\* इनमें रु. 1956.34 करोड़ रु. की भारग्रस्त प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य 1980.36 करोड़ रु.) सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष यह रु. 1423.26 करोड़ थीं (अंकित मूल्य 1381.97 करोड़ रु.)

\*\* Includes encumbered securities of Rs. 1956.34 crore [Face Value Rs. 1980.36 crore] previous year Rs. 1423.26 crore [F.V. Rs. 1381.97 crore]



	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2009 रु./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2008 रु./Rs.
<b>अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES</b>		
क / A) i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल / Bills purchased & discounted	8113510	6491446
ii) नकदी उधार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार / Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	73199602	60533847
iii) सावधि ऋण / Term Loans	164840370	116407741
<b>जोड़ / Total</b>	<b>246153482</b>	<b>183433034</b>
ख / B) i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (वही ऋण के एवज में अग्रिम सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	170292550	134908063
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित / Covered by Bank/Government Guarantees	7450501	7487970
iii) गैर जमानती / Unsecured	68410431	41037001
<b>जोड़ / Total</b>	<b>246153482</b>	<b>183433034</b>
ग / C) भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA		
i) प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector	71951789	59256951
ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	46617794	21575942
iii) बैंक / Banks	7376896	6439629
iv) अन्य / Others	120207003	96160512
<b>जोड़ / Total</b>	<b>246153482</b>	<b>183433034</b>



	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2009 रु./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2008 रु./Rs.
<b>अनुसूची 10 - स्थायी आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS</b>		
<b>I. परिसर / Premises</b>		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत / Cost as on 31st March of the preceding year	258283	237475
पुनर्मूल्यन के दौरान लागत में परिवर्धन Appreciation in cost on account of revaluation	5375233	2529741
<b>उप-योग / Sub-Total</b>	<b>5633516</b>	<b>2767216</b>
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year		
वास्तविक लागत पर / Original Cost	18928	21881
पुनर्मूल्यन लागत पर / Revaluation Cost	0	5375233
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year on		
वास्तविक लागत पर / Original Cost	0	-1073
पुनर्मूल्यन लागत पर / Revaluation Cost	0	-2529741
घटाएं: अद्यतित दिनांक को मूल्यहास / Less: Depreciation to date on		
वास्तविक लागत पर / Original cost	-124523	-117351
पुनर्मूल्यन लागत पर / Revaluation cost	-326508	-85009
<b>जोड़ / Total I</b>	<b>5201413</b>	<b>5431156</b>
<b>II. अन्य स्थायी आस्तियां (इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं) / Other Fixed Assets (including Furniture &amp; Fixtures)</b>		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की लागत पर / At cost as on 31st March of the preceding year	1403472	1356027
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	198680	98978
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-38084	-51533
अद्यतन मूल्यहास / Depreciation to date	-1207851	-1144994
<b>जोड़ II / Total II</b>	<b>356217</b>	<b>258478</b>
<b>कुल जोड़ I व II / TOTAL I &amp; II</b>	<b>5557630</b>	<b>5689634</b>



	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2009 रु. /Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2008 रु. /Rs.
<b>अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां /</b>		
<b>SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS</b>		
I. प्रोद्भूत ब्याज / Interest accrued	2282412	1857292
II. अग्रिम रूप से संदत्त / स्रोत पर काटा गया कर / Tax paid in advance/ Tax deducted at source	3416517	2685582
III. लेखन सामग्री और स्टाम्प / Stationery & Stamps	25162	23712
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियां / Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
V. अन्य / Others	1523989	1667508
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>7248080</b>	<b>6234094</b>
<b>अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ /</b>		
<b>SCHEDULE 12-CONTINGENT LIABILITIES</b>		
I. बैंक विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / Claims against the bank not acknowledged as debts	95651	53863
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता / Liability for partly paid investments	0	0
III. बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए देयता / Liability on account of outstanding forward exchange contracts	33991532	27382478
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियाँ / Guarantees given on behalf of Constituents		
क / A) भारत में / In India	8135214	5553051
ख / B) भारत के बाहर / Outside India	0	0
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएँ / Acceptances, Endorsements and other obligations	9873305	4135837
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है / Other items for which the bank is contingently liable	235	67
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>52095937</b>	<b>37125296</b>





	31.03.2009 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2009 रु./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2008 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2008 रु./Rs.
--	---	---

**अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज**

**SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED**

I. ब्याज/अग्रिमों पर मितिकाटा/बिल/Interest/discount on advances/ bills	24861311	15300706
II. निवेशों पर आय/Income on investments	6878213	5920120
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज/ Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	683570	861316
IV. अन्य/Others	48563	110713
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>32471657</b>	<b>22192855</b>

**अनुसूची 14 - अन्य आय**

**SCHEDULE 14 - OTHER INCOME**

I. कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, exchange and brokerage	588357	519047
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (शुद्ध)/Profit on sale of Investments [net]	1189038	175129
III. भूमि, भवन तथा आस्तियों के विक्रय पर लाभ (शुद्ध)/ Profit on sale of land, buildings and other assets [net]	716	1402
IV. विनिमय लेन-देन पर लाभ (शुद्ध)/Profit on exchange transactions [net]	399142	300117
V. विविध आय/Miscellaneous Income	1658198	2095727
VI. पुनर्मूल्यन आरक्षित खाते से अंतरण/ Transfer from Revaluation Reserve Account	241499	85009
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>4076950</b>	<b>3176431</b>



	31.03.2009 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2009 रु./Rs.	(000 को छोड़कर) (000's OMITTED) 31.03.2008 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2008 रु./Rs.
<b>अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज</b> <b>SCHEDULE 15-INTEREST EXPENDED</b>		
I. जमा राशियों पर ब्याज / Interest on deposits	20909944	13345973
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज / Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	691237	614416
III. अन्य / Others	751904	374547
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>22353085</b>	<b>14334936</b>
<b>अनुसूची 16 - परिचालन व्यय</b> <b>SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES</b>		
I. कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान / Payments to and provisions for employees	5192443	4205799
II. किराया, कर और रोशनी / Rent, taxes and lighting	342064	319991
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री / Printing and stationery	69461	61033
IV. विज्ञापन और प्रचार / Advertisement & publicity	3750	3443
V. बैंक की सम्पत्ति का मूल्यहास / Depreciation on Bank's property	347814	156957
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय / Directors' fees, allowances and expenses	1394	771
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) / Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fee & expenses)	54903	59420
VIII. विधि प्रभार / Law Charges	43900	42176
IX. डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि / Postages, Telegrams, Telephones etc.	64136	59721
X. मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs & maintenance	85561	84012
XI. बीमा / Insurance	272243	196538
XII. अन्य व्यय / Other expenditure	440716	417901
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>6918385</b>	<b>5607762</b>



## अनुसूची-17

### प्रमुख लेखा नीतियां

#### 1. सामान्य

जहां अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो, वित्तीय विवरण, लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के सिद्धांतों पर परंपरागत मूल लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, जो भारत में प्रचलित कानूनी प्रावधानों तथा परंपराओं पर आधारित हैं।

#### 2. विदेशी मुद्रा लेनदेन

2.1 विदेशी मुद्राओं वाली समस्त मौद्रिक आस्तियों और देयताओं का भारतीय रुपये में परिवर्तन तुलन-पत्र की दिनांक को लागू विनिमय दरों पर किया गया है, जिन्हें भारतीय विदेशी विनिमय व्यापारी संघ (फ़ेडआई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके लाभ-हानि की गणना लाभ-हानि खाते में की गई है।

2.2 बकाया विदेशी मुद्रा सौदे को सौदे की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है। ऐसे सौदों में लाभ या हानि की संगणना फ़ेडआई के द्वारा दी गई दरों पर फ़ेडआई के दिशा-निर्देशों तथा ए.एस.11 के पैरा 38 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

2.3 विदेशी विनिमय लेन देन से संबंधित आय एवं व्यय मदों को कारोबार के दिन लागू विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।

2.4 स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व, विदेशी मुद्रा गारंटी का मूल्यांकन फ़ेडआई (FEDAI), द्वारा वार्षिक संवरण की दिनांक को जारी दरों पर किया गया है।

#### 3. निवेश

3.1 निवेशों से संबंधित वर्गीकरण तथा मूल्यांकन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानदंडों के अनुरूप किया गया है जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

3.2 समस्त निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे "परिपक्वता तक रखना" "बिक्री के लिए उपलब्ध" तथा "व्यापार हेतु रखना" जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों/निर्देशों के अनुरूप है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रकटीकरण निम्नांकित छः वर्गीकरणों के अनुरूप किया गया है:

- सरकारी प्रतिभूतियां
- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- शेयर्स (अंश)
- ऋणपत्र (डिबेन्चर्स) तथा बाण्ड
- सहायक इकाइयां/संयुक्त उपक्रम तथा
- अन्य

## SCHEDULE-17

### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

#### 1 General

The financial statements are prepared on historical cost basis by following going concern concept and conform to the statutory provisions and practices prevailing in India, unless otherwise stated.

#### 2 Foreign Exchange Transactions

2.1 All the Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated in Indian rupees at the exchange rates prevailing at the Balance Sheet date as notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). The resultant gain / loss is accounted for in the Profit & Loss account.

2.2 The outstanding foreign exchange contracts are stated at the prevailing exchange rate on the date of commitment. Profit or loss on such contracts is accounted for as per rates advised by FEDAI and in accordance with FEDAI guidelines and provisions of para 38 of AS-11.

2.3 Items of Income and expenditure relating to foreign exchange transactions are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transactions.

2.4 Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees in foreign currencies are valued as per the rates published by FEDAI as on the date of closing.

#### 3 Investments

3.1 Classification and valuation of investments are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India read with clarifications / directions given by RBI.

3.2 The entire investment portfolio is classified into three categories, viz, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading in line with the guidelines / directions of Reserve Bank of India. Disclosure of the investments under the three categories mentioned above are made under six classifications viz.,

- Government Securities
- Other approved securities
- Shares
- Debentures
- Subsidiaries / Joint Ventures and
- Others



### 3.3 वर्गीकरण का आधार

- i. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता हो को "परिपक्वता तक रखना" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - ii. ऐसे निवेश जिन्हें खरीदने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनः विक्रय के लिए रखा हो को "व्यापार के लिए रखने" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - iii. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं होते, को "विक्रय के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - iv. निवेशों को खरीदते समय उन्हें उक्त तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यतः बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बहीमूल्य/बाजार मूल्य पर न्यूनतम लागत पर अंतरित किया गया है तथा इस प्रकार के अंतरण पर मूल्य हास पर प्रावधान पूर्णतया किया गया है और प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों में तदनुसार परिवर्तन किया गया है।
- 3.4 प्रतिभूतियां जिन्हें "परिपक्वता तक रखना है" का अधिग्रहण लागत मूल्य पर लिया गया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम स्वतः परिपक्वता की शेष अवधि के भीतर परिशोधनीय है। ऐसे परिशोधन को अनुसूची-13 मद II में "निवेशों पर आय" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। जहां लागत मूल्य प्रतिदान मूल्य से कम हैं, वहां अंतर वसूली योग्य न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। सहायक ईकाइयां तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में अस्थायी तौर पर आई कमी के लिए प्रत्येक निवेश हेतु अलग-अलग लिया गया है।
- 3.5 "बिक्री हेतु उपलब्ध" खाते के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप-वार किया गया है तथा हास/वृद्धि को श्रेणी वार पृथक किया गया है। शुद्ध वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक श्रेणी में शुद्ध हास का प्रावधान किया गया है।
- 3.6 "व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियों" का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक वर्ग में शुद्ध मूल्य हास को लगाया गया है तथा शुद्ध वृद्धि, यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया गया है।
- 3.7 निवेशों की लागत वर्गवार भारित औसतन लागत विधि पर आधारित है।
- 3.8 "बिक्री हेतु उपलब्ध" एवं "व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियां" श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के निवेश के मूल्य को "बाजार दर" पर निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंजों पर दिए गए भाव/दरों को भारतीय रिजर्व बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पी.डी.ए.आई.) की फिक्सड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित किए गये मूल्यों के अनुरूप किया गया है।

### 3.3 Basis Of Classification:

- i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
  - ii. Investments that are held principally for resale within 90 Days from the date of purchase are classified as Held For Trading.
  - iii. Investments which are not classified in the above two categories, are classified as Available For Sale.
  - iv. An investment is classified under the above three categories at the time of its purchase. Shifting of securities from one category to another is done with the approval of the Board normally once in a year. Shifting is effected at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such shifting is fully provided for and the book value of securities is changed accordingly.
- 3.4 Securities under 'Held to Maturity' are stated at acquisition costs unless such costs are higher than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity. Such amortisation is shown under "Income on Investments Schedule 13 item II. In case, the cost is less than the redemption value, the difference being the unrealized gain, is ignored. Any diminution in value of investments in subsidiaries and joint venture, other than temporary in nature, is provided for each investment individually
- 3.5 Securities under 'Available for sale' are valued scrip wise and depreciation/ appreciation is segregated category wise. While net appreciation is ignored, net depreciation under each category is provided for.
- 3.6 Securities under 'Held for Trading' are valued at market price and the net depreciation under each category is provided for and the net appreciation, if any, is ignored.
- 3.7 Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.
- 3.8 The 'market value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers association of India (PDAl) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).



अवर्गीकृत निवेशों के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. भारत सरकार की प्रतिभूतियां : फिमडा/पीडीआई द्वारा दी गई दरों पर।
- ख. राज्य सरकार ऋण, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, अधिमान शेयरों, ऋण-पत्रों तथा पी.एस.यू. बांड्स: फिमडा/पीडीआई द्वारा दी गई दरों के अनुरूप परिपक्वता पर लाभ के आधार पर जोकि पीडीआई/फिमडा एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
- ग. इक्विटी शेयर्स : नवीनतम तुलन-पत्र पर आधारित ब्रेक-अप मूल्य के आधार पर, जोकि मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से पुरानी नहीं है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ पर नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है, शेयरों का मूल्य 1/- रुपये प्रति कम्पनी माना गया है।
- घ. म्युचुअल फंड यूनिट्स : पुनःक्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य पर।
- ङ. ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, पुनः पूंजीगत बांड्स, सहायक संयुक्त उपक्रम तथा प्रायोजित संस्थान – शुद्ध लागत पर।

3.9 निवेशों के अधिग्रहण मूल्य का निर्धारण:

- क. अभिदान के समय प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।
- ख. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई दलाली/कमीशन/स्टॉप ड्यूटी को राजस्व व्यय में लिया गया है।
- ग. निवेशों के अधिग्रहण पर दिए गए खंडित अवधि के प्रदत्त ब्याज को, यदि कोई हो, लाभ-हानि खाते के नामे डाला गया है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज व्यय आय माना गया है।

3.10 निवेशों की बिक्री से लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। फिर भी, "परिपक्वता तक रखना" श्रेणी में निवेशों की बिक्री से आय पर लाभ की स्थिति में इसके समतुल्य लाभ राशि को आरक्षित पूंजी में विनियोजित किया गया है।

3.11 गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में, आय की पहचान नहीं की गई है तथा ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार मूल्यह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।

#### 4. अग्रिम

4.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादक तथा गैर-निष्पादक आस्तियों में किया गया है। फिर भी, बैंक ने निम्नानुसार अवमानक और संदिग्ध श्रेणियों के लिए उच्चतर प्रावधान किए हैं।

In respect of unquoted securities, the procedure adopted is as below:

- a. Government of India Securities: At rates put out by FIMMDA/PDAI;
- b. State Government Loans, Other approved Securities, preference shares, Debentures and PSU Bonds: On yield to maturity (YTM) basis at the rate prescribed by FIMMDA/PDAI with such mark ups as laid down by RBI or FIMMDA/PDAI;
- c. Equity Shares: At break-up value based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company;
- d. Mutual Fund Units: At re-purchase price or Net Assets Value;
- e. Treasury Bills, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions: At carrying cost.

3.9 In determining acquisition cost of investments:

- a. Incentive received on subscription is deducted from the cost of securities;
- b. Brokerage / commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenditure;
- c. Broken period interest, if any, paid on acquisition of investment is debited to profit & loss account. Broken period interest received on sale of securities is recognized as Interest Income.

3.10 Profit/ Loss on sale of investments is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount of profit is appropriated to Capital Reserve.

3.11 In respect of non-performing securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank Of India guidelines.

#### 4 Advances

4.1 Advances are classified into "Performing" and "Non-performing" assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. However, the bank has made higher provisions for Sub-standard and Doubtful categories as follows:

आस्तियों की श्रेणी	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित	बैंक द्वारा अनुवर्तित
अवमानक	10%	35%
संदिग्ध- I	20%	65%
संदिग्ध- II	30%	100%

4.2 अग्रिमों को गैर-मान्यता शुद्ध ब्याज पर वर्णित किया गया है तथा अनुपयोज्य अग्रिमों पर प्रावधान/तकनीकी बट्टे खाते पर प्रावधान किया गया है। डी.आई.सी.जी.सी./ई.सी.जी.सी. से प्राप्त दावों को उनके समायोजन/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने तक इस प्रकार के अग्रिमों में से कम नहीं किया गया है। जबकि एनपीए खातों में आंशिक वसूली को अग्रिमों में से घटाया गया है।

4.3 मानक अग्रिमों पर प्रावधान किया गया है तथा उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार "अन्य दायित्व तथा प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

## 5. अचल आस्तियां :

5.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पुनर्मूल्यन पर खातों में लिया गया है। परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अन्तर किया जाना सम्भव नहीं था, ऊपरी भाग के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया गया है।

5.2 स्थाई पट्टे पर लिए गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है।

## 6. अचल आस्तियों पर मूल्य ह्रास :

6.1 मूल्य ह्रास निम्नानुसार लगाया गया है :

6.1.1 कंप्यूटर पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33%; परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्य ह्रास लगाया गया है चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार परिवर्धन की जो भी तिथि हो।

6.1.2 आयकर अधिनियम 1961 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास घटती कीमत पद्धति पर लगाया गया है। 30 सितंबर से पूर्व होने वाले परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है तथा इसके पश्चात् होने वाले परिवर्धन पर आधे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है।

6.1.3 जहाँ कहीं भवन के ऊपरी भाग से शेष भूमि का मूल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहाँ कुछ परिसरों का मूल्य संमिश्र मूल्य पर लिया गया है।

6.2 वर्ष के दौरान बेची गई/निपटवाई गई आस्तियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

6.3 आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के मूल्यह्रास के बराबर की राशि को पुनर्मूल्यन संचयी खाते से लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया गया है।

Category of Asset	As perscribed by RBI	As followed by Bank
Sub-standard	10%	35%
Doubtful I	20%	65%
Doubtful II	30%	100%

4.2 Advances are stated net of de-recognized interest and provisions/ Technical write off made in respect of non-performing advances. Claims received from DICGC/ ECGC are not reduced from such advances till adjusted/ technically written-off whereas part recovery in all NPA Accounts is reduced from advances.

4.3 Provisions on standard advances are made and are included under 'Other Liabilities and Provisions' as per RBI guidelines.

## 5 Fixed Assets

5.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost/revalued amount. In respect of premises, where segregation is not possible between land and superstructure, are considered in the value of superstructure.

5.2 Premises taken on perpetual lease are considered as freehold premises and are not amortized.

## 6 Depreciation on Fixed Assets :

6.1 Depreciation is provided for on :

6.1.1 Computers at 33.33%, on straight-line method; additions are depreciated for the full year irrespective of the date of addition as per RBI guidelines.

6.1.2 Other Fixed assets on written down value method at the rates prescribed by the Income Tax Act 1961; additions effected before 30th September are depreciated for full year and additions effected thereafter are depreciated for half year.

6.1.3 Cost of premises is taken composite, wherever it is not possible to segregate the cost of land from the cost of the superstructure.

6.2 No depreciation is provided in assets sold/dropped of during the year.

6.3 Amount equivalent to depreciation attributable to revalued portion of the assets is transferred from Revaluation Reserve Account to the Profit & Loss Account.





## 7. राजस्व मान्यता :

- 7.1 जहाँ अन्यथा वर्णित न हो, आय और खर्चों को उपचय आधार पर लिया गया है।
- 7.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन में अनुपयोज्य आस्तियों पर होने वाली आय का मूल्यांकन वसूली आधार पर किया गया है।
- 7.3 अनुपयोज्य खातों में आंशिक वसूली से पहले मूल राशि तथा उसके पश्चात ब्याज को समायोजित किया गया है।
- 7.4 गारंटियों तथा जारी साख पत्रों से आय, लॉकर किराया, मर्चेन्ट बैंकिंग, लेन-देन से आय, मुद्रा अंतरण सेवा, अंशों पर लाभांश, आयकर की वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड कमीशन, सरकारी लेन-देन जिसमें पेंशन के संवितरण तथा म्यूचुअल फंड उत्पाद के यूनिटों की आय शामिल है, की संगणना को प्राप्ति आधार पर लिया गया है।
- 7.5 ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने के समय खातों के समाधान पर दी गई छूट को खातों में लिया गया है।
- 7.6 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक जमा खाते पर लागू ब्याज दर पर की गई है।
- 7.7 पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की गयी है।
- 7.8 टीयर II पूंजी में उन्नयन के कारण बॉन्ड जारी करने संबंधी व्ययों को आस्थगित राजस्व व्यय माना गया है जिन्हें पाँच वर्ष की अवधि में बट्टे खाते डाला जाना है।

## 8. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ :

- 8.1 ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड तथा अवकाश नकदीकरण फंड में वार्षिक अंशदान का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। बीमांकिक पद्धतियों के आधार पर पेंशन फंड तथा बीमारी की छुट्टी से संबंधित संक्रमणकालीन दायित्व को पुनरीक्षित लेखा-मानक-15 (ए.एस.-15) के अनुसार वर्ष 2007-08 से आरंभ कर 5 वर्षों की अवधि में समाप्त किया जाना है जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र डी.बी.ओ.डी.बी.पी. संख्या 271/21.01.002/2005-06 दिनांक 23.08.2005 द्वारा इसे 10 वर्षों से शेष 7 वर्षों में समाप्त किया जाना अनुमोदित है।

## 9. आय पर कर

- 9.1 चालू आय कर तथा अनुषंगी लाभ को लागू कर-दरों तथा विधिक निर्णयों/परामर्श हेतु दी जानी वाली राशि के आधार पर आंका गया है।
- 9.2 एएस-22 आस्थगित-कर अनुसार इस अवधि की आय गणना तथा कर योग्य आय के बीच समय अंतर के कारण कर-परिकलन पर पड़े प्रभाव को शामिल किया गया है तथा आस्थगित कर-आस्तियों के संबंध में इसका मूल्यांकन यथोचित प्रतिफल को ध्यान में रख कर किया गया है।

## 7 Revenue Recognition

- 7.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 7.2 Income on non-performing assets is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.
- 7.3 Partial recovery in non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.
- 7.4 Income on guarantees and letters of credit issued, Locker rent, income from Merchant Banking transactions, money transfer service, dividend on shares, Interest on Refund of Income Tax, commission on credit card, interest on overdue bills, processing fee, Government business including distribution of pension and income from units of Mutual Fund product are accounted for on receipt basis.
- 7.5 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.
- 7.6 Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Deposits.
- 7.7 Liability in respect of incremental lease rent on renewal of lease agreement is accounted for at the time of renewal of the lease.
- 7.8 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.

## 8 Staff Retirement Benefits

- 8.1 Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and Leave encashment Fund are provided for on the basis of actuarial valuation. Transitional liability relating to Pension Fund and Sick Leave determined as per actuarial valuation is written off over a period of five years commencing from 2007-08 in terms of Revised Accounting Standard 15 (AS-15) as against remaining seven years out of ten years as approved by Reserve Bank of India vide its letter no. DBOD.BP.No. 271/21.01.002/2005-06 dated 23.08.2005.

## 9 Taxes on Income

- 9.1 Current Income Tax and Fringe Benefits Tax is measured at the amount expected to be paid considering the applicable tax rates and favorable judicial pronouncement/ legal opinions.
- 9.2 In accordance with AS-22 Deferred Tax comprising of tax effect of timing differences between taxable and accounting income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets.



## अनुसूची -18

### लेखों संबंधी टिप्पणियां

#### 1 बहियों के शेष मिलान और उनका समायोजन

- 1.1 कुछेक शाखाओं में सहायक बही खाता शेषों के साथ नियंत्रक खातों के शेष मिलान/समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।
  - 1.2 खातों के विभिन्न शीर्षों में बकाया प्रविष्टियों के डेबिट-क्रेडिट का आरंभिक मिलान जिसे अंतर कार्यालय समायोजन में शामिल करके इस कार्य (जिसमें बकाया प्रविष्टियां शामिल हैं) को 31.01.2009 तक किया गया है और इसका समायोजन कार्य चल रहा है।
  - 1.3 बैंकों, नोस्ट्रो, ड्राफ्टों/देय टीटी, देय/भुगतान किए गए डिविडेंड वारंट, प्राप्ति/देय डेबिट नोट इत्यादि के साथ खातों के समायोजन का कार्य चल रहा है। प्रबंधन की राय में, लाभ-हानि खाते व तुलन-पत्र पर उक्त का प्रभाव, यदि कोई है तो मामूली होगा जिससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  - 1.4 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप 30.09.2008 की अवधि तक तथा 31.03.2009 को बकाया अंतर शाखा के सभी खातों की नामे तथा जमा प्रविष्टियों को अलग-अलग करने का कार्य बैंक द्वारा किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप कुछ शीर्षों में नामे या कुछ शीर्षों में जमा शेष है। छः महीनो से अधिक की अवधि की निवल नामे प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।
  - 1.5 असमायोजित नोस्ट्रो खातों की कुल निवल जमा को दिनांक 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुरूप रु. 3.36 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 3.11 करोड़) को अवरुद्ध नोस्ट्रो विविध देनदार खातों में अंतरित कर दिया गया है जिसमें से रु. 1.77 करोड़ को 17.11.1989 की अवधि से पहले के बही मूल्य पर लिया गया है। 01 अप्रैल 1996 के पश्चात 3 वर्षों से अधिक समय तक बकाया पड़ी रु. 3.79 करोड़ की राशि (पूर्व वर्ष रु. 3.20 करोड़) को असमायोजित प्रविष्टियों से अलग कर अदावी जमा (नोस्ट्रो) खाते में रखा गया है।
- 2 रुपये 4.81 करोड़ की वास्तविक लागत की सात संपत्तियों के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी होनी शेष हैं। (पिछले वर्ष 7 संपत्तियों रु. 6.52 करोड़ की थीं।)

## SCHEDULE 18

### NOTES ON ACCOUNTS

#### 1 Balancing of Books and Reconciliation

- 1.1 In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.
  - 1.2 Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter Office Adjustments (including old outstanding entries) has been done up to 31.01.2009 and reconciliation is in progress.
  - 1.3 Reconciliation of accounts with banks, NOSTRO, Drafts / TT payable, Dividend Warrants paid / payable, Debit Note Receivable/ Payable etc. is in progress. In the opinion of the management, the impact of the above, if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet though not quantifiable, will not be material.
  - 1.4 In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2008 and remaining outstanding as on 31.03.2009 has been done which has resulted in either net debit in some heads or net credit in other heads. Provision is made in respect of net debit entries outstanding for period exceeding six months.
  - 1.5 Aggregate net credit position in respect of un-reconciled NOSTRO Accounts relating to the period up to 31<sup>st</sup> March 1996 amounting to Rs 3.36 crore (previous year Rs 3.11 crore) has been transferred to Blocked NOSTRO Account Sundry Creditors out of which Rs 1.77 crore for period prior to 14.11.1989 is being carried at old book value. Un-reconciled credit entries for the period after 1<sup>st</sup> April 1996 remaining outstanding for more than 3 years amounting to Rs 3.79 crore (previous year Rs. 3.20 crore) have been segregated and kept in Unclaimed Deposit(NOSTRO) Account.
- 2 Legal formalities are yet to be completed in respect of 7 properties having original cost of Rs.4.81 crore (Previous year 7 properties costing Rs.6.52 crore).

### 3.1 पूंजी

(रुपये करोड़ों में)

	मर्दे	2008-09	2007-08
1.	सी.आर.ए.आर. (%) (बेसिल-I)	11.88%	11.57%
2.	सी.आर.ए.आर.-टियर I पूंजी (%) (बेसिल-I)	6.99%	8.04%
3.	सी.आर.ए.आर.-टियर II पूंजी (%) (बेसिल-I)	4.89%	3.53%
4.	सी.आर.ए.आर. (%) (बेसिल-II)*	14.35%	लागू नहीं
5.	सी.आर.ए.आर.-टियर I पूंजी (%) (बेसिल-II)*	8.44%	लागू नहीं
6.	सी.आर.ए.आर.-टियर II पूंजी (%) (बेसिल-II)*	5.91%	लागू नहीं
7.	भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता	100%	100%
8.	टियर II की पूंजी के अंतर्गत वर्णित गौण ऋण राशि	735.00	380.00
9.	इनमें से टियर II के लिए पात्र राशि	708.00	317.00

\*प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार्य

### 3.2 इक्विटी पूंजी का पुनर्गठन

दिनांक 22.12.2008 से भारत सरकार ने रु. 743.06 करोड़ की इक्विटी पूंजी का पुनर्गठन किया जिसके परिणामस्वरूप रु. 160 करोड़ को "नवोन्मेषी बेमियादी ऋण प्रपत्र" (टियर-I पूंजी के अंतर्गत) में बदला गया, रु. 200 करोड़ को "बेमियादी गैर संचयी अधिमान शेयर्स" (टियर-I पूंजी के अंतर्गत) में बदला गया, शेष 183.06 करोड़ को इक्विटी अंश पूंजी में रखा गया।

## 4. निवेश

### 4.1

(रुपये करोड़ों में)

	मर्दे	2008-09	2007-08
	निवेशों का मूल्य		
1.	निवेशों का सकल मूल्य		
	(क) भारत में	12656.43	8524.92
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
2.	मूल्यहास हेतु प्रावधान		
	(क) भारत में	29.00	51.29
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
3.	निवेशों का शुद्ध मूल्य		
	(क) भारत में	12627.43	8473.63
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य

### 3.1 Capital

(Rupees in crore)

	Items	2008-09	2007-08
(i)	CRAR (%) (Basel-I)	11.88%	11.57%
(ii)	CRAR - Tier I capital (%) (Basel-I)	6.99%	8.04%
(iii)	CRAR - Tier II capital (%) (Basel-I)	4.89%	3.53%
(iv)	CRAR (%) (Basel-II)*	14.35%	N.A.
(v)	CRAR - Tier I capital (%) (Basel-II)*	8.44%	N.A.
(vi)	CRAR - Tier II capital (%) (Basel-II)*	5.91%	N.A.
(vii)	Percentage of the shareholding of the Government of India	100%	100%
(viii)	Amount of subordinated debt raised as Tier II capital	735.00	380.00
(ix)	Out of which eligible for Tier II	708.00	317.00

\*As compiled by the Management and relied upon by the Auditors

### 3.2 Restructuring of Equity Capital

The Equity Capital of Rs.743.06 crore has been restructured by Government of India w.e.f. 22.12.2008 by converting an amount of Rs.160 crore into 'Innovative Perpetual Debt Instrument' (IPDI) (under Tier-I Capital), Rs.200 crore into 'Perpetual Non-cumulative Preference Shares' (PNCPS) (under Tier-I Capital) and Rs.200 crore into 'Perpetual Cumulative Preference Shares' (PCPS) (under Tier-II Capital), retaining Rs.183.06 crore as Equity Share Capital.

## 4. Investments

### 4.1

(Rupees in crore)

	Items	2008-09	2007-08
<b>Value of Investments</b>			
(i)	Gross Value of Investments		
	(a) In India	12656.43	8524.92
	(b) Outside India	Nil	Nil
(ii)	Provisions for Depreciation		
	(a) In India	29.00	51.29
	(b) Outside India	Nil	Nil
(iii)	Net Value of Investments		
	(a) In India	12627.43	8473.63
	(b) Outside India	Nil	Nil



4.2 निवेशों में मूल्यहास के प्रावधानों में घट-बढ़ (एन पी ए के प्रावधानों सहित)

(रुपये करोड़ों में)

	विवरण	2008-09	2007-08
1.	अथ शेष	51.29	58.93
2.	जमा : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3.30	13.31
3.	घटा : वर्ष के दौरान अधिक किए प्रावधानों को बढ़ते खाते डालना / पुनरांकन	25.59	20.95
4.	शेष	29.00	51.29

4.2 Movement of provision held towards depreciation on Investments (including provision for NPAs)

(Rupees in crore)

	Particulars	2008-09	2007-08
(i)	Opening balance	51.29	58.93
(ii)	Add: Provisions made during the year	3.30	13.31
(iii)	Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	25.59	20.95
(iv)	Closing balance	29.00	51.29

4.3 पुनःखरीद / पुनःप्रतिवर्तित लेन देन

4.3 Repo / Reverse Repo Transactions

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया / Minimum Outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया / Maximum Outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक बकाया औसत / Daily Average Outstanding during the year	अथ शेष Balance as on 31.03.2009
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां / Securities sold under Repos	0.00	900.00	72.18	शून्य / Nil
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां / Securities Purchased under Reverse Repos	0.00	1200.00	36.78	शून्य / Nil

4.4 गैर-सांविधिक तरलता अनुपात वाली निवेश सूची : 31.03.2009 जारीकर्ता संघटन

Non-SLR Investment Portfolio: Issuer Composition as on 31.03.2009

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

संख्या / No	जारी कर्ता / Issuer	राशि Amount	निजी स्थापन की सीमा Extent of Private Placement	निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतिकरण की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	अमूल्यंकित प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Un-rated' Securities	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i	सार्वजनिक उपक्रम / PSUs	164.88	132.82	शून्य / Nil	37.50	59.50
ii	वित्तीय संस्थान / FIs	351.70	196.70	शून्य / Nil	25.59	50.59
iii	बैंक / Banks	433.35	432.38	शून्य / Nil	0.00	0.00
iv	निजी कं. / Private Corporate	410.38	378.28	शून्य / Nil	1.03	1.03
v	सहायक / संयुक्त उपक्रम / Subsidiaries / Joint Ventures	0.65	शून्य / Nil	शून्य / Nil	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
vi	अन्य / Others	19.56	1.22	शून्य / Nil	0.00	0.00
vii	मूल्यहास के लिए रखे प्रावधान / Provision held towards depreciation	28.66	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	कुल / Total	1351.86	1141.40	शून्य / Nil	64.12	111.12

**4.5 अनुपयोज्य और गैर-सांविधिक तरलता अनुपात निवेशों में उतार-चढ़ाव**

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	2008-09	2007-08
अथ शेष	26.49	26.40
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.16	0.09
वर्ष के दौरान कटौतियां	1.62	शून्य
इति शेष	25.03	26.49
<b>कुल प्रावधान</b>	<b>25.03</b>	<b>26.49</b>

4.6 "बैंकों द्वारा वर्गीकरण, मूल्यांकन तथा निवेश संविभाग के प्रचालन विवेकपूर्ण मानदंड हेतु" पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य परिपत्र डीबीओडी सं बीपी-बीसी-5/21-04-141/2008-09/ दिनांक 01-07-2008 के अनुसार चालू वर्ष में एचटीएम निवेशों के परिशोधन पर रु 37.67 करोड़ (पिछले वर्ष 30.11 करोड़) को अनुसूची संख्या-13 की मद संख्या II के अंतर्गत "निवेशों पर आय" से कम किया गया है, जिसे अब तक अनुसूची-14 की मद संख्या III अंतर्गत "निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ" में दिखाया जाता था।

**4.7 व्युत्पत्तियां**

वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने प्रतिरक्षा या व्यापारिक उद्देश्य से कोई भी नया व्युत्पत्ति लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्युत्पत्ति लेनदेन के संबंध में गुणात्मक व मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

**4.8 वर्ष के दौरान निवेश पुनःसंरचित/पुनःअनुसूचित/पुनःपराक्रमित खाते**

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	2008-09	2007-08
मानक आस्तियां जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
अवमानक आस्तियां जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
अशोध्य आस्तियां जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
कुल आस्तियों की राशि जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य

4.9 वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 854.34 करोड़ के मूल्य की प्रतिभूतियों को रु 20.49 करोड़ का प्रावधान करने के उपरांत "बिक्री हेतु उपलब्ध" शीर्ष से "परिपक्वता तक रखने" के शीर्ष में अंतरित कर दिया। वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी निवेश को "परिपक्वता तक रखने" के शीर्ष से "बिक्री तक रखने" के शीर्ष में अंतरित नहीं किया।

**4.5 Movement of Non Performing Non SLR Investments**

(Rupees in crore)

Particulars	2008-09	2007-08
Opening balance	26.49	26.40
Additions during the year	0.16	0.09
Reductions during the year	1.62	Nil
Closing balance	25.03	26.49
<b>Total Provisions held</b>	<b>25.03</b>	<b>26.49</b>

4.6 In terms of RBI Master Circular DBOD. No.BP.BC.5/21.04.141/2008-09 dated 01.07.2008 on the "Prudential norms for classification, valuation and operation of Investment portfolio by Banks", from current year amortization on HTM Investments amounting to Rs.37.67 Crore (previous Year Rs. 30.11 Crore), is deducted from 'Income on Investments' under item No. II of Schedule-13, which was hitherto shown under the head 'Profit on Revaluation of Investments' under item III of Schedule-14.

**4.7 Derivatives**

Bank has not entered into any derivative transactions either for hedging or trading purpose during the year 2008-09. Accordingly, qualitative and quantitative disclosure under RBI guidelines with respect to derivative transactions is not given.

**4.8 Restructured/Rescheduled/Renegotiated-Investments during the year**

(Rupees in crore)

Particulars	2008-09	2007-08
Standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Sub-standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Doubtful assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
<b>Total amount of assets subjected to restructuring etc.</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>

4.9 During the year, the Bank shifted securities worth Rs.854.34 crore from "Available for Sale" to "Held till Maturity" after providing depreciation of Rs.20.49 crore. The Bank has not shifted any investments from "Held till Maturity" to "Available for Sale" during the year.



## 5. आस्ति गुणवत्ता

### 5.1.1 अनुपयोज्य आस्तियां

(रुपये करोड़ों में)

मर्दे	2008-09	2007-08
(i) शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एन.पी.ए.(%)	0.32	0.37
(ii) सकल एन.पी.ए. में घट-बढ़		
(क) अथ शेष	135.53	290.84
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	141.87	105.84
(ग) वर्ष के दौरान कमी	116.36	261.15
(घ) इति शेष	161.04	135.53
(iii) निवल एन.पी.ए. में घट-बढ़		
(क) अथ शेष	66.97	77.04
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	77.35	64.66
(ग) वर्ष के दौरान कमी	66.29	74.73
(घ) इति शेष	78.03	66.97
(iv) एन.पी.ए. प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
(क) अथ शेष	65.71	210.55
(ख) जमा: वर्ष के दौरान प्रावधान	85.72	77.71
(ग) घटा: अधिक प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/पुनर्नाकन	72.48	222.55
(घ) इति शेष	78.95	65.71

5.2 डी.आई.सी.जी.सी. / ई.सी.जी.सी. के पात्र दावे, दाखिल तथा पुनः दाखिल दावों को जिन्हें अग्रिमों हेतु प्रावधान के लिए प्रतिभूति के आधार पर विचारणीय माना गया है, ऐसे दावे वैध/वसूली योग्य हैं।

5.3 पुनःसंरचित की जाने वाली ऋण आस्तियों के विवरण

## 5. Asset Quality

### 5.1.1 Non-Performing Assets

(Rupees in crore)

Items	2008-09	2007-08
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	0.32	0.37
(ii) Movement of Gross NPAs		
(a) Opening Balance	135.53	290.84
(b) Additions during the year	141.87	105.84
(c) Reductions during the year	116.36	261.15
(d) Closing balance	161.04	135.53
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening Balance	66.97	77.04
(b) Additions during the year	77.35	64.66
(c) Reductions during the year	66.29	74.73
(d) Closing balance	78.03	66.97
(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening Balance	65.71	210.55
(b) Add: provisions made during the year	85.72	77.71
(c) Less: write off, write back of excess provisions	72.48	222.55
(d) Closing balance	78.95	65.71

5.2 DICGC / ECGC claim eligible, lodged and re-lodged have been considered as security for provisioning on advances on the basis that such claims are valid / realizable.

5.3 Details of Loan Assets subjected to Restructuring

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

मर्दे / Particulars		सी डी आर के अंतर्गत / Under CDR		सी डी आर के अतिरिक्त / Other than CDR	
		2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
i) मानक आस्तियां जिन्हें पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किया जाना है / Standard assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	उधारियों की संख्या / No. of Borrowers	1	शून्य / Nil	3440	22
	बकाया राशि / Amount Outstanding	5.68	शून्य / Nil	518.61	52.41
	परित्याग (उचित मूल्य में ह्रास) / Sacrifice (diminution in the fair value)	0.31	शून्य / Nil	2.84	शून्य / Nil





ii) अवमानक आस्तियां जिन्हें पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किया जाना है / Sub-Standard assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	उधारियों की संख्या / No. of Borrowers	0	शून्य / Nil	238	8
	बकाया राशि / Amount Outstanding	0	शून्य / Nil	8.47	3.28
	परित्याग (उचित मूल्य में ह्रास) / Sacrifice (diminution in the fair value)	0	शून्य / Nil	0.09	शून्य / Nil
iii) अशोध्य आस्तियां जिन्हें पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किया जाना है / Doubtful assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	उधारियों की संख्या / No. of Borrowers	0	शून्य / Nil	3	1
	बकाया राशि / Amount Outstanding	0	शून्य / Nil	0.13	11.33
	परित्याग (उचित मूल्य में ह्रास) / Sacrifice (diminution in the fair value)	0	शून्य / Nil	0	शून्य / Nil
iv) कुल आस्तियों की राशि जिन्हें पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किया जाना है (i) + (ii) + (iii) / Total Amount of loan assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation (i) + (ii) + (iii)	उधारियों की संख्या / No. of Borrowers	1	शून्य / Nil	3681	31
	बकाया राशि / Amount Outstanding	5.68	शून्य / Nil	527.21	67.02
	परित्याग (उचित मूल्य में ह्रास) / Sacrifice (diminution in the fair value)	0.31	शून्य / Nil	2.93	शून्य / Nil

\*उपरोक्त विवरण प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार्य किया गया है।

\*The above details have been compiled by the management & relied upon by the auditors

#### 5.4 पुनर्गठित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

क्र. सं.	प्रकटीकरण	संख्या	राशि (करोड़ों रु. में)
1.	01 सितम्बर 2008 की स्थिति के अनुसार प्रमाणिक खातों के पुनर्गठन के लिए 31 मार्च 2009 तक प्राप्त आवेदन।	3932	980
2.	उपरोक्त (1) में से 31 मार्च 2009 तक अनुमोदित एवं क्रियान्वित प्रस्ताव तथा विशेष नियामक व्यवहार हेतु पात्र तथा तुलन पत्र की तिथि को प्रमाणिक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत।	3533	529

#### 5.4 Additional disclosure regarding restructured accounts

S. No.	Disclosures	Number	Amount (in crores of rupees)
1.	Application received up to March 31, 2009 for restructuring in respect of accounts which were standard as on September 1, 2008	3932	980
2.	Of (1), proposals approved and implemented as on March 31, 2009 and thus became eligible for special regulatory treatment and classified as standard assets as on the date of the balance sheet.	3533	529

3.	उपरोक्त (1) में से 31 मार्च 2009 तक अनुमोदित एवं क्रियान्वित प्रस्ताव जो प्रमाणिक श्रेणी में अपग्रेड नहीं किए जा सके।	149	4
4.	उपरोक्त (1) में से 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार जो प्रस्ताव मानक थे वो प्रक्रिया/कार्यान्वयन में हैं।	247	439
5.	उपरोक्त (1) में से 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार ऐसे प्रस्ताव जो प्रक्रिया/कार्यान्वयन में हैं तथा एनपीए हो गए हैं लेकिन पैकेज के पूर्णतः क्रियान्वित होने की स्थिति में जिनके मानक आस्तियां होने की संभावना है।	3	8

(\*) उपरोक्त ब्यौरा प्रबंधन द्वारा संकलित है तथा लेखा परीक्षकों द्वारा अनुमोदित है।

5.5 आस्ति पुनर्संरचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

(रुपये करोड़ों में)

	मदें	2008-09	2007-08
(i)	खातों की संख्या	1	1
(ii)	एस सी/आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (शुद्ध प्रावधान)	शून्य	शून्य
(iii)	कुल प्रतिफल	1.38	65.40 (*)
(iv)	पहले के वर्षों में खातों के हस्तांतरण से वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	0.07
(v)	शुद्ध बही मूल्य के ऊपर कुल लाभ/हानि	1.38	65.47

(\*) कुल प्रतिफल राशि में रु. 3.63 करोड़ नकदी तथा रु. 61.76 करोड़ की प्रतिभूति रसीदें शामिल हैं।

5.6 खरीदे/बेचे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण:

क) खरीदे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रुपये करोड़ों में)

	विवरण	2008-09	2007-08
(i)	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते	शून्य	शून्य
	(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
(ii)	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते	शून्य	शून्य
	(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

3.	Of (1), proposals approved and implemented as on March 31, 2009 but could not be upgraded to the standard category	149	4
4.	Of (1), proposals under process/implementation which were standard as on March 31, 2009	247	439
5.	Of (1), proposals under process/implementation which turned NPA as on March 31, 2009 but are expected to be classified as standard assets on full implementation of the package	3	8

(\*) The above details have been compiled by the Management and relied upon by the Auditors

5.5 Details of Financial Assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

(Rupees. in crore)

	Items	2008-09	2007-08
(i)	Number of Accounts	1	1
(ii)	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	Nil
(iii)	Aggregate consideration	1.38	65.40 (*)
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	0.07
(v)	Aggregate gain/ loss over net book value	1.38	65.47

(\*) Aggregate consideration includes cash Rs.3.63 crore and Security Receipts Rs.61.76 crore.

5.6 Details of non-performing financial assets purchased / sold:

a) Details of non-performing financial assets purchased:

(Rupees. in crore)

	Items	2008-09	2007-08
(i)	(A) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(B) Aggregate outstanding	Nil	Nil
(ii)	(A) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(B) Aggregate outstanding	Nil	Nil



क) बेचे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रुपये करोड़ों में)

	विवरण	2008-09	2007-08
(i)	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ii)	कुल बकाया	शून्य	शून्य
(iii)	प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

5.7 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रुपये करोड़ों में)

मर्दे	2008-09	2007-08
मानक आस्तियों पर प्रावधान	121.69	109.74

5.8 क) भारत सरकार द्वारा चालू की गई कृषि ऋण छूट तथा ऋण सहायता योजना 2008 की शर्तों के अनुरूप रु. 48.20 करोड़ की राशि को ऋण छूट योजना के अंतर्गत छूट दे दी गई जिसके एवज में बैंक को रु. 19.77 करोड़ की प्रथम किश्त प्राप्त हुई है। रु. 18.38 करोड़ की राशि की ऋण सहायता योजना के अंतर्गत पहचान की गई है जिसमें से सभी शर्तों को पूरा कर लेने पर रु. 11.41 करोड़ का दावा भारतीय रिजर्व बैंक में किया जाएगा। भारत सरकार से प्राप्त ब्याज को बहियों में परिलक्षित नहीं किया गया है। उपरोक्त दावे सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणीकरण पर ही मान्य होंगे।

ख) ऋण सहायता योजना के संबंध में बैंक ने रु. 0.65 करोड़ का प्रावधान किया है जोकि पात्र किसानों से रु. 3.92 करोड़ के वर्तमान प्रावधान से प्राप्त राशि के वर्तमान मूल्य में हानि के एवज में है तथा शेष प्रावधान का पुनरांकन कर दिया गया है। योजना के अनुसार इन खातों में बकाया को मानक श्रेणी मान लिया गया है।

## 6. कारोबार अनुपात

	मर्दे	2008-09	2007-08
(i)	औसत कार्यशील निधियों का ब्याज आय में प्रतिशत	9.35%	8.67%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों का गैर ब्याज आय में प्रतिशत	1.17%	1.24%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों का परिचालन लाभ में प्रतिशत	2.09%	2.12%
(iv)	आस्तियों से आय	1.26%	1.49%
(v)	प्रति कर्मचारी (रुपये लाखों में) कारोबार (जमा राशियां + अग्रिम)	655.58	466.87
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रुपये लाखों में)	5.03	4.24

b) Details of non-performing financial assets sold:

(Rupees. in crore)

	Items	2008-09	2007-08
(i)	No. of accounts sold	Nil	Nil
(ii)	Aggregate outstanding	Nil	Nil
(iii)	Aggregate consideration received	Nil	Nil

5.7 Provisions on Standard Assets

(Rupees. in crore)

Items	2008-09	2007-08
Provisions towards Standard Assets	121.69	109.74

5.8 a) In terms of the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008 framed by the Government of India, an amount of Rs. 48.20 crore has been waived under the Debt Waiver Scheme, against which Bank has received 1<sup>st</sup> installment of Rs. 19.77 crore. An amount of Rs. 18.38 crore is worked out as eligible under the Debt Relief Scheme, out of which Rs. 11.41 crore is subject to fulfillment of conditions attached thereto, claim will be lodged with Reserve Bank of India for the same. Interest receivable from Govt. of India has not been given effect in the books. The said claims are subject to certification by Statutory Central Auditors.

b) In respect of Debt Relief Scheme, Bank has made a provision of Rs. 0.65 crore against loss in Present Value terms on amount receivable from eligible farmers from the existing provision held amounting to Rs. 3.92 crore and balance provision has been written back. Outstanding in these accounts has been considered as Standard category as laid down in the Scheme.

## 6. Business Ratios

	Items	2008-09	2007-08
(i)	Interest Income as a percentage to average working funds	9.35%	8.67%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to average working funds	1.17%	1.24%
(iii)	Operating Profit as a percentage to average working funds	2.09%	2.12%
(iv)	Return on Assets	1.26%	1.49%
(v)	Business [Deposits plus Advances] per employee (Rs. in lacs)	655.58	466.87
(vi)	Profit per employee (Rs. in lacs)	5.03	4.24



## 7 आस्ति देयता प्रबंधन / Asset Liability Management

31.03.2009 को आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप  
Maturity Pattern of Assets and Liabilities as on 31.03.2009

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

परिपक्वता स्वरूप (समयावधि) Maturity Pattern (Time Buckets)	जमा राशियां / Deposits	ऋण तथा अग्रिम / Loans & Advances	निवेश / Investments	उधार / Borrowings	विदेशी मुद्रा / Foreign Currency	
					देयताएं / Liabilities	आस्तियां / Assets
1 दिन / day	289.88	114.19	33.37	0.00	66.23	148.69
2-7 दिन / days	1293.93	422.79	322.42	2474.98	2.94	27.32
8-14 दिन / days	1414.25	749.00	0.00	0.00	7.75	25.02
15-28 दिन / days	1096.68	992.71	94.45	0.00	7.30	60.81
29 दिन से 3 माह तक / 29 days to 3 months	5095.20	4716.84	666.79	0.00	32.35	289.88
3 माह से अधिक 6 माह तक / Over 3 months to 6 months	3462.45	2875.98	588.04	12.20	39.55	130.18
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक / Over 6 months to 1 year	7664.78	2555.62	172.32	12.15	116.50	3.70
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक / Over 1 year to 3 years	6452.54	5632.61	1395.51	12.15	41.30	शून्य / Nil
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक / Over 3 years to 5 years	2004.72	3065.72	1204.54	0.00	1.59	शून्य / Nil
5 वर्ष से अधिक / Over 5 years	5901.22	3489.89	8149.99	200.00	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल / Total	34675.65	24615.35	12627.43	2711.48	315.51	685.60

## 8. ऋण / Exposures:

### 8.1 वास्तविक संपदा क्षेत्र को ऋण / Exposure to Real Estate Sector Category

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

	श्रेणी / Category	31.03.2009	31.03.2008
1.	प्रत्यक्ष ऋण / Direct Exposure		
(क) / (a)	रिहायशी बंधक / Residential Mortgages	1180.84	1007.86
	ऐसी संपत्तियां जिन पर उधारी का कब्जा है या किराये पर दी हुई हैं, को दिया गया ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है। Lending fully secured by mortgage of residential properties that is or will be occupied by the borrower or that is rented		



		उपरोक्त में व्यक्तिगत आवास ऋण सम्मिलित हैं. / Individual housing loan Included in the above	931.22	773.08
	(ख)/(b)	व्यावसायिक वास्तविक संपदा / Commercial Real Estate		
	(i)	व्यावसायिक वास्तविक संपदा पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण (कार्यालय, भवन, बहुआयामी व्यापारिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, व्यावसायिक परिसर जहां बहुत से किरायेदार रहते हैं, औद्योगिक संस्थान या मालगोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण आदि) ऐसी ऋण सीमाओं में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी) के ऋण भी शामिल हैं Lending secured by mortgages of commercial real estates (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multi family residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial space or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc) exposure would also include non fund based (NFB) limits;	1640.74	1184.26
	(ग)/(c)	बंधक प्रतिभूतियों में विनियोग (एम बी एस) और अन्य जमानती ऋण। Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures		
	(क)/(a)	रिहायशी / Residential	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	(ख)/(b)	व्यावसायिक-वास्तविक संपदा / Commercial Real Estate	शून्य / Nil	शून्य / Nil
2.		अप्रत्यक्ष ऋण [राष्ट्रीय आवास (एन एच बी) और आवास वित्त बैंक (एच एफ सी) को निधि एवं गैर-निधि आधारित ऋण] Indirect Exposure [Fund based and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)]	1308.23	1224.20

## 8.2 पूंजी बाजार ऋण में भागीदारी

## 8.2 Exposure to Capital Market

(रुपये करोड़ों में)

	मदें	2008-09	2007-08
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय ऋण पत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों के यूनिटों में निवेश जिनका पूर्ण रूप से कम्पनी ऋणों में विनियोग नहीं किया गया	53.82	81.06
(ii)	सामान्य अशों (आई.पी.ओ. / ई.एस.ओ.पी.एस) परिवर्तनीय बांड्स, परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों में विनियोग के लिए अशों/बाण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में एकल स्वामियों को दिए गए अग्रिम	0.08	2.03
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य हेतु दिया गया अग्रिम जहां अशों या परिवर्तनीय अशों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	0.18	0.10

(Rupees in crore)

	Items	2008-09	2007-08
(i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	53.83	81.06
(ii)	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.08	2.03
(iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.18	0.10

(iv)	अंशों की संपादित प्रतिभूति या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों द्वारा प्रत्याभूत अन्य उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रिम अर्थात् जहां पर अंशों/परिवर्तनीय बाण्डों/परिवर्तनीय ऋण पत्रों/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों पर दिए गए अग्रिमों को प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा पूर्ण रूप से प्रत्याभूत नहीं किया गया	0.01	0.30
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती व गैर—जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकर्स द्वारा जारी गारंटियां	3.49	18.39
(vi)	नई कम्पनियों की इक्विटी हेतु फण्डस एकत्रित करने के लिए तथा प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए अंशों/बाण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियां या निर्बंध आधार पर कम्पनियों को संस्वीकृत ऋण	शून्य	शून्य
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता/निर्गमों पर कम्पनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
(viii)	प्राथमिक अंशों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों के संबंध में बैंकों द्वारा किए हामीदारी वायदे	शून्य	शून्य
(ix)	मार्जिन सौदों हेतु स्टॉक ब्रोकरों को दिया गया वित्त	शून्य	शून्य
(x)	पूंजी निधियों पर ऋण जोखिम (पंजीकृत तथा अपंजीकृत) को इक्विटी के समतुल्य माना जाएगा और उस पूंजी बाजार के ऋण जोखिम की अद्यतन सीमा के अनुपालन के लिए गिना जाएगा (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही)	1.22	1.22
	पूंजी बाजार में कुल ऋण भागीदारी	58.80	103.10

### 8.3 देशवार ऋण जोखिम

देशांतर आधार पर बैंक द्वारा विदेशी विनिमय लेनदेन के संबंध में दिए गए निवल ऋण जो प्रत्येक देश से संबंधित हैं बैंक की कुल आस्तियों के 1% के अंदर हैं। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

### 8.4 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारी सीमा (एस जी एल) समूह उधारी सीमा (जी.बी.एल) के विवरण

(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.01	0.30
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	3.49	18.39
(vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	Nil
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	Nil	Nil
(viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
(ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
(x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect)	1.22	1.22
	Total Exposure to Capital Market	58.80	103.10

### 8.3 Risk Category wise Country Exposure

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence no provision is required as per RBI guidelines.

### 8.4 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank



वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकल उधारी/समूह उधारी हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सीमा को पार नहीं किया है सिवाय निम्न मामलों के जिनपर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

During the year 2008-09, the Bank has not exceeded the prudential exposure limits set by RBI to single borrower/ group borrower, except in the following cases, which have been approved by the Board:

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

क्र.सं. S.No.	उधारियों के नाम / Name of the Borrower	वर्ष के दौरान अधिकतम ऋण सीमा Maximum Limit during the year	ऋण जोखिम (%) / Exposure (%) as on	31.03.09 को ऋण सीमा / देयताएं Limit / Liability as on 31.03.09	ऋण जोखिम (%) Exposure (%)
1.	बीपीसीएल / BPCL	650.00	29.99 (19.11.08)	225.00	8.76
2.	इफको / IFFCO	425.00	19.61 (20.11.08)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
3.	इंडियन आयल कॉर्पोरेशन / INDIAN OIL CORPORATION	650.00	29.99 (20.11.08)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
4.	एचपीसीएल / HPCL	650.00	29.99 (08.12.08)	625.04	24.35
5.	यस बैंक लि. / YES BANK LTD.	360.00	16.61 (26.12.08)	360.00	14.02
6.	सेल / SAIL	425.00	19.61 (29.12.08)	350.05	13.63
7.	सीडबी / SIDBI	500.00	19.47 (27.03.09)	500.00	19.47
8.	एचडीएफसी लि. / HDFC LTD	415.00	16.16 (31.03.09)	415.00	16.16

**8.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जुर्माने का प्रकटीकरण**

		2008-09	2007-08
क.	वर्ष के दौरान बैंक पर भारि.बै. द्वारा लगाया जुर्माना	शून्य	शून्य
ख.	प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर भारि.बै. द्वारा दिए गए निर्देश या प्रतिकूल टिप्पणियां	शून्य	शून्य

**8.5 Disclosure of Penalties imposed by Reserve Bank of India**

		2008-09	2007-08
A	Penalty imposed by RBI on Bank during the year	Nil	Nil
B	Strictures or Directions by RBI on the basis of adverse findings	Nil	Nil

**9. मानक लेखांकन का अनुपालन**

9.1 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी प्रवाह विवरणी

(000 को छोड़कर)

(क) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी प्रवाह	2008-09	2007-08
लाभ-हानि खाते के अनुसार निवल लाभ / (हानि)	4371781	3823581
समायोजन हेतु :		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	2905356	1603007
मूल्यहास (निवल)	106315	71948

**9 Compliance with Accounting Standards:**

9.1 Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2009

(000's omitted)

A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	2008-09	2007-08
Net Profit/ (Loss) as per Profit & Loss Account	4371781	3823581
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	2905356	1603007
Depreciation (Net)	106315	71948



आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-716	-1402
गौण ऋण पर ब्याज	531111	257485
स्टाफ कल्याण निधि	-60000	-60000
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	<b>7853847</b>	<b>5694619</b>
समायोजन हेतु		
निक्षेपों में वृद्धि / (कमी)	98442463	55126524
उधारों में वृद्धि / (कमी)	-4652416	27716420
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)	2543571	-28629
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	-41520092	-17824399
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	-63375041	-66778284
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	-3090613	-558997
परिचालन गतिविधियों (क) से नकद प्रवाह	<b>-3798281</b>	<b>3347254</b>
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
स्थिर आस्तियों में वृद्धि	-215810	-118811
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	716	1402
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)	<b>-215094</b>	<b>-117409</b>
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
गौण बांड जारी करना	4000000	1000000
गौण बांड का मोचन	-450000	-1050000
गौण बांडों पर ब्याज	-531111	-257485
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)	<b>3018889</b>	<b>-307485</b>
परिचालन गतिविधियों से नकदी	-3798281	3347254
निवेश गतिविधियों से नकदी	-215094	-117409
वित्तीय गतिविधियों से नकदी	3018889	-307485
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि	<b>-994486</b>	<b>2922360</b>
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी व नकदी समतुल्य	29398873	26476513
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य	28404387	29398873

Profit on sale of assets	-716	-1402
Interest on subordinated debts	531111	257485
Staff Welfare Fund	-60000	-60000
<b>Operating Profit before working capital changes</b>	<b>7853847</b>	<b>5694619</b>
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	98442463	55126524
Increase / (Decrease) in Borrowings	-4652416	27716420
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	2543571	-28629
(Increase) / Decrease in Investments	-41520092	-17824399
(Increase) / Decrease in Advances	-63375041	-66778284
(Increase) / Decrease in Other Assets	-3090613	-558997
<b>Cash Flow from Operating Activities (A)</b>	<b>-3798281</b>	<b>3347254</b>
<b>B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>		
Increase in Fixed Assets	-215810	-118811
Profit on sale of assets	716	1402
<b>Cash Flow from Investing Activities (B)</b>	<b>-215094</b>	<b>-117409</b>
<b>C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>		
Issue of Subordinated Bonds	4000000	1000000
Redemption of Subordinated Bonds	-450000	-1050000
Interest on Subordinated Bonds	-531111	-257485
<b>Cash Flow from Financing Activities (C)</b>	<b>3018889</b>	<b>-307485</b>
Cash from Operating Activities	-3798281	3347254
Cash from Investing Activities	-215094	-117409
Cash from Financing Activities	3018889	-307485
<b>Increase in Cash &amp; Cash Equivalents</b>	<b>-994486</b>	<b>2922360</b>
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year	29398873	26476513
Cash and Cash equivalents at the end of the year	28404387	29398873



9.2 लाभ-हानि खाते में पूर्व अवधि की कोई मदें शामिल नहीं हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार ए एस-5 में बताया जाना हो, सिवाय उनके जिन्हें टिप्पणियों में नहीं और दर्शाया गया है।

9.3 प्राप्ति आधार पर मान्य आय/व्यय मदें महत्वपूर्ण नहीं हैं।

9.4 लेखा प्रणाली मानक-15 कर्मचारी लाभ

9.4.1 पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधानों को आई.सी.ए.आई द्वारा जारी संशोधित लेखा मानक (ए.एस.-15) के आधार पर किया जाता है। पेंशन निधियों तथा रुग्णावकाश के संबंध में संक्रमण कालीन दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर रु. 408.35 करोड़ तथा 01.04.2007 की स्थिति के अनुसार रु. 24.79 करोड़ आंका गया है जिसे संशोधित लेखा मानक (ए.एस.-15) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 से 5 वर्ष की अवधि में समाप्त किया जाएगा। पेंशन निधियों तथा रुग्णावकाश के संबंध में न पहचाने गए बीमांकिक दायित्व को कमशः रु. 271.61 करोड़ तथा रु. 14.87 करोड़ आंका गया है।

लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त नियोजनोत्तर लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

9.4.2 बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

9.2 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

9.3 Income/ Expenditure items recognized on receipt basis are not material.

9.4 Accounting Standard 15 - Employees Benefit

9.4.1 Provisions for pension, gratuity, leave encashment and other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) issued by the ICAI. In respect of pension funds and sick leave, transitional liability was computed at Rs.408.35 crore and Rs. 24.79 crore as on 01.04.2007 as per actuarial valuation which is to be written off over a period of five years w.e.f. financial year 2007-08 in terms of Revised Accounting Standard (AS - 15). The amount of unrecognized transitional liability on account of pension fund and sick leave is Rs. 271.61 crore and Rs.14.87 crore respectively.

The summarized position of post employment benefits recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet as under:

9.4.2 Changes in the present value of the obligation

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
निर्धारित लाभ बाध्यता का 1 अप्रैल को मूल्य Present Value of defined benefit obligation as at 1 <sup>st</sup> April	1037.63	996.36	272.96	246.69	130.89	112.21
ब्याज लागत Interest cost	85.60	84.69	22.51	21.03	10.80	9.56
वर्तमान सेवा लागत Current service cost	23.33	24.78	10.44	10.26	5.41	8.30
घटाएँ: प्रदत्त लाभ Less: Benefits paid	(35.59)	(29.65)	(14.87)	(10.06)	(6.45)	(4.13)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि/ (लाभ) Actuarial loss/ (gain) on obligations	(30.70)	(38.55)	6.98	5.04	7.54	4.95
निर्धारित लाभ बाध्यता का 31 मार्च को मूल्य Present value of defined Benefit obligation at 31 <sup>st</sup> March	1080.27	1037.63	298.02	272.96	148.19	130.89



9.4.3 योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

9.4.3 Changes in the Fair Value of Plan Assets

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
योजनागत आस्तियों का 1 अप्रैल का मूल्य Fair value of Plan Assets as at 1 <sup>st</sup> April	690.55	588.01	268.18	241.28	127.50	108.18
योजनागत आस्तियों से अपेक्षित प्रतिलाभ Expected return of Plan Assets	60.64	47.45	21.75	19.34	11.68	10.18
निधिक अंशदान Employer contribution	93.06	84.74	17.53	17.62	12.87	13.27
घटाएं: प्रदत्त लाभ Less: Benefit paid	(35.59)	(29.65)	(14.87)	(10.06)	(6.45)	(4.13)
बीमांकिक हानि / (लाभ) Actuarial loss / (gain)	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
योजनागत आस्तियों का 31 मार्च को उचित मूल्य Fair value of Plan Assets as at 31 <sup>st</sup> March	808.66	690.55	292.59	268.18	145.60	127.50
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक लाभ Actual return on Plan Assets	60.64	47.45	21.75	19.34	11.68	10.18

9.4.4 शुद्ध बीमांकिक लाभ (हानि)

9.4.4 Net Actuarial Loss / (Gain)

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
मूल्यांकिक (हानि) देयताएं (ए) / Actuarial loss / (gain) on Obligation. (A)	(30.70)	(38.55)	6.98	5.04	7.54	4.95
प्लान आस्तियों पर (बी) मूल्यांकिक हानि (लाभ) / Actuarial loss / (gain) on Plan Assets. (B)	(1.94)	शून्य / Nil	1.05	शून्य / Nil	(0.20)	शून्य / Nil
शुद्ध मूल्यांकिक हानि (लाभ) / Net Actuarial loss / (gain)	(32.64)	(38.55)	8.03	5.04	7.34	4.95
अवधि के दौरान पहचान की गई हानि (लाभ) / Actuarial loss / (gain) recognized in the period	(32.64)	(38.55)	8.03	5.04	7.34	4.95
वर्ष के अंत में बिना पहचान वाली मूल्यांकिक हानि (लाभ) / Unrecognized actuarial loss / (Gain) at the end of the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil



9.4.5 तुलनपत्र में पहचानी गई राशि

9.4.5 Amount recognized in the Balance Sheet

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
31 मार्च को परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य / Present value of defined benefit obligation as at 31 <sup>st</sup> March	1080.27	1037.63	298.02	272.96	148.19	130.89
घटाएं: 31 मार्च को प्लान आस्तियों का उचित मूल्य / Less: Fair value of Plan Assets as at 31 <sup>st</sup> March	808.66	690.55	292.59	268.18	145.60	127.50
देयता तुलन पत्र में पहचान की गई गैर निधि शुद्ध आस्ति / देयता Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(271.61)	(347.08)	(5.43)	(4.78)	(2.59)	(3.39)

9.4.6 लाभ तथा हानि खाते में व्ययों की पहचान

9.4.6 Expenses recognized in the Profit & Loss Account

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
चालू सेवा लागत / Current service cost	23.33	24.78	10.44	10.26	5.41	8.30
ब्याज लागत / Interest cost	85.60	84.69	22.51	21.03	10.80	9.56
प्लान आस्तियों पर अनुमानित रिटर्न / Expected return on plan assets	(58.70)	(47.45)	(22.80)	(19.34)	(11.48)	(10.18)
वर्ष के दौरान शुद्ध मूल्यांकित (लाभ) हानि / Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	(32.64)	(38.55)	8.03	5.04	7.34	4.95
शुद्ध लाभ व्यय / Net benefit expense	17.59	23.47	18.18	16.99	12.07	12.63



9.4.7 तुलनपत्र में पहचानी गई देयताओं में घट-बढ़

9.4.7 Movements in the liability recognized in the Balance Sheet

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
प्रारंभिक शुद्ध देयता / Opening net liability	347.08	408.35	4.78	5.41	3.39	4.03
शुद्ध लाभ व्यय / Net benefit expense	17.59	23.47	18.18	16.99	12.07	12.63
घटाएं: भुगतान किया गया अंशदान / Less: Contribution paid	93.06	84.74	17.53	17.62	12.87	13.27
अन्तिम देयता / Closing liability	271.61	347.08	5.43	4.78	2.59	3.39

9.4.8 न्यास द्वारा रखे जाने वाला निवेश प्रतिशत

9.4.8 Investment percentage maintained by the trust

(प्रतिशत में) / (in %age)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
केन्द्रीय सरकार की / Central Government Securities	32.05	33.90	30.26	31.54	शून्य / Nil	शून्य / Nil
राज्य सरकार की / State Government Securities	19.15	19.75	18.17	17.80	शून्य / Nil	शून्य / Nil
उच्च स्तरीय कोरपोरेट बॉन्ड्स / High quality corporate bonds	43.31	39.92	42.42	40.66	83.22	75.00
विशेष जमा योजनाएं / Special Deposit Scheme	5.49	6.43	9.15	10.00	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अन्य निवेश / Other investments	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	16.78	25.00



9.4.9 तुलनपत्र की तिथि को मूल बीमांकिक मूल्यांकन  
(भारित औसत में प्रदर्शित)

9.4.9 Principal Actuarial assumption at the Balance Sheet date  
(expressed as weighted average)

(प्रतिशत में) / (in %age)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
बट्टा दर / Discount rate	8.25	8.50	8.25	8.50	8.25	8.50
प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ दर / Expected rate of return on plan assets	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50
वेतन में वृद्धि की दर / Rate of escalation in salary	5.25	5.00	5.25	5.00	5.25	5.00
अनुशय दर / Attrition rate	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13
प्रयोग में लाई गई प्रणाली / Method used	पी.यू.सी. PUC	पी.यू.सी. PUC	पी.यू.सी. PUC	पी.यू.सी. PUC	पी.यू.सी. PUC	पी.यू.सी. PUC

9.4.10 बीमांकिक मूल्यांकन का आधार

9.4.10 Basis of Actuarial Assumption considered

विवरण	मूल्यांकन का आधार
बट्टा दर	देयता के अनुमानित आधार पर सरकारी बांडों की शर्तों के अनुरूप तुलन पत्र की तिथि पर बाजार के अनुरूप लाभ के संदर्भ में बट्टा दर का निर्धारण किया गया है।
प्लान आस्तियों पर अनुमानित दर	संबंधित देयता की पूर्ण अवधि हेतु अवधि के प्रारंभ के समय पर प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ बाजार अनुमानों पर आधारित है।
वेतन में वृद्धि की दर	बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य में वेतन वृद्धि को ध्यान में रखा गया तथा मुद्रा प्रसार, वरिष्ठता, प्रोन्नति तथा अन्य संबंधित वस्तुओं पर विचार किया गया है।
अनुशय दर	अनुशय दर का निर्धारण पूर्व तथा अनुमानित भविष्य के अनुभव के अनुसार निर्धारित किया गया है तथा मृत्यु को छोड़कर इसमें समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित है लेकिन इनमें अपंगता कारक शामिल है।

Particulars	Basis of assumption
Discount rate	Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
Expected rate of return on plan assets	The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
Rate of escalation in salary	The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion, and other relevant factor, such as supply and demand in employee market.
Attrition rate	Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.



9.4.11 अन्य दीर्घ अवधि वाले कर्मचारी लाभ (गैर निधि)

9.4.11 Other long term employee benefit (Unfunded)

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	एलटीसी/ एलएफसी नकदीकरण LTC/LFC Encashment *	सिल्वर जुबली बोनस Silver jubilee Bonus	रुग्ण अवकाश Sick leave	मेडिकल लाभ Medical Benefits *	सेवा निवृत्ति उपहार Retirement Gifts
देयता का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligation	5.42	0.35	25.46	0.43	0.63
पारगमन देयता/ Transitional Liability	शून्य / Nil	शून्य / Nil	14.87	शून्य / Nil	शून्य / Nil
वर्ष के दौरान पहचानी गई पारगमन देयता/ Transitional Liability recognized during the year	5.42	0.35	10.59	0.43	0.63
पहचान न की गई पारगमन देयता/ Unrecognized transitional liability	शून्य / Nil	शून्य / Nil	14.87	शून्य / Nil	शून्य / Nil
तुलनपत्र में पहचानी गई देयता/ Liability recognized in the Balance Sheet	5.42	0.35	10.59	0.43	0.63

\* प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित / \* As assessed by the management

9.4.12 अनुसूची 16 के अंतर्गत "कर्मचारियों को भुगतान तथा प्रावधान" में रुपए 55 करोड़ का तदर्थ प्रावधान शामिल है जो कि लम्बित पड़े वेतन पुनरीक्षण समझौते हेतु है।

9.4.12 "Payment to and provision for Employee" under Schedule-16 includes an ad-hoc provision of Rs. 55 crore towards wage revision pending settlement.

9.5 लेखमानक-17-खण्ड रिपोर्टिंग

9.5 Accounting Standard 17 Segment Reporting

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

व्यावसायिक खण्ड Business Segment	राजकोष/ Treasury		कारपोरेट/ थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		फुटकर बैंकिंग/ Retail Banking		अन्य बैंकिंग प्रचालन Other Banking Operations		कुल / Total	
विवरण/ Particulars	31.03.09	31.03.08	31.03.09	31.03.08	31.03.09	31.03.08	31.03.09	31.03.08	31.03.09	31.03.08
राजस्व / Revenue	806.72	609.52	1935.91	1179.35	900.91	740.37	11.32	7.69	3654.86	2536.93
परिणाम / Result	101.74	44.16	624.49	424.21	290.62	266.31	11.32	7.69	1028.17	742.37
गैर-आबंटित व्यय Unallocated expenses									300.45	199.71
परिचालन लाभ/ Operating Profit									727.72	542.66

प्रावधान व आकस्मिक देयताएं Provisions & Contingencies									82.88	96.03
आय कर/ Income Tax									207.66	64.27
विशेष लाभ/हानि Extra Ordinary Profit/ Loss		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
शुद्ध लाभ/ Net Profit									437.18	382.36
अन्य सूचना / Other Information:										
खण्ड संपत्तियां/ Segment Assets	12841.23	8638.64	19231.29	13505.47	8949.62	8478.50	0.00	0.00	41022.14	30622.61
गैर-आबंटित संपत्तियां/ Unallocated Assets									341.65	326.59
कुल संपत्तियां/ Total Assets									41363.79	30949.20
खण्ड देयताएं/ Segment Liabilities	12238.63	8138.50	18328.82	12723.57	8529.64	7987.63	0.00	0.00	39097.09	28849.70
गैर-आबंटित देयताएं/ Unallocated Liabilities									126.36	6.17
कुल देयताएं/ Total Liabilities									39223.45	28855.87

मानक ए.एस. 17 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खण्ड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक के व्यवसाय को चार खण्डों में वर्गीकृत किया गया है जोकि अ) राजकोष परिचालन ब) कारपोरेट/थोक बैंकिंग डी) अन्य बैंकिंग परिचालन है।

बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है इसलिए भौगोलिक खण्ड की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

कारपोरेट/थोक तथा फुटकर बैंकिंग खण्ड के संबंध में खण्डीय राजस्व, परिणाम, आस्ति तथा देयताओं को इन खण्डों में दिए गए ऋणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

जहां खण्डों से संबंधित आस्ति तथा देयताएं, आबंटित की गई हो तथा जहां पर ये प्रत्यक्षतः उनसे संबंधित न हो उनका आबंटन तथा अनुपात खण्ड राजस्व के आधार पर किया गया है।

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations b) Corporate/wholesale Banking, c) Retail Banking and d) Other Banking Operations.

Since the Bank does not have any Overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.

Assets & Liabilities wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of pro-rata segment revenue.



9.6 लेखामानक-18-संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

मुख्य प्रबंधन अधिकारी

- i. सरदार आर.पी.सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- ii. सरदार जी.एस.वेदी, कार्यकारी निदेशक
- क) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को दिया गया पारिश्रमिक :
  - i. सरदार आर.पी.सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक-रुपए 21.68 लाख
  - ii. सरदार जी.एस.वेदी, कार्यकारी निदेशक-रुपए 6.03 लाख (दिनांक 16.10.2008 से प्रभावी)
  - iii. सरदार जी.एस.माटा, भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक- रुपए 8.43 लाख
- ख) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों एवं उनके संबंधियों को दिए गए ऋण :  
दिनांक 31.03.2009 को बकाया ऋण: शून्य

9.6 Accounting Standards 18 - Related Party Disclosures

Key Managerial Personnel :

- i. Sardar R. P. Singh, Chairman & Managing Director
- ii. Sardar G.S. Vedi, Executive Director
- a) Remuneration paid to Key Managerial Personnel:
  - i. Sardar R. P. Singh, Chairman & Managing Director Rs. 21.68 lacs
  - ii. Sardar G.S. Vedi, Executive Director Rs. 6.03 lacs ( w.e.f. 16.10.2008)
  - iii. Sardar G.S. Matta, Ex-Executive Director Rs. 8.43 lacs
- b) Loans granted to Key Managerial Personnel & their relatives:  
Loans outstanding as on 31.03.2009 - Nil -

9.7 लेखा मानक 22-आय पर करों हेतु लेखांकन

- 9.7.1 बैंक ने आयकर लेखा-जोखा में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-22, "आय पर करों का लेखांकन" का अनुपालन किया है।
- 9.7.2 आस्थगित कर आस्तियां/देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

9.7 Accounting Standard 22- Accounting for Taxes on Income

- 9.7.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI.
- 9.7.2 Major components of deferred tax assets/liabilities are as under:

(रुपये करोड़ों में) / (Rupees in crore)

	शीर्ष / Head	आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assets		आस्थगित कर देयताएं / Deferred Tax Liabilities	
		31.03.2009	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2008
1.	स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets	शून्य / Nil	शून्य / Nil	2.81	2.81
2.	उपचित ब्याज लेकिन प्रतिभूतियों पर देय नहीं / Interest accrued but not due on securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	70.89	शून्य / Nil
3.	वेतन पुनरीक्षण हेतु प्रावधान / Provision for wage revision	18.69	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
4.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(I) (VIII) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि / Special Reserve u/s 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961	शून्य / Nil	शून्य / Nil	3.26	शून्य / Nil
	जोड़ / Total	18.69	शून्य / Nil	76.96	2.81





- 9.7.2.1 वर्तमान कर की गणना करते समय उपचित ब्याज लेकिन प्रतिभूतियों पर देय नहीं पर विचार नहीं किया गया है जबकि पूर्व में कर प्रावधानों की गणना करते समय इसे विचार में लिया जाता था। फिर भी इसका बैंक की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप रुपए 70.89 करोड़ की राशि की मांग अवधि देयता निर्मित की गई है।
- 9.7.2.2 विधिक विशेषज्ञों की राय के आधार पर लेखा तथा प्रतिभूतियों के मूल्य की गणना के स्थायी अंतर को बैंक ने विचार में लिया है तथा तदनुसार रुपए 101.43 करोड़ की राशि की आस्थगित कर देयता के निर्माण को आवश्यक नहीं माना गया है।
- 9.7.3 विधिक विशेषज्ञों की राय तथा अनुकूल न्यायिक अधिघोषणाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा धारित आयकर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ के प्रावधान पर्याप्त पाए गए हैं।
- 9.7.4 अपील प्राधिकारियों के निर्णय, न्यायिक प्रणाली तथा कर विशेषज्ञों की राय के अनुसार विवादित आयकर, ब्याजकर की कुल राशि: 185.11 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष की राशि 226.26 करोड़ रुपए) की मांग का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि पूर्ण मांग का भुगतान/देय धन वापसी के एवज में समायोजन कर लिया गया है।
- 9.8 लेखामानक 28— आस्तियों के अनर्जक होने संबंधी लेखांकन
- ए एस-28 में परिभाषित बैंक द्वारा धारित स्थिर आस्तियों को "निगमित आस्तियां" माना गया है न कि "नकदी निर्मित इकाईयां"। प्रबंधन की राय के अनुसार 31.03.2009 तक समग्र राशि की स्थिर अनर्जक आस्तियां कोई नहीं हैं।
- 9.9 लेखामानक 29—ए.एस.-29 का अनुपालन: प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का प्रावधान:
- ए.एस.-29 के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधानों में आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों हेतु बैंक ने किसी आस्ति का प्रावधान नहीं किया है।
- क) पूर्व घटनाओं द्वारा उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसका घटना या न घटना भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है, पूर्णतया: बैंक के नियंत्रण में नहीं है। और
- ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको पहचाना नहीं गया है क्योंकि :
- 9.7.2.1 Interest accrued but not due on securities has not been considered while working out the current tax whereas considering the same in tax provisions in the past. However, there has been no impact of the same on the profitability of the Bank as resultant DTL of Rs. 70.89 crore has been created.
- 9.7.2.2 Based on the opinion of legal expert, the bank has considered the difference between accounting income and computation of taxable income on valuation of securities as permanent difference and accordingly, deferred tax liability of Rs.101.43 Crore has not been considered necessary.
- 9.7.3 Provision for Income Tax, Deferred Tax and Fringe Benefit Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favorable judicial pronouncements.
- 9.7.4 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of income tax and interest tax aggregating to Rs.185.11 crore (Previous year Rs.226.26 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts. However the entire demand has been covered against the refund due.
- 9.8 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets
- Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2009, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI.
- 9.9 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets
- As per AS-29, provisions, contingent liabilities and contingent assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for-
- a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or
- b) Any present obligation from the past events but is not recognized because



- यह संभव नहीं है कि संसाधनों के बहिर्गमन से आर्थिक लाभ के दायित्वों का निपटान किया जा सके। या
- देयता राशि का विश्वसनीय अनुमान आंका नहीं जा सका है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। इनका आंकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं के केवल वह भाग जिनमें आर्थिक लाभ का परिलक्षण होता है का प्रावधान किया गया है सिवाय विशेष परिस्थितियों में, जहाँ विश्वसनीय अनुमानों की पहचान नहीं हो सकी।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है क्योंकि इससे उस आय की पहचान हो सकती है जो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती थी।

- It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
- A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

#### 10.1 अतिरिक्त सूचनाएं

(रुपये करोड़ों में)

लाभ हानि खाते के व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान और आकस्मिक व्ययों का ब्योरा:	2008-09	2007-08
गैर-निष्पादित अग्रिमों हेतु प्रावधान	64.46	69.97
गैर-निष्पादित निवेशों हेतु प्रावधान	-1.63	-4.48
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास हेतु प्रावधान	-0.16	3.30
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	11.95	30.27
आय-कर हेतु प्रावधान	92.56	121.10
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	55.45	-0.31
अनुषंगी लाभ कर प्रावधान	1.53	1.24
एमएटी क्रेडिट पात्रता	58.03	-58.03
अन्य	8.34	-2.76
<b>कुल</b>	<b>290.53</b>	<b>160.30</b>

#### 10.2 अस्थाई प्रावधानों में घट-बढ़

(रुपये करोड़ों में)

	2008-09	2007-08
अथ शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरण से गिरावट	शून्य	शून्य
इतिशेष	शून्य	शून्य

#### 10.1 Additional disclosures:

(Rupees in crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2008-09	2007-08
Provision for Non Performing Advances	64.46	69.97
Provision for Non Performing Investments	-1.63	-4.48
Provision for Depreciation in the value of Investments	-0.16	3.30
Provision for Standard Asset	11.95	30.27
Provision for Income Tax	92.56	121.10
Provision for Deferred Tax	55.45	-0.31
Provision for Fringe Benefit Tax	1.53	1.24
MAT Credit Entitlement	58.03	-58.03
Others	8.34	-2.76
<b>Total</b>	<b>290.53</b>	<b>160.30</b>

#### 10.2 Movement of Floating Provisions

(Rupees in crore)

	2008-09	2007-08
Opening Balance	Nil	Nil
Additions during the year	Nil	Nil
Draw down during the year	Nil	Nil
Closing Balance	Nil	Nil



### 10.3 आरक्षित निधि से आहरण

पुरानी प्रविष्टियों के दावेदारों को भुगतान करने के लिए सामान्य आरक्षित निधि खाते से रु. 0.02 करोड़ रु की राशि का आहरण किया गया।

### 10.4 ग्राहक शिकायतें

	2008-09	2007-08
क) वर्ष के आरम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	40	60
ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	483	414
ग) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	511	434
घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	12	40

### 10.5 बैंकिंग लोकपाल निर्णीत मामले

	2008-09	2007-08
क) वर्ष के आरम्भ में गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	1
ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	16	22
ग) वर्ष के दौरान क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	16	22
घ) वर्ष के अंत में लंबित गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	1

### 11. लेखांकन नीति में परिवर्तन

अतिदेय सावधि जमाओं पर ब्याज का प्रावधान बचत खाते की ब्याज (वर्तमान में 3.50%) की दर से किया गया जबकि पिछले वर्ष में यह जमाओं के नवीकरण के आधार पर किया गया था। इस प्रकार वर्ष के लाभ में रु 45.91 करोड़ की कमी हुई है जबकि देयताओं में इसी राशि से वृद्धि हुई है।

12. जहां सूचना उपलब्ध नहीं थी, को छोड़कर और जहां आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

13. बैंक ने भारत सरकार को किसी भी प्रकार के लाभांश के भुगतान से छूट हेतु प्रतिवेदन किया है। भारत सरकार से अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण इक्विटी तथा बेमियादी गैर संचयी अधिमान शेयर्स पर लाभांश के लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है।

### 10.3 Draw down from Reserve

A sum of Rs.0.02 crore has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.

### 10.4 Customer's Complaints:

	2008-09	2007-08
a) No. of Complaints pending at the beginning of the year	40	60
b) No. of Complaints received during the year	483	414
c) No. of Complaints redressed during the year	511	434
d) No. of Complaints pending at the end of the year	12	40

### 10.5 Awards Passed by the Banking Ombudsman:

	2008-09	2007-08
a) No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1	1
b) No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	16	22
c) No. of Awards implemented during the year	16	22
d) No. of unimplemented Awards pending at the end of the year	1	1

### 11. Change in Accounting Policy

Interest on Overdue Term Deposits (ODFD) has been provided at Saving Bank Interest Rate (presently 3.50%) as per RBI guidelines instead of accounting the same in the previous year on the basis of as and when the deposits are renewed. Hence, profit for the year is lower by Rs.45.91crore and liabilities are higher by the similar amount.

12. The figures of the previous year have been re-grouped / re-arranged wherever necessary except where information was not available.

13. Bank has represented to Govt. of India for exemption from payment of any dividend Pending receipt of approval from Govt. of India, no provision has been made for dividend on Equity and Perpetual Non-cumulative Preference Shares.



## लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / AUDITORS' REPORT

सेवा में,  
महामहिम राष्ट्रपति महोदय,  
नई दिल्ली

हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 31 मार्च 2009 के सलग्न तुलन-पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी सहित लेखों से संबंधित टिप्पणियों का लेखा परीक्षण किया है जिसमें केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों को आबंटित कार्य के अंतर्गत हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं, आंचलिक कार्यालयों तथा केन्द्रीय कार्यालय के विभागों की विवरणियां, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 702 शाखाओं तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई 190 अपरीक्षित शाखाओं की विवरणियों को भी शामिल किया गया है। इन अपरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का प्रतिशत 1.56 प्रतिशत, जमा राशियों का 11.90 प्रतिशत, अग्रिमों पर ब्याज आय का 3.63 प्रतिशत तथा जमा राशियों पर दिए ब्याज व्ययों का 10.41 प्रतिशत हिस्सा बनता है। हमें बताया गया है कि हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार किया है। इन वित्तीय विवरणियों के लिए बैंक प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर राय देना हमारा उत्तरदायित्व है।

हमने अपना लेखा परीक्षण भारतवर्ष में सामान्यतः प्रचलित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुरूप यह वांछनीय है कि हम लेखा परीक्षण हेतु इस प्रकार योजना बनाएं एवं इसे पूर्ण करें ताकि यह विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरणियों में कोई भी कमी नहीं है। लेखा परीक्षण में प्रयोगात्मक आधार पर जाँच की गई है कि वित्तीय विवरणियों में दी गई तथा राशियों संबंधी साक्ष्य, सूचनाएं सही हैं। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमान एवं वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण शामिल रहता है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारे पक्ष के लिए एक उपयुक्त आधार है।

उपरोक्त परिच्छेदों में लेखा परीक्षा के आधार पर तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन तथा लेखा नीतियों एवं लेखा संबंधी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम निम्नानुसार प्रतिवेदन करते हैं:

I. तुलन पत्र और लाभ हानि खाते, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची में दिए गए फार्म क्रमशः "क" तथा "ख" में तैयार किए गए हैं।

II. निम्न की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:-

(क) नोट संख्या 1.1, 1.2 और 1.3 आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं के विभिन्न खातों की बकाया मदों के शेषों/निकासी पहचान/समायोजित न होने के कारण इसके प्रभाव की आवश्यकता को निर्धारित नहीं किया जा सका है।

(ख) नोट संख्या 9.7.4 अपीलों में लंबित विवादित कर-देयताओं के संबंध में है जिसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सका है।

To,  
The President of India,  
New Delhi

We have audited the attached Balance Sheet of Punjab & Sind Bank as at March 31, 2009 the Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement of the Bank for the year ended on that date annexed thereto in which are incorporated returns of 20 branches, Zonal Offices and Central Office Departments audited by us as part of allocation of work among the Statutory Central Auditors, 702 branches audited by other auditors and 190 returns in respect of unaudited branches not visited by us. These unaudited branches account for 1.56 per cent of the advances, 11.90 per cent of deposits, 3.63 per cent of interest income on advances and 10.41 percent of interest expenses on deposits. The branches audited by us and those by other auditors, we are informed, have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Subject to the limitations of the audit indicated in above paras and as required by the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertaking) Act, 1980 and also subject to the limitation of the disclosure required therein, we report as under:-

I. The Balance Sheet and Profit & Loss Account have been drawn up in forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

II. Attention is invited to:-

a) Note No. 1.1, 1.2 and 1.3 regarding adjustments required on account of non reconciliation of balances and clearance/identification of outstanding items in respect of various accounts of income, expenditure, assets and liabilities, the effect of which is not ascertainable.

b) Note No. 9.7.4 regarding disputed tax liabilities pending in appeals, the effect of which is not ascertainable.

III. बैंक की पूंजी पर्याप्तता तथा अन्य अनुपात जिन्हें बैंक द्वारा लेखों में सूचित किया गया है, खातों पर टिप्पणियां, लेखा नीतियों और ऊपर पैरा-II पर हमारी टिप्पणियों के अनुसार किए गए समायोजनों के अनुरूप है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि:-

क. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमें दिखाई गई बैंक की बहियों के आधार पर तथा उपरोक्त पैरा II में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन है:-

- प्रमुख लेखा नीतियों तथा उन पर हमारी टिप्पणियों सहित पठनीय तुलन पत्र एक पूर्ण एवं विशुद्ध तुलन पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण निहित हैं तथा इसे उचित ढंग से तैयार किया गया है जिसमें बैंक के 31 मार्च, 2009 के मामलों का उचित उल्लेख है।
- लाभ हानि खाता एवं प्रमुख लेखा नीतियों तथा हमारी टिप्पणियों के साथ पठनीय 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए वास्तविक लाभ शेष को दर्शाता है।
- नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2009 तक के वास्तविक नकदी प्रवाह को दर्शाता है।

(ख) जो सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थे, सभी सूचनाएं हमने प्राप्त की हैं और हमने इन्हें संतोषजनक पाया है।

(ग) बैंक के ऐसे सभी लेनदेन जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक के अधिकारों के अंतर्गत थे।

(घ) बैंक के कार्यालयों शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को सामान्यतः लेखा परीक्षण कार्य हेतु उपयुक्त पाया गया है। केवल कुछ ही शाखाओं के मामले में, जिनके ब्यौरे पर्याप्त नहीं थे, उनके संदर्भ में आंचलिक कार्यालयों, प्रधान कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं पर विश्वास किया गया है।

**कृते के. बी. चांदना एण्ड कं. कृते प्रसाद आजाद एण्ड कं.**

सनदी लेखाकार  
(संजीव चांदना)  
साझेदार  
एम नं. 87354

सनदी लेखाकार  
(दीपक आजाद)  
साझेदार  
एम नं. 94115

**कृते एस. लाल एण्ड कं.**

सनदी लेखाकार  
(एस. एल. अग्रवाल)  
साझेदार  
एम नं. 7959

**कृते बंसल सिन्हा एण्ड कं.**

सनदी लेखाकार  
(रविन्दर खुल्लर)  
साझेदार  
एम नं. 82928

**कृते बलराम चंद्रा एण्ड एसोसिएट्स**

सनदी लेखाकार  
(बलराम चंद्रा)  
साझेदार  
एम नं. 070875

III. *Capital Adequacy as per Basel-I and Basel-II and other ratios disclosed in the Accounts by the Bank is subject to adjustments arising out of the Notes on Accounts, Accounting Policies and our remarks in para II above.*

We further report that:-

(a) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank and subject to our comments in para II above:

- The Balance Sheet read together with the Significant Accounting Policies and Notes on Accounts thereon is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars, and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at March 31, 2009.
- The Profit & Loss Account, read together with the Significant Accounting Policies and Notes on Accounts thereon reflects a true balance of profit for the year ended on March 31, 2009.
- The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the Cash flow for the year ended March 31, 2009.

(b) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

(c) The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

(d) The returns of the accounts received from the offices and branches of the Bank have generally been found adequate for the purpose of our audit except that in the case of some branches where particulars were inadequate, the information available at the Zones / Head Office has been relied upon.

**For K. B. CHANDNA & CO.**

CHARTERED ACCOUNTANTS  
[SANJEEV CHANDNA]  
Partner  
M. No. 87354

**For PRASAD AZAD & CO.**

CHARTERED ACCOUNTANTS  
[DEEPAK AZAD]  
Partner  
M. No. 94115

**For S. LALL & CO.**

CHARTERED ACCOUNTANTS  
[S. L. AGGARWAL]  
Partner  
M. No. 7959

**For BANSAL SINHA & CO.**

CHARTERED ACCOUNTANTS  
[RAVINDER KHULLAR]  
Partner  
M. No. 82928

**For BALRAM CHANDRA & ASSOCIATES**

CHARTERED ACCOUNTANTS  
[BALRAM CHANDRA]  
Partner  
M. No. 070875

दिनांक : 29 अप्रैल, 2009

स्थान : नई दिल्ली

Dated: 29<sup>th</sup> April, 2009

Place: New Delhi



बासल II के लिए प्रकटीकरण-31 मार्च को समाप्त वर्ष 2009

तालिका डी एफ 1-अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण क) इस वर्ग के सर्वोत्तम बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है।	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
ख) नियामक उद्देश्यों के आधार पर तथा लेखों के समेकन में भिन्नताओं का सारांश, तथा वर्ग के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों का संक्षिप्त ब्यौरा (i) जिनका पूर्ण रूप से समेकन किया गया है; (ii) जिनका समानुपातिक आधार पर समेकन किया गया है; (iii) जिन्हें छूट दी गई है तथा (iv) जिन्हें न तो समेकित किया गया है और न ही छूट दी गई है। (जैसे कोई जोखिम भारित निवेश)	लागू नहीं
मात्रात्मक प्रकटीकरण ग) सभी सहायक कंपनियों की पूंजी में कमियों की कुल राशि जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात् जिन्हें घटाया गया है तथा जिनके नाम ऐसी सहायक कंपनियों से हटाए गए हैं।	लागू नहीं
घ) बैंक की कुल राशि(अर्थात् चालू बही मूल्य) जो बीमा कंपनियों में लगी हैं, उनमें से जो जोखिम भारित हैं, उनके नाम, उनके निगमन का स्थान या आवास, स्वामित्व का अंश तथा यदि भिन्न है तो इन संस्थाओं में उनके मताधिकार शक्ति का अंश। इसके अतिरिक्त नियामक पूंजी बनाम छूट के तरीके के प्रयोग से होने वाले मात्रात्मक प्रभाव भी सूचित करें।	लागू नहीं

तालिका डी एफ 2-पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण

लोअर टियर II पूंजी हेतु नियम एवं शर्तें:

बैंक ने लोअर टियर 2 के माध्यम से गौण ऋणों के रूप में वचन-पत्र के कूपन जारी किए हैं जिनका भुगतान वार्षिक/अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। इन बॉण्डों को देशी दर-निर्धारण एजेन्सियों से विधिवत दर निर्धारित करवाने के बाद जारी किया गया है। सभी बकाया बॉण्ड्स राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में सूचीबद्ध हैं। इन बॉण्ड्स की अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं:-

- बॉण्ड्स की अवधि इनके जारी करने की तिथि से 97 माह से 127 माह के बीच होती है।

BASEL II DISCLOSURES YEAR ENDED  
31<sup>ST</sup> MARCH 2009

Table DF 1 SCOPE OF APPLICATION

<b>Qualitative Disclosures</b> (a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies.	The Bank does not belong to any group
(b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated; (ii) that are pro-rata consolidated; (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).	NotApplicable
<b>Quantitative Disclosures</b> (c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	NotApplicable
(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	NotApplicable

Table DF 2 CAPITAL STRUCTURE

Qualitative disclosures

TERMS & CONDITIONS OF LOWER TIER II CAPITAL:

The Bank has issued Lower Tier II Bonds by way of Subordinated Debts in the form of Promissory Notes at Coupon payable annually / semi-annually. These bonds have been issued after getting them duly rated by the Domestic Rating Agencies. All the outstanding Bonds are listed at the National Stock Exchange Ltd. Mumbai. The other important features of these bonds are :

- The bonds have a tenor ranging from 97 months to 127 months from date of the issue.

- यह बॉण्ड्स अन्य लेनदारों के दावों हेतु पूर्णतः चुकता, गैर जमानती तथा गौण हैं, प्रतिबंधी खंड से मुक्त हैं और धारक के कहने पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना भुनाए नहीं जा सकते हैं।
- यह बॉण्ड्स अपनी अवधि के अन्तिम पाँच वर्षों के दौरान 20% प्रति वर्ष की दर से क्रमिक भुगतान के अधीन हैं। इस प्रकार किए गए भुगतान की राशि को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु टीयर- II पूंजी में शामिल नहीं किया गया है।
- इन बॉण्डों के निवेशकों के दावों को टीयर I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र बॉण्ड्स के निवेशकों के दावों से वरीयता प्रदान की गई है तथा अन्य लेनदारों के दावों को गौण माना गया है।

गौण ऋण प्रलेख, बैंक की टीयर I पूंजी के 50% तक सीमित होंगे तथा इन प्रलेखों के साथ टीयर II पूंजी के अन्य संगठक टीयर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होंगे।

#### मात्रात्मक प्रकटीकरण

रु. करोड़ों में	
क) टीयर I पूंजी की राशि, निम्न का अलग से प्रकटीकरण	राशि
- प्रदत्त अंश पूंजी	383.06
- आरक्षितियाँ	1252.41
- नवोन्मेषी प्रलेख	160.00
- अन्य पूंजी प्रलेख	0.00
- उप योग	1795.47
- घटाए: टीयर I पूंजी से कम की गई राशियाँ जिसमें साख और ख्याति शामिल हैं	1.14
कुल टीयर I पूंजी	1794.33
ख) टीयर II पूंजी की कुल राशि (टीयर II पूंजी से घटाने के बाद बची कुल राशियाँ)	1256.88
ग) उच्च टीयर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य ऋण पूंजी प्रलेख	शून्य
- कुल बकाया राशि	लागू नहीं
- इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	लागू नहीं
- पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	लागू नहीं
घ) न्यून टीयर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य गौण ऋण	
- कुल बकाया राशि	735.00
- इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	400.00
- पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	708.00
ड) पूंजी से अन्य कटौतियाँ, यदि कोई हैं तो	शून्य
च) कुल पात्र पूंजी	3051.21

- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI.
- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20% per year over the last five years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier II Capital for Capital Adequacy purposes.
- The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital and subordinate to the claims of all other creditors.

Subordinated debt instruments shall be limited to 50% of Tier I capital of the Bank and these instruments, together with other components of Tier II Capital shall not exceed 100% of Tier I Capital.

#### QUANTITATIVE DISCLOSURES

Rs. /Crore	
(a) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of	Amount
- Paid-up share capital:	383.06
- Reserves:	1252.41
- Innovative instruments:	160.00
- Other capital instruments:	0.00
- SUB-TOTAL	1795.47
- LESS: amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill and investments.	1.14
TOTAL TIER I CAPITAL	1794.33
(b) The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	1256.88
(c) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital.	NIL
- Total amount outstanding.	NA
- Of which amount raised during the current year	NA
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	NA
(d) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
- Total amount outstanding	735.00
- Of which amount raised during the current year.	400.00
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	708.00
(e) Other deductions from capital, if any.	NIL
(f) Total eligible capital.	3051.21

### तालिका डी एफ 3—पूँजी पर्याप्तता

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखिम प्रबंधन अनुबंध का क्रियान्वयन करते समय उच्च कोटि की वैश्विक कार्यप्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरंभ कर दी है जो कि बासल II की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासल II से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन का गठन किया गया है। जोखिम भारित आस्तियों, बाज़ार जोखिम तथा प्रचालन जोखिम में प्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर बैंक की पूँजीगत आवश्यकताओं को आंकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

#### मात्रात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम हेतु पूँजीगत आवश्यकताएं:

	राशि-रु / करोड़
मानक दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	1440.07
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य

बाज़ार जोखिम हेतु पूँजीगत आवश्यकताएं : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

समान्य बाज़ार जोखिम पर पूँजी प्रभार	राशि-रु / करोड़
ब्याज दर जोखिम	89.72
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	6.36
इक्विटी जोखिम	96.08

प्रचालन जोखिम हेतु पूँजीगत आवश्यकताएं:

	राशि-रु / करोड़
मूल सूचक दृष्टिकोण	174.39

बैंक हेतु कुल तथा टीयर I पूँजी अनुपात:

बासल II के अनुसार कुल पूँजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	14.35%
बासल II के अनुसार टीयर I पूँजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	8.44%
बासल I के अनुसार कुल पूँजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	11.88%
बासल I के अनुसार टीयर I पूँजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	6.99%

### Table DF 3 - CAPITAL ADEQUACY

#### Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

#### QUANTITATIVE DISCLOSURES

Capital requirements for credit risk:

	Amt. - Rs./ Crores
Portfolios subject to standardised approach	1440.07
Securitisations exposures	Nil

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital Charge on account of General Market Risk	Amt. - Rs./ Crores
Interest rate risk	89.72
Foreign exchange risk (including gold)	6.36
Equity risk	96.08

Capital requirements for operational risk:

	Amt. - Rs./ Crores
Basic indicator approach	174.39

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	14.35%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	8.44%
Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel I	11.88%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel I	6.99%



विवेक पूर्ण स्तर पर पूंजी की आवश्यकता	राशि-रु / करोड़
संशोधित ढांचे के अनुसार न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता	1904.89
उधार एवं बाजार जोखिमों के लिए बासल I के ढांचे के अनुसार न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता	2316.22
विवेकपूर्ण स्तर-उपरोक्त स्तर से अधिक	2316.22

#### तालिका डी एफ 4-ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

##### गुणात्मक प्रकटीकरण

#### क) पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा:

बैंक ने गैर-निष्पादित आस्तियों के वर्गीकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेक पूर्ण दिशा-निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया है :

क) जहाँ मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा / अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो ।

ख) स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार के संबंध में खाता "अनियमित" हो जाता है यदि खाता लगातार 90 दिनों से अधिक अनियमित बना रहता है तथा / अथवा अधिविकर्ष / नकद ऋण (ओ डी / सी सी) के संबंध में तुलन पत्र की तिथि की स्थितिनुसार 90 दिनों तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती अथवा जमा की गई राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके ।

ग) बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाये गये बिलों के मामले में जहाँ बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों ।

घ) अल्प अवधि की फसलों के लिए मूल धन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रही हो ।

ड) दीर्घ अवधि की फसलों के लिए जहाँ मूल धन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रही हो ।

च) प्रतिभूतिकरण के दिनांक 01.02.2006 के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन-देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है ।

यहां अतिदेय राशि से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी राशि देय है यदि बैंक को निर्धारित देय तिथि पर इसका भुगतान नहीं होता, जहाँ किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाये तो ऐसे खाते को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

Prudential Floor on the Capital Required	Amt. - Rs. / Crores
Minimum Capital required as per the Revised Framework	1904.89
Minimum Capital required as per Basel I Framework for Credit & Market Risk	2316.22
Prudential Floor Higher of the above	2316.22

#### Table DF 4 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

##### Qualitative Disclosures

#### A. DEFINITIONS OF PAST DUE AND IMPAIRED:

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under :

a) Interest and / or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.

b) The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).

c) The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.

d) The instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.

e) The instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

f) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitisation transaction undertaken in terms of guidelines on securitisation dated February 1, 2006.

Here, 'Overdue' mean any amount due to the bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the bank. Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset, ceases to generate income for the bank.



उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारि. बैं. द्वारा जारी निम्न दिशा-निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्संरचित खाते (ख) अधिक चले समय के अतःग्रस्त कार्यान्वयन के अधीन परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्तिकर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (च) अधिग्रहण वित्त (छ) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (ज) बी.एफ.आई.आर/टी.एल.आई द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) खातों के उन्नयन (ण) तुलन-पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खातों आदि के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण के संबंध में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी-निर्देशों का भी पालन करता है।

### (ख) ऋण जोखिम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

बैंक के ऋण जोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमाणन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखिम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखिम दर्शन का लक्ष्य जोखिम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि स्टॉकधारकों की इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बैंक का सतत एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

#### बैंक की योजनागत नीति – ऋण जोखिम:

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय-समय पर ऋण नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण नीति वर्ष में कम से कम एक बार बोर्ड तथा जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का ध्यान रखा जाता है :-

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबद्ध जोखिम रूप रेखा पर आधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी-निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क की परिभाषा।
- निरीक्षण-तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी-निर्देशों का अनुपालन।

#### ऋण जोखिम प्रबंधन अभिकल्पना :

- ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक का संगठनात्मक ढाँचा शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक-मंडल है, जो जोखिम प्रबंधन कारोबार पर सम्यक निगरानी रखता है।

Besides above, bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit, d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Up-gradation of accounts, i) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

### B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

To effectively identify, assess, measure and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimising risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

#### STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board and Risk Management Committee, at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- Definition of credit rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

#### CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level who have the overall oversight of management of risks.



- जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) बोर्ड की एक उप समिति है, जिसके अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक होते हैं, जो ऋण जोखिम सहित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं आयोजना तैयार करती है।
- संचालनगत स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके पूरक कार्यों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का अनुपालन, बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम पर निगरानी करना, तथा बोर्ड को तर्कसंगत सीमाओं, बड़े ऋण कारोबार, संविभाग प्रबंधन आदि से संबंधित शक्तियाँ प्रदत्त करने की संस्तुति शामिल है।
- महा प्रबंधक की अध्यक्षता में गठित जोखिम प्रबंधन विभाग (आर एम डी) बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का परिमाणन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और बोर्ड / आर.एम.सी. / सीआरएमसी द्वारा निर्धारित जोखिम मापदंडों के अनुपालन को लागू करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष तथा संचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष द्वारा विधिवत् अनुसमर्थित है।
- महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग ऋण निवेश सूची की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं का अभिज्ञान करना तथा कमियों को दूर करने के उपाय करता है। ऋण पुनरीक्षण / ऋण संबंधी लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा कार्यों द्वारा किया जाता है।

#### ऋण जोखिम प्रबंधन / अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन :

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी-शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यावसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल / समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण-निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोखिम, रेटिंग / मूल्यांकन - बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण एवं मूल्यांकन-निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा / ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- संविभाग प्रबंधन - शुरुआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक एक ज़्यादा अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।

- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions includes implementation of credit risk management policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval of all policies relating to credit matters including delegation of credit, prudential limits on large credit exposures, portfolio management, etc.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the General Manager, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Market Risk Management Cell and Operations Risk Management Cell.
- The Inspection Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

#### TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority-Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment
- Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration
- Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.



## जोखिम आंकलन :

वर्तमान में, व्यक्तिगत स्तर पर जोखिम रेटिंग के माध्यम से ऋण जोखिम का प्रबंधन तथा संविभाग स्तर पर परिसम्पत्तियों का जोखिम मूल्यांकन जोखिम भार के जरिए निर्धारित किया जाता है और इस जोखिम भार के आधार पर पूंजी का रख-रखाव किया जाता है।

### परिमाणात्मक स्थिति

#### कुल निवल ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

श्रेणी	राशि- करोड़ रुपये
1. निधि-आधारित ऋण राशि	24698.10
2. गैर-निधि आधारित ऋण राशि	2128.64

#### ऋण जोखिम का भौगोलिक वितरण

श्रेणी	राशि- करोड़ रुपये
1. विदेशी निधि-आधारित ऋण जोखिम	शून्य
गैर-निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
2. देशी निधि-आधारित ऋण जोखिम	24698.10
गैर-निधि आधारित ऋण जोखिम	2128.64

#### ऋण जोखिम का उद्योग-वार वितरण

क्र. सं. S. No.	उद्योग INDUSTRY	निधि आधारित FUND BASED	गैर निधि आधारित NON- FUND BASED	कुल TOTAL
1.	पेट्रोलियम / Petroleum	885.69	0.00	885.69
2.	विद्युत / Electricity	2013.91	3.34	2017.25
3.	अन्य धातु तथा धातु उत्पाद / Other Metal & Metal Products	458.11	53.60	511.71
4.	रसायन, डाई एवं पेंट / Chemical, Dyes & Paints	421.41	17.67	439.08
5.	समस्त इंजीनियरिंग / All Engineering	344.78	137.76	482.54
6.	सीमेंट / Cement	340.42	12.55	352.97
7.	अन्य कपड़ा उद्योग / Other Textile Industry	416.60	17.77	434.37
8.	लोहा एवं इस्पात / Iron & Steel	1001.78	55.68	1057.46
9.	मूलभूत आवश्यक तत्व / Infrastructure	2126.09	391.05	2517.14
10.	गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां / NBFC	3350.88	0.75	3351.63

## RISK MEASUREMENT:

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

### Quantitative Disclosures

#### Total gross credit risk exposures

Category	Amt. - Rs./ Crores
1. Fund Based Credit Exposures	24698.10
2. Non Fund Based Credit Exposures	2128.64

#### Geographic distribution of exposures

Category	Amt. - Rs./ Crores
1. Overseas Fund Based Credit Exposures	NIL
Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2. Domestic Fund Based Credit Exposures	24698.10
Non Fund Based Credit Exposures	2128.64

## INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

राशि- करोड़ रुपये / Amt. - Rs./ Crores

क्र. सं. S. No.	उद्योग INDUSTRY	निधि आधारित FUND BASED	गैर निधि आधारित NON- FUND BASED	कुल TOTAL
1.	पेट्रोलियम / Petroleum	885.69	0.00	885.69
2.	विद्युत / Electricity	2013.91	3.34	2017.25
3.	अन्य धातु तथा धातु उत्पाद / Other Metal & Metal Products	458.11	53.60	511.71
4.	रसायन, डाई एवं पेंट / Chemical, Dyes & Paints	421.41	17.67	439.08
5.	समस्त इंजीनियरिंग / All Engineering	344.78	137.76	482.54
6.	सीमेंट / Cement	340.42	12.55	352.97
7.	अन्य कपड़ा उद्योग / Other Textile Industry	416.60	17.77	434.37
8.	लोहा एवं इस्पात / Iron & Steel	1001.78	55.68	1057.46
9.	मूलभूत आवश्यक तत्व / Infrastructure	2126.09	391.05	2517.14
10.	गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां / NBFC	3350.88	0.75	3351.63



आस्तियों का अवशिष्ट सांविधिक परिपक्वता विकार

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY  
BREAKDOWN OF ASSETS

राशि- करोड़ रूपए / Amt. - Rs./ Crores

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप (समयावधि) Maturity Pattern (Time Buckets)	ऋण एवं अग्रिम Loans & Advances	निवेश (बही मूल्य) Investments (Book Value)	विदेशी मुद्रा Foreign Currency		जमा राशियां Deposits	उधार Borrowings
			देयताएं Liabilities	आस्तियां Assets		
1 दिन / 1 day	114.19	33.37	66.23	148.69	231.69	0.00
2-7 दिन / 2-7 days	422.79	322.42	2.94	27.32	944.82	2474.98
8-14 दिन / 8-14 days	479.00	0.00	7.75	25.02	1006.94	0.00
15-28 दिन / 15-28 days	992.71	94.45	7.30	60.81	1096.68	0.00
29 दिनों से 3 माह / 29 days to 3 months	4716.84	666.79	32.35	289.88	5095.20	0.00
3 माह से अधिक से 6 माह तक / Over 3 months to 6 months	2875.98	588.04	39.55	130.18	3462.45	12.20
6 माह से अधिक से 1 वर्ष तक / Over 6 months to 1 year	2555.62	172.32	116.50	3.70	7664.78	12.15
1 वर्ष से अधिक से 3 वर्षों तक / Over 1 year to 3 years	5632.61	1395.51	41.30	0.00	6838.25	12.15
3 वर्षों से अधिक से 5 वर्षों तक / Over 3 years to 5 years	3066.37	1204.54	1.59	0.00	2493.78	0.00
5 वर्षों से अधिक / Over 5 years	3493.13	8149.99	0.00	0.00	5841.06	200.00
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>24619.24</b>	<b>12627.43</b>	<b>315.51</b>	<b>685.60</b>	<b>34675.65</b>	<b>2711.48</b>

एन.पी.ए. की राशि (सकल)

	श्रेणी	राशि-रु / करोड़
1.	अवस्तरीय	101.94
2.	संदिग्ध 1	52.22
3.	संदिग्ध 2	
4.	संदिग्ध 3	6.53
5.	हानि	0.55

Amount of NPAs (Gross)

	Category	Amt. - Rs./ Crores
1.	Substandard	101.94
2.	Doubtful 1	52.22
3.	Doubtful 2	
4.	Doubtful 3	6.53
5.	Loss	0.55

निवल एन.पी.ए

निवल एन.पी.ए	78.03 करोड़
--------------	-------------

Net NPAs

Net NPAs	78.03 Cr.
----------	-----------

एन.पी.ए. अनुपात

श्रेणी	प्रतिशत
सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए	0.65%
निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए	0.32%

NPA Ratios

Category	Percent
1. Gross NPAs to Gross advances	0.65%
2. Net NPAs to Net advances	0.32%



एन.पी.ए (सकल) में उतार-चढ़ाव

	राशि-रु / करोड़
अथशेष	135.53
जमा	141.87
कमी	116.36
इति शेष	161.04

Movement of NPAs (Gross)

	Amt. - Rs./ Crores
Opening Balance	135.53
Additions	141.87
Reductions	116.36
Closing Balance	161.04

एन.पी.ए हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

	राशि-रु / करोड़
अथशेष	65.71
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	85.72
बट्टे खाते डालना	47.59
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	24.89
इति शेष	78.95

Movement of Provisions for NPAs

	Amt. - Rs./ Crores
Opening Balance	65.71
Provisions made during the period	85.72
Write-off	47.59
Write-back of excess provisions	24.89
Closing Balance	78.95

गैर निष्पादित निवेशों की राशि

	राशि-रु / करोड़
गैर निष्पादित निवेशों की राशि	25.03

Amount of Non-Performing Investments

	Amt. - Rs./ Crores
Amount of Non-Performing Investments	25.03

गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

	राशि-रु / करोड़
गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	25.03

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt. - Rs./ Crores
Provisions held for non-performing investments	25.03

निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

	राशि-रु / करोड़
अथशेष	24.44
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3.14
बट्टे खाते डालना	शून्य
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	23.95
इति शेष	3.63

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. - Rs./ Crores
Opening Balance	24.44
Provisions made during the period	3.14
Write-off	Nil
Write-back of excess provisions	23.95
Closing Balance	3.63



## तालिका डी एफ 5 – ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत

### गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक ने सीआरएआर परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत देशी दावों के लिए क्रिसिल, ईक्रा, फिच इंडिया तथा केयर और एस एंड पी, फिच तथा मूडीज़ को अनिवासी कारपोरेट, विदेशी बैंकों तथा सरकार पर दावों हेतु सामान्य श्रेणी का उपयोग करते हुए जोखिम भार के लिए श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों को अनुमोदित किया है।
2. इन समस्त एजेन्सियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। बासल-II के अंतर्गत क्रिसिल परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा है।
3. बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। जिसका इस उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। संबंधित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।
4. जहाँ प्रत्येक ऋण जोखिम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है के अपवाद को छोड़कर प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखिमों के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।
5. जोखिम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात् मूल राशि तथा ब्याज के संबंध में, ऋण जोखिम एक्सपोजर की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखिम भार के लिए कारपोरेट ग्रुप में एक कंपनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कंपनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।
6. आस्तियां जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।
7. जहां बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के साथ एक निर्गम का दीर्घावधि एक्सपोजर है जोकि 150% जोखिम भार प्रमाणित होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि, जहाँ ऐसे मामलों में जोखिम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई है को छोड़कर, में 150% जोखिम भार माना जाएगा। अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू है।

## Table DF 5 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

### Qualitative Disclosures

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, Fitch India, and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.
2. The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II.
3. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
4. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
5. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
6. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
7. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.



8. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण को दीर्घावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। इसके विपरीत प्रतिपक्ष पर गैर निर्धारित अल्पावधि दावे, उस प्रतिपक्ष पर श्रेणीगत अल्पावधि दावे के लिए लागू जोखिम भार से कम से कम एक स्तर ऊपर का जोखिम भार लागू होगा। बैंक के विरुद्ध दर निर्धारण सुविधा से उत्पन्न जोखिम भार दावों के आकलन हेतु विशिष्ट रूप से जारी कम अवधि वाली प्रतिभूतियों का प्रयोग किया जाता है तथा कम अवधि वाली कारपोरेट दर निर्धारित प्रतिभूतियों को गैर-निर्धारित दीर्घावधि दावों हेतु जोखिम भार समर्थन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता।
9. यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण किए गए हैं जिसमें दो अलग-अलग जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहां उच्चतर जोखिम भार लागू किया गया है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई हैं जिसमें विभिन्न जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो न्यूनतम जोखिम भार में से दूसरा उच्चतर जोखिम भार लागू किया गया है।
10. जहां विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोखिम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं:
  - i) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण ( जहां श्रेणी वर्गीकरण के जोखिम भार गैर श्रेणीगत मामलों पर लागू जोखिम भार से कम है ) बैंक के केवल गैर निर्धारित दावों पर लागू है, जहां वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि यह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर निर्धारित मामले पर लागू है।
  - ii) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखिम भार से अधिक या उसके बराबर जोखिम भार निर्धारित किया गया है तो उसी प्रतिपक्ष पर गैर निर्धारित मामलों के लिए वही जोखिम भार निर्धारित होगा जोकि निर्धारित ऋण जोखिम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ-साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोखिम भार से कम है।
8. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counter-party attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.
9. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
10. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
  - i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.
  - ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.



### मात्रात्मक प्रकटीकरण

मानकीकृत दृष्टिकोण रखते हुए जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार राशि

### Quantitative Disclosures

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

जोखिम भार श्रेणी Risk Weight Category	ऋण जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार Exposure After Credit Risk Mitigation	गैर निर्धारित ऋण जोखिम Un-Rated Exposure	निर्धारित ऋण जोखिम Rated Exposure
100% जोखिम भार से कम / Below 100 % risk weight	17021.74	9510.90	7510.84
100% जोखिम भार / 100 % risk weight	8263.63	7059.35	1204.28
100% जोखिम भार से अधिक / More than 100 % risk weight	495.76	380.02	115.74
कटौती / Deducted	0.00	0.00	0.00
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>25781.13</b>	<b>16950.27</b>	<b>8830.86</b>

तालिका डी एफ 6. ऋण जोखिम कम करना: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

### Table DF 6 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

- संस्था के अर्जन को घाटे से बचाने के लिए ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन एवं मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात पूंजी प्रभार कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखिम कम करने के उपायों को अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क बासल II के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोखिम कम करने के विभिन्न कारक (सीआरएम) निम्न हैं:
  - संपार्श्विक संचालन
  - ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग
  - गारंटियां

#### 2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय संपार्श्विक निम्न हैं:

- नकदी और जमाएं जिसमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित हैं।
- 99.99% की शुद्धता प्रमाणित सोना।
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां।

#### Qualitative Disclosures

- Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:
  - Collateralised transactions
  - On-balance-sheet-netting
  - Guarantees

#### 2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

- Cash and Deposits including deposits in foreign currency.
- Gold: benchmarked to 99.99% purity.
- Securities issued by Central and State Governments



- iv. किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत पत्र।
- v. जीवन बीमा पॉलिसियाँ।
- vi. ऋण प्रतिभूतियाँ – शर्तों के अनुसार वर्गीकृत
- vii. बैंक द्वारा शर्तों अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण प्रतिभूतियाँ।
- viii. शर्तों अनुसार म्यूचुअल फंडों के यूनिट्स।

संपार्श्विक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर संपार्श्विक प्रबंधन पर प्रभाव पड़ता है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

### 3. ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग केवल ऋण अग्रिमों, ऋण जोखिम के रूप में मान्य और जमाओं (संपार्श्विक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध हैं जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जांच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

### 4. गारंटियाँ

जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से सुनिश्चित, अविकल्पी, और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है। पात्र गारंटर्स/प्रति गारंटर्स के वर्ग में सम्मिलित हैं:

- i. संप्रभु संप्रभुता प्राप्त संस्थाएं, (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ उल्लेखित एमडीबी, ईसीजीसी एवं सीजीटीएसएमई सम्मिलित हैं) बैंक और प्राइमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारित जोखिमयुक्त हैं।

- ii. अन्य संस्थाएं जिनको एए या उससे बेहतर रेटिंग प्राप्त है।

बैंक अभिमुखीकरण के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। फिर भी बेसिल.२ के नियमों के अनुसार, ऋण जोखिमों का समंजन करने से पूर्व, पात्र संपार्श्विकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखिम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशानिर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटर्स की रेटिंग करते समय प्रति.पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ईसीजीसी और सीजीएफटी कवर को भी उपयुक्त जोखिम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

### मात्रात्मक प्रकटीकरण

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण, कवर किया गया कुल ऋण जोखिम: पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरांत— **रुपए 1532.91 करोड़**

- iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
- v. Life insurance policies
- vi. Debt securities -Rated subject to conditions.
- vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
- viii. Units of mutual funds subject to conditions

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

### 3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

### 4. Guarantees

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors include:

- i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

- ii. Other entities rated AA or better.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-II norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

### Quantitative Disclosures

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts **Rs. 1532.91 crore**



## तालिका डी एफ 7. प्रतिभूतिकरण: मानकीकरण दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

### गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर कोई अलग से नीति नहीं है। बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था (ओं) को नहीं बेचा है।

### मात्रात्मक प्रकटीकरण

मानक समूह आस्तियों का समनुदेशन. रूपए 374.57 करोड़

## तालिका डी एफ 8. ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

### गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम परिभाषा के अनुसार, बाजार कीमतों में विपरीत हलचल के कारण बैंक को संभाव्य हानि हो सकती है। बाजार जोखिम स्थितियां पूंजीगत प्रभार आवश्यकताओं के अनुसार निम्न है:

- ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर संबंधी प्रलेखों पर ब्याज दर जोखिम।
- ट्रेडिंग बुक में शेयरों से संबंधित मूल्य जोखिम।

जोखिम को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग ने अनेक सीमाएं निर्धारित की हैं जैसे कि स्टाप लॉस लिमिट्स आदि। पूर्वनिर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करने के मामले की जानकारी जोखिम प्रबंधन विभाग को दी जाती है जहाँ सक्षम अधिकारी द्वारा उन पर उचित कार्रवाई की जाती है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण नामक एक संविभाग बनाया है। इस प्रकार परिकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में परिवर्तित कर दिया जाता है। सीआरएआर निकालने के लिए ऋण जोखिम और बाजार जोखिम हेतु समुचित जोखिम भार आस्ति पर विचार किया जाता है।

### मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूँजी आवश्यकता	राशि-रु करोड़ में
ब्याज दर जोखिम	49.34
शेयर स्थिति जोखिम	7.05
विदेशी विनिमय जोखिम	शून्य

## तालिका डी एफ 9. परिचालन जोखिम

### गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने "परिचालन जोखिम प्रबंधन" और "व्यापार निरंतरता योजना तथा आपदा निवारण प्रबंधन" नीति बनाई है। बैंक के बोर्ड द्वारा इन नीतियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। बैंक "लॉस डाटा" एकत्र करने की प्रक्रिया में है।

## Table DF 7- SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

### Qualitative Disclosures

There is no separate policy of the Bank on securitization of Standard Assets. Bank has not sold out credit portfolio under securitization to any other entity(ies).

### Quantitative Disclosures

Assignment of Standard Pool Assets Rs. 374.57 crore.

## Table DF 8 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

### Qualitative disclosures

Market risk is defined as the risk of potential losses that the bank may incur due to adverse movements in market prices. The market risk positions subject to capital charge requirement are:

- Interest Rate Risk pertaining to Interest Rate related instruments in trading book.
- Price risk pertaining to equities in trading book.

To manage the risk, the Risk Management Department has laid down various limits such as stop loss limits etc. Violations of pre-determined limits are reported to Risk Management Department where actions to address them are determined by the appropriate authorities. Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading portfolio as per RBI guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted assets. The aggregated Risk weighted Assets for Credit Risk and Market Risk are taken into consideration for arriving at the CRAR.

### Quantitative disclosures

The capital requirements for:	Amt. - Rs. in Crores
Interest rate risk;	49.34
Equity position risk;	7.05
Foreign exchange risk;	Nil

## Table DF 9 - OPERATIONAL RISK

### Qualitative disclosures

The bank has formulated the policy on "Operational Risk Management" and the "Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management". These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is in process of collecting "Loss Data".

कार्यकारी निदेशक ओ.आर.एम.सी. के अध्यक्ष हैं। ओ.आर.एम.सी. की बैठक तिमाही आधार पर की जाती है। शाखाओं की "जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा" का कार्य निरीक्षण विभाग द्वारा स्थल पर ही किया जाता है। रु. 3 करोड़ से अधिक सीमा के ऋण आवेदनों की नियमित क्रेडिट लेखा परीक्षा की जाती है।

निरीक्षण विभाग और सतर्कता विभाग द्वारा ए.सी.बी. को मियादी रूप से आंतरिक व्यवस्थाएं, समायोजन और धोखाधड़ी संबंधी मामलों की जानकारी दी जाती है। परिचालन जोखिम और व्यापार निरंतरता योजना से संबंधित नियामक विवरण और समयानुसार सूचना दी जा रही है। बैंक परिचालन जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना हेतु 'बेसिक इंडिकेटर एप्रोच' के अनुसार कार्य कर रहा है।

### तालिका डी एफ 10. बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई.आर.आर.बी.बी.)

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम की गणना और निगरानी अनेक प्रकार की कसौटियों पर जाँच करने के बाद होती है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत ब्याज दर में बदलाव के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। स्थिर आय प्रतिभूतियों पर प्रभाव जानने के लिए प्रतिफल रेखा में 25 बी.पी.एस. से 100 बी.पी.एस. के समानांतर विस्थापन की परिकल्पना की गई है।

The ORMC is headed by the Executive Director. The meetings of the ORMC are convened on quarterly basis. The Inspection Department of the bank is undertaking on site "Risk Based Internal Audit" of the branches. The credit proposals / limits beyond Rs. 3 Crore are being regularly subjected to Credit Audit also.

The Inspection Department as well as Vigilance Department are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. The regulatory reporting w.r.t. Operational Risk and Business Continuity Plan are being made timely & regularly. Bank is following "Basic Indicator Approach" for calculating Capital Charge on operational Risk.

### Table DF 10 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

#### Qualitative Disclosures

The interest rate risk is measured and monitored by conducting various stress tests. The immediate impact of the changes in the interest rates is analysed under this approach. A parallel shift in yield curve from 25 bps to 100 bps is assumed for fixed income securities to arrive at the impact.





बैंक द्वारा वर्ष 2009 के कैलेंडर का विमोचन करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक स. आर. पी. सिंह।  
साथ में हैं कार्यकारी निदेशक स. जी. एस. वेदी तथा बैंक के वरिष्ठ अधिकारी गण।  
Chairman & Managing Director S. R. P. Singh releasing the Bank's Calender 2009  
alongwith Executive Director S. G. S. Vedi and senior officials of the Bank.



